

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 नवम्बर, 1973

खण्ड 2, अंक 3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 14 नवम्बर, 1973

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)1
बीर सुनारवाला के हरिजनों की बेदखली सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 2 पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	(3)21
कार्य मन्त्रण समिति का द्वितीय प्रतिवेदन	(3)24
ऐप्रोप्रिशन (नं० 3) बिल, 1973	(3)25
दी हरियाणा लैंड होल्डिंग्स टैक्स (अमैडमेंट) बिल, 1973	(3)51
दी पंजाब शूगरकेन (रैगूलेशन आफ परचेज ऐंड सप्लाई) हरियाणा अमैडमेंट बिल, 1973	(3)62
दी पंजाब ऐन्टरटेनमेंट्स टैक्स (सिनेमैटोग्राफ शोज) हरियाणा अमैडमेंट बिल, 173	(3)70
दी हरियाणा मिनरल्ज (वैसिंग आफ राईट्स) बिल, 1973	(3)72
दी पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमैडमेंट) बिल, 1973	(3)74

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 14 नवम्बर, 1973

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री बनारसी दास गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल।

**Government Girls Higher Secondary School N.I.T.
Faridabad**

***437. Sh. K.N. Gulati:** Will the Minister for Education be pleased to state:-

(a) the total number of student of the Government Girls Higher Secondary School, N.I.T. Faridabad; and

(b) the total strength of staff in the said School?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) 1760

(ख) 62

श्री के०एन० गुलाटी: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगी कि किस रेशो से टीचर्ज मिलते हैं ? क्या इस रेशा से इस स्कूल में स्टाफ कम हैं या ठीक है ?

शिक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक): स्पीकर साहब, वहां 62 टीचर्ज हैं और 1740 लड़के हैं। 35 लड़कों के हिसाब से एक टीचर मिलता है। उस हिसाब से वहां स्टाफ ठीक है।

चौधरी शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने हायर सैकेण्डरी स्कूलज के बारे में तो बता दिया लेकिन क्या वे बतायेंगे कि प्राईमरी पाठशाला और मिडल स्कूल में किस रेशो से टीचर्ज रखे जाते हैं ?

श्री माडू सिंह मलिक: रेशो सभी जगह एक ही है।

श्री के०एन० गुलाटी: क्या आनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि इस स्कूल में बायोलौजी, म्युजिक और संस्कृत के रेगुलर टीचर्ज हैं ?

श्री माडू सिंह मलिक: स्पीकर साहब, इस वक्त अलग-अलग फिर्ज तो मरे पास नहीं है। अगर ये नोटिस दे तो बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

Employment Exchanges

***444. Ch. Mehar Chand:** Will the Minister for Home be pleased to state: whether there is any proposal under consideration of the Government for setting up Employment Exchange in the rural areas for the convenience of ruralites?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Yes, Sir.

चौधरी अमर सिंह: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने उत्तर में फरमाया 'हां'। क्या वे फरमायेंगे कि इस प्रपोजल को कब तक इम्प्लीमेंट करेंगे ?

श्री के०एल० पोसवाल: स्पीकर साहब, हम 10 युनिट्स (अब-ऑफिसिज) और खोल रहे हैं। इस साल से खोलने शुरू कर देंगे। हम देख रहे हैं कि उनके लिए कौन-कौन सी जगह मौजूद हैं। उसका सर्वे कर रहे हैं।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): क्या वजीर साहब फरमायेंगे कि हमारे हरियाणा में कितने ऐम्प्लायमेंट ऐक्सचेंजिज हैं और उनमें ऐनरोलमेंट कितनी हैं ?

श्री के०एल० पोसवाल: हमारे डिविजनल ऐम्प्लायमेंट ऐक्सचेंजिज तीन हैं, अम्बाला, फरीदाबाद और रोहतक। डिस्ट्रिक्ट ऐम्प्लायमेंट ऐक्सचेंजिज 12 हैं, भिवानी, गुड़गांव, हिसार, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, पानीपत, रिवाड़ी, सिरसा और यमुनानगर। टाउन ऐम्प्लायमेंट ऐक्सचेंजिज कालका और हांसी में और सब ऑफिसिज हैं पलवल और चरखीदादरी में। रूरल मैनपावर युनिट्स राई, कैथल, बहादुरगढ़, महेन्द्रगढ़, सढौरा,

मोरनी, बराड़ा, तोशाम, नूह और एक महीने के अन्दर-अन्दर फिरोजपुर झिरका में खोल रहे हैं।

चौधरी दल सिंह: क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि आज जो रूरल ऐरियाज के अन्दर ऐक्सचेंजिज खोल रहे हैं उसका क्राइटेरिया क्या होता है ?

श्री के०एल० पोसवाल: हम यह देखते हैं कि कहां ज्यादा लोग रजिस्टर होते हैं और उनकी ऐम्पलयामेंट की क्या जरूरियात है।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: स्पीकर साहब, झज्जर एक फौजी इलाका है। क्या मंत्री महोदय बताने की कोशिश करेंगे कि वहां कोई ऐक्सचेंज क्यों नहीं खोला गया जबकि सभी डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील हैडक्वार्टर्ज पर ऐक्सचेंजिज खोले गए हैं ?

श्री के०एल० पोसवाल: स्पीकर साहब, 10 युनिट्स खोलने में झज्जर को भी कंसिडर करेंगे।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आज तक स्टेट में कितने नाम रजिस्टर हुए और उनमें से कितनों को ऐम्पलायमेंट मिल गई ?

श्री के०एल० पोसवाल: इसके लिए तो स्पीकर साहब, सैपरैट नोटिस चाहिए क्योंकि बहुत लम्बा चौड़ा हिसाब किताब इन्होंने पूछ लिया है।

चौधरी शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंजिज से जो नाम आते हैं वे स्ट्रिक्अली नम्बरवाइज आते हैं या किसी स्थिति में ढील भी देते हैं ?

श्री के०एल० पोसवाल: वैसे तो स्ट्रिक्अली नम्बरवाइज आते हैं लेकिन बाजदफा क्वालिफिकेशन और हो और उस क्वालिफिकेशन का वह न हो तो दूसरे भी आ जाते हैं।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि डिविजनल ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंजिज इंतजामिया हैं या इनमें नाम भी दर्ज करवा सकते हैं ? कृपया यह भी बताएं कि इनका आपरेशनल एरिया कितना है ?

श्री के०एल० पोसवाल: वह तो मैंने बता दिया कि हरियाणा में तीन डिविजनल ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंजिज हैं। इनमें नाम भी दर्ज होते हैं लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट ऐक्सचेंजिज और सब-यूनिट्स को चैक भी करते हैं।

Saraswati Sugar Mills Yamuna Nagar

***460. Ch. Dal Singh:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state:-

(a) the sugarcane crushing capacity of the Saraswati Sugar Mills Yamunanagar; and

(b) the actual quantity of sugarcane crushed by the said Mill during the financial year 1972-79?

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) 4000 टन प्रतिदिन।

(ख) 677390.8 टन तथा इस मिल द्वारा 1972-73 के क्रशिंग सीजन में 653140 टन गन्ना पेला गया।

चौधरी दल सिंह: क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि इस सरस्वती शुगर मिल के साथ किसानों और सोसाइटियों का कितना गन्ना देने का ऐग्रीमेंट हुआ था ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि ऐग्रीमेंट कभी मिल के साथ नहीं होता। सोसाइटियां गन्ना मिल को देती हैं। ज्यादातर कोशिश यही होती है कि गन्ना सोसाइटियों के थ्रू लिया जाए। इस मिल ने पिछले साल 71 परसेंट गन्ना सोसाइटियों के थ्रू लिया।

चौधरी मनफूल सिंह: क्या मंत्री महोदय, बतलाने की कृपा करेंगे कि रोहतक और पानीपत के शुगर मिल की क्रशिंग कैपेसिटी क्या है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, रोहतक की साढ़े बारह सौ टन डेली और पानीपत की चौदह सौ टन डेली है।

चौधरी शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि यमुनानगर शुगर मिल ने जो गन्ना इस साल लेना है उसका क्या भाव सरकार ने निश्चित किया है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, भाव का अभी तय नहीं हुआ है। सारे देश में भाव तय हो रहे हैं। उसी हिसाब से हमारे यहां भी तय हो जाएगा। यू0पी0 का भाव, पता लगा है, कल तय हुआ है। हमने 16 तारीख को शुगर कैन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग रखी है, उसमें फैसला करेंगे।

चौधरी मेहर चन्द: क्या मंत्री महोदय फरमायेंगे कि सरस्वती शुगर मिल का ऐनुअल प्रॉफिट क्या है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह सरकारी मिल नहीं है, प्राइवेट मिल है। प्रॉफिट के बारे में यदि मुझे पता भी हो तो भी मैं बताना नहीं चाहूंगा।

श्री जगजीत सिंह टिक्का: क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि जो किसान गन्ना देते हैं उनको पेमेंट मिल द्वारा दिये जाने की कोई मियाद मुकर्रर है ? कई ऐसी मिसालें हैं कि बहुत दिन तक पेमेंट नहीं होती है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसी शिकायत हमारे नोटिस में नहीं आई है कि मिल ने पेमेंट नहीं की। इस मिल की तरफ किसानों का 81400 रूपया बाकी रहता है। यह मिल तो हर गन्ना देने वाले को चिट्ठी भी लिखती रहती है कि पेमेंट ले जाएं। इस मिल के बारे में हमें तो आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री जगजीत सिंह टिक्का: दूसरी मिलों की आई होंगी ?

चौधरी भजन लाल: दूसरी मिलों की तरफ कोई भी खास बाकी नहीं है। पानीपत मिल की तरफ 13 हजार और रोहतक मिल की तरफ साढ़े पंद्रह हजार ही बकाया है।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये तीनों मिलें कब क्रशिंग शुरू करेंगी क्योंकि क्रशिंग सीजन तो आ चुका है ?

चौधरी भजन लाल: इसके बारे में 11 तारीख को मीटिंग थी। उसमें फैसला किया गया कि रोहतक मिल 15 तारीख को चल पड़ेगी और यमुनानगर तथा पानीपत की मिलें 20 तारीख को चलेंगी।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: स्पीकर साहब, कुछ देर पहले मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि यू0पी0 में भाव मुकरर हो गया है। क्या वे बताएंगे कि वहां क्या भाव मुकरर हुआ है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, फाईनली तो मैं नहीं कह सकता लेकिन पता लगा है कि साढ़े बारह रुपये तय किया है।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस दफा गन्ना ज्यादा होने की वजह से मिल्ज की क्रशिंग कैपेसिटी बढ़ाने की चेष्टा करेंगे ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, पानीपत शूगर मिल की कैपेसिटी बढ़ाने की योजना है। कुछ मशीनरी खरीदी भी है लेकिन वह इस साल नहीं बढ़ जाएगी। अगले सीजन से पहले-पहले कोशिश करेंगे कि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए।

चौधरी शिवराम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने अभी फरमाया कि रोहतक शूगर मिल चालू हो गई है। क्या वे बताएंगे कि उसने किस भाव से गन्ना लेना शुरू किया है ? क्या बाजार में खुली चीनी जिस भाव से बिकती है उसका गन्ने की कीमत में खयाल रखा गया है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि रोहतक मिल चालू हो चुकी है। मैंने तो यह कहा था कि रोहतक मिल 15 तारीख से यानि कल से चालू होगी। भाव का फैसला 16 तारीख को बोर्ड करेगा। जो किसान 15 तारीख को गन्ना देंगे उनको भी वही भाव मिलेगा जो 16 तारीख को निश्चित होगा।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, मेरे दो सवाल हैं। एक तो यह है कि सोनीपत शुगर मिल अब किस स्टेज में हैं ? वह कब तक बन जाएगी और उसमें कब तक काम शुरू होगा क्योंकि उसको बनाने की योजना तो मुकम्मल हो गई थी और जमीन भी ऐक्वायर हो गई थी ? सवाल नम्बर दो यह है कि क्या वजीर साहब फरमायेंगे कि गन्ने के रस में सक्वीजिंग की क्या रेशो है यानी एक क्विंटल गन्ने में कितना रस निकलता है और कितनी चीनी निकलती है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह तो गन्ने पर डिपैन्ड करता है कि उसकी फसल कैसी हुई है अगर गन्ने की फसल अच्छी हो तो गन्ने की रिकवरी भी अच्छी होती है। पिछले वर्ष हमारे रोहतक मिल की रिकवरी बहुत अच्छी रही यानि 10.13 रही। इतनी रिकवरी आज से पहले कभी नहीं हुई। इसी तरह से यमुनानगर को भी बड़ी अच्छी होती थी लेकिन पिछले साल कम हुई है।

जहां तक उनकी दूसरी बात का सम्बन्ध है कि सोनीपत मिल कब चालू हो जायेगा, उसके लिए हमने एक कमेटी बनायी हुई है। उस कमेटी ने साइट भी सिलैक्ट कर ली है। बहुत जल्दी ही हम उस मिल का निर्माण कार्य शुरू करने जा रहे हैं।

Registration of Factories

***484. Sh. Girish Chander Joshi:** Will the Minister for Home be pleased to state the total number of factories registered in the State during the financial year 1972-73?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): 163.

श्री गिरीश चन्द्र जोशी: क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि फ़ैक्टरी ऐक्ट के तहत फ़ैक्टरी रजिस्टर करने का क्या क्राइटेरिया है ?

श्री के०एल० पोसवाल: यह तो बाकायदा ऐक्ट में दिया हुआ है। अगर कहें तो मैं जोशी साहब को कापी भिजवा देता हूँ। (हंसी)

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि हरियाणा जैसी स्टेट में फ़ैक्टरीज की तादाद कम नहीं है ?

श्री के०एल० पोसवाल: जो सवाल पूछा गया है उसमें कम ज्यादा की बात नहीं पूछी गयी। यहां तो रजिस्ट्रेशन की बात पूछी गयी है वह मैंने बता दी है। अगर आप कम समझते हैं तो और लगवा दें। (हंसी)

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि किसी फ़ैक्टरी की रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम कितने मजदूर चाहिए ?

श्री के०एल० पोसवाल: अगर पावर के साथ हो तो दस चाहिए। अगर बगैर पावर के हो तो 20 मजदूर हों लेकिन केसिज

में अगर गवर्नमेंट को यह महसूस हो कि वर्कर्स की हैल्थ के लिए जरूरी है ताकि उन्हें सहूलियतें मिलें तब भी रजिस्ट्रर कर सकते हैं।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): क्या वजीर साहब बतायेंगे कि हरियाणा में जो टोटल फैक्टरीज रजिस्टर्ड हुई है। उनमें से कितनी फैक्टरीज बोगस रजिस्टर्ड हुई हैं जो कि अब चल नहीं रही है ?

श्री के०एल० पोसवाल: बोगस फैक्टरी कोई रजिस्टर नहीं होती है। अगर कोई बोगस है तो उसको डी-रजिस्टर्ड कर देते हैं। अब इस वक्त 31-10-73 तक कुल 1819 रजिस्टर्ड हुई हैं।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि फैक्टरी ऐक्ट के नीचे वर्कर्स को जो भी अमैनिटीज मिलनी चाहिए। वे मिल रही है ? अगर नहीं मिल रही तो क्या पिछले साल में कोई शिकायत आयी है कि फलां फैक्टरी में पूरी सहूलियतें नहीं मिली ? कितनी फैक्ट्रीज से ऐसी शिकायतें सरकार के नोटिस में आयी है ?

श्री के०एल० पोसवाल: इसके लिए सैपरैट नोटिस चाहिए।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सन् 1972-73 में जो फैक्टरीज रजिस्टर्ड हुई हैं उनमें से टाउन में

कितनी रजिस्टर्ड हुई हैं और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज पर कितनी हुई हैं ?

श्री के०एल० पोसवाल: डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर्ज की फिगर्ज तो मेरे पास हैं वह मैं बता देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज पर सन् 1972 में हिसार में 206 हुई, रोहतक में 255 हुई, गुड़गांव में 529 हुई, करनाल में 296 हुई, अम्बाला में 412 हुई, जींद में 28 हुई और महेन्द्रगढ़ में केवल 14 हुई।

श्री हरि सिंह: स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने फरमाया है कि फ़ैक्टरी की रजिस्ट्रेशन के लिए पावर के लिए दस वर्कर्ज होने चाहिए और बगैर पावर के लिए 20 होने चाहिए। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन वर्कर्ज में वे भी काउन्ट किए जाते हैं जो डेली वेजिज पर काम करते हैं ?

श्री के०एल० पोसवाल: जो परमानैन्ट होते हैं, उन्हें ही काउन्ट करते हैं।

Siwani Lift Irrigation Project

***493. Sh. Gauri Shanker:** Will the Chief Minister be pleased state:-

(a) the total cost incurred on the 4th stage of the Sewani Lift Irrigation Project together with the total area likely to be benefited as a result thereof; and

(b) the number of Pump Houses installed and the length of the canals dug together with the total lift of water from the said project?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):-

(a) (i) The work on the Project has just been taken up and the expenditure incurred thereon so far is very small.

(b) Nil.

चौधरी शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इस स्कीम के लिए कहां से पानी लिया जायेगा ? जहां से वह पानी लिया जायेगा क्या उसका असर दूसरी स्कीमों पर तो नहीं पड़ेगा ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, इस बारे में मैंने कल भी अर्ज किया था कि जब तक हमें रावी और ब्यास का पानी नहीं मिलता तब तक हम फलडिड वाटर ही इस्तेमाल करेंगे । हमारे पास फलडिड वाटर ही इतना है कि उसमें और कई स्कीमों चल सकती हैं ।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि हरियाणा में ऐसी जितनी भी स्कीमों चल रही हैं उन सब के मुकम्मल हो जाने पर कोई ऐरिया ऐसा भी रह जायेगा जहां पानी की जरूरत रहेगी ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह: जब सारी स्कीमें चालू हो जायेंगी तब वही एरियाज ही रहेगे जहां हम नहरो मे इरीगेट नही कर सकते है जैसे पहाड़ का इलाका है और बाकी सारे एरियाज मे नहरो का पानी देने की कोशिश की जा रही है ।

श्री अमर सिंह: अभी मंत्री महोदय ने फरमाया है कि जब तक रवी ब्यास का पानी नही मिलता उस वक्त तक फलडिड वाटर का पानी लिया जायेगा ।क्या वे बताएंगे कि इस नहर के लिए कहां से फलडिड वाटर कन्ट्रोल किया जायेगा ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: सिवानी लिफ्ट स्कीम का यह पानी हम वैस्टर्न जमुना कैनल से ले रहे है जो जमुना दरिया मे जा कर गिरता है । दूसरे हम ड्रेन नम्बर आठ से भी पानी ले रहे है और तीसरे हम हजर के नाले का पानी भी ले रहे है । जहां से भी हमे पानी मिलता है,फलडिड वाटर जोकि वेस्ट जाता है या इलाके की तबाही करता है उसको ही हम इस्तेमाल कर रहे है ।

चौधरी पीर चन्द: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि सिवानी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम कौन-कौन से गांवो को सैराब करेगी?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): जिस गांव मे आपकी धरती है उसमे पानी चला जायेगा । (हंसी)

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: 21 गांव है जिसमे चार स्टेजिज मे सिवानी लिफ्ट स्कीम का पानी जायेगा ।

चौधरी चांद राम: क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे? कि फलड कितने दिनों तक आता है और उस पानी को कितने दिनों तक इस्तेमाल करेगे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: यह तो शायद इनको ही पता होगा कि बारिश कितने दिन होती है लेकिन बहरहाल जमुना मे इतना पानी आता है जो हमारी जरूरत के लिए काफी है ।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि टोटल इरीगेटिड एरिया कितना है ? इस मौजूदा सैट-अप मे कितने एरिया को पानी दे सकते है और कितना बाकी रह जायेगा । ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: अब जिस स्कीमो की यहां बात चल रही हे इस स्कीम के तहत जो एरिया ग्रीस मैने बताया है इसका सी0सी0ए0 36 हजार 880 एकड़ होगा । एक्चुअल इरीगेशन जो होगी यह अन्दाजन 22 हजार एकड़ से ज्यादा ही होगी ।

श्री गोरी शंकर: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि इस स्कीम मे नरवाना ब्रान्च का पानी तो नही लिया जायेगा ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठ: नरवाना ब्रान्च मे तो भाखड़ा का पानी आता है । नहर मे वहां मे कोई पानी नही लिया जायेगा । केवल फ्लड का ही पानी लिया जायेगा । केवल फ्लड का ही पानी लिया जायेगा ।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि हरियाणा मे इस वक्त कितना एरिया ऐसा है जहां पानी मिल रहा है और कितना बाकी रहता है ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठ: इसके लिए आप स्रैपरेट नोटिस दें ।

Power House at Fridabad

***503. Chaudhri Phool Chand (Mullana):** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Power House at Faridabad has been commissioned: if so, teh capacity therof ?

State Minsister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha): No Sir,

Water Works Schemes Etc.

***512. Chaudhri Phool Singh Kataria :** Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) the time by which the water works scheme at Nahar and

Sahlawas blocks ar likely to be completed; and

(b) the date on which the sewerage work was started at Jhajjar together with the time by which the same is likely to be completed ?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी):

(ए) जन विरतण योजनाओं को पूर्ण करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती क्योंकि यह पंचायतों द्वारा सार्वजनिक भाग जाम करवाने तथा राज्य सैनीटरी बोर्ड द्वारा धनराशि उपलब्ध किए जाने पर निर्भर करता है ।

(बी) मल निकास योजना झज्जर अक्टूबर 1972 में आरम्भ की गई थी परन्तु इस के पूर्ण होने की कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह नगरपालिका द्वारा धनराशि उपलब्ध किए जाने पर निर्भर करता है ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कोशिश करेंगी कि जब और कमेटीज में काम चल रहा है तो झज्जर की कमेटी में काम क्यों नहीं चल रहा है ?

श्रीमती शारदा रानी: नगरपालिका में अभी तक पैसा जमा नहीं कराया । तीन लाख रुपया जमा कराया था उसमें से दो लाख रुपये का काम हो चुका है और बाकी एक लाख रुपये का काम चल रहा है ।

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगी कि चुलकानकला के लिए जो वाटर स्कीम सन् 1970 में

चली थी परन्तु आज तक वहां पर काम पूरा नहीं हो सका है, वहां काम कब तक पूरा करेंगे ?

श्रीमती शारदा रानी: यहां पर नाहड़ ब्लॉक्स की बाल पुछी गयी थी , आपके एरिया के गांव की नहीं । (हंसी)

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगी कि अब तो सारे प्रान्त मे सारी कमेटीज मे ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाये हुए है, क्या तीन महीने से ऐडमिनिस्ट्रेट ने भी पैसा जमा नहीं करवाया ?

श्री अध्यक्ष: इस मे ऐडमिनिस्ट्रेट का क्या सवाल है ?

श्रीमती शारदा रानी: जिन नगरपालिकाओ ने पैसा जमा करवा दिया है वहां पर काम हो रहा है । ऐडमिनिस्ट्रेट क्या करेगा जब नगरपालिका मे रहने वाले ही टैक्स नहीं दे रहे है ।

चौधरी चांद राम: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि मेरे हल्के और साल्हावास के खण्ड मे वाटर सप्लाई की कितनी योजनाये है ?

परिवहन मंत्री (कर्नल महा सिंह): तीन योजनाये है । एक स्कीम नाहड़ सी पर कमा चालू है ।

श्री गोरीशंकर: क्या मंत्री महोदय यह बतायेगे कि नरवाना मे ओर घरोंडा मे जो सीवरेज का काम होना है, वह कब तक चालू हो जायेगा ?

श्रीमती शारदा रानी: इसके लिये अलग से नोटिस चाहिए ।

चौधरी शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब,वाटर सप्लाई की एक बहुत पुरानी स्कीम है । नीलोखेड़ी के हल्के मे अमीन गांव की जो स्कीम है ,क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि वह किस स्थिति मे है ? वह पहले से मन्जूर हुई पड़ी हे वह कब तक चालू हो जायेगी ?

श्रीमती शारदा रानी: पंचायत ने पैसा नहीं जमा करवाया होगा ।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): क्या मंत्री महोदय यह बतायेगे कि यह जो नाहड़ की स्कीम है,उस पर कुल कितनी रकम खर्च होनी है,उसमे से कितनी रकम खर्च हो चुकी है और कितनी खर्च होनी बाकी है ?

कर्नल महा सिंह: नाहड़ की स्कीम मे 20 गांवो को पानी दिया जा चुका है ।13 गांवो मे यह काम अभी अन्डर ऐक्सीक्यूशन है । उसके लिये इस साल हमने साढे आठ लाख रूपया दिया है और करीब पौने लाख रूपया अगले साल मे देंगे । 1974 मे जब यह रूपया देंगे तब वह स्कीम पूरी होगी ।

Bar Room at Ballabgarh

***438. Shri K.N Gulati:** Will the Minister for Home be pleased to state-

(a) whether there is a Bar Room at Ballabgarh; and

(b) if not, the time by which the Government intends to construct a Bar Room there ?

Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal):

(a) No,

(b) No such proposal is under the consideration of the Government.

Small houses for Harijans and other poor people

***445 .Chaudhri Mehar Chand:** Will the Minister for Finance be pleased state the special steps taken by the Government for providing small houses to Harijans and other persons having annual income of less than Rs. 1800/- and living in rural areas ?

Development Minister (Shri Shyam Chand) :No.

चौधरी मेहर चन्द: स्पीकर साहब जो जवाब इन्होंने दिया है उनसे तो फिर खुदा ही हाफिज है । स्पीकर साहब मैंने यह पूछा था कि हरिजनो के लिए और दूसरे गरीब लोगो के लिये जो रूरल एरियाज मे रहते है , क्या कोई छोटे हाउस प्रोवाईड करने के लिये स्ट्रैपस लिये जा रहे है ?.....(व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब,आपने जो सवाल पुछा था उसका जवाब आ चुका है ।.....(व्यवधान).....

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कल जो यहां यह स्पलीमैट्री डिमान्डज में यह पास कराया गया कि हरिजनो के लिए 600 मकान बनाने के लिये 12 लाख रूपया चाहिए, क्या आप वे मकान बना रहे हैं या नहीं ? दूसरी बात यह है कि अगर वे मकान इससे अलाहिदा हैं तो क्या गवर्नमेंट हरिजनो की हालत को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी नहीं समझती कि उनके लिये और ज्यादा मकान बनाये जाये ताकि वे खुशहाल हो सके ?

Shri Shyam Chand: Sir, that scheme is for Jayanti villages and that is sponsored by the Government of India and not by the State Government.

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसे गांधी जयन्ती के मौके पर सैटर वाले मदद कर रहे हैं , हरियाणा गवर्नमेंट भी उसी तरह से हरिजनो के लिये देहातो में मकान बनाने में मदद करने की कृपा करेगी ?

Shri Shyam Chand: Sir, there is another scheme that is sponsored by L.I.C and for everybody, Government is paying loans to everybody who comes forward to construct such houses.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया था कि कोई स्पेशल स्टैप्स नहीं उठाये जा रहे हैं । क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने आज तक कोई हाउस बनाकर हरिजनो को दिये भी हैं या नहीं ?

श्री श्याम चन्द: स्पीकर सहब , हाउसिंग बोर्ड ने 12 हाउसिज बनाये थे लेकिन उन्हे लेने के लिये कोई भी तैयार नही है ।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेगे कि यह हकीकत है कि जंवाइट पजाब के वक्त एक साल मे डिस्ट्रकटवाइज 24 मकान हरिजनो के लिये बनते थे ?क्या वह स्कीम अब भी जारी है या इन्होने चन्द कर दी है ?

Shri Shyam Chand: Sir, that is for subsidy for consruction of houses.

Improvement Trase Jind

***461. Chaudhri Dal Singh:** Will the Minister for Transport be pleased to state teh total expenditure incurred by the Government on the Imporvements Trust Jind during the financila year 1970-73, 1971-72.1972-73?

सहकारिता एवम स्थानीय प्रशासन राज्य मंत्री (चौधरी गोवर्धन दास चौहान): नगर सुधार मंडल ,जीन्द को वितीय वर्ष 1970-71,1971-72, तथा 1972-73 मे निम्नलिखित राशियां अनुदान व ऋण के रूप मे दी गई थी:-

1.	1970-71	रूपये
	अनुदान	25000

	ऋण	100000
2.	1971-72	
	अनुदान	20000
	ऋण	300000
3.	1972-73	
	अनुदान	15000
	ऋण	200000

चौधरी दल सिंह: मिनिस्टर साहब से फरमाया है कि सन् 1970-71 से लेकर 1972-73 तक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जीन्द को 6 लाख रुपया कर्ज के तौर और 60 हजार रुपया ग्रांट के तौर पर दिया गया है । मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने आज तक क्या कोई कार्य किया है जिसके लिये उसे इतनी रकम दी गयी है ?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान: हां जी। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जीन्द ने 11 स्कीमे बनायी है जिनमे से छः नम्बर स्कीम पर उन्होने 84 प्लाट काटे है । ये सारे हाउसिंग प्लाट है और इन पर 12 लाख रुपये खर्च करने का अनुमान था । इसमे उन्होने 353294 रुपये जमीन की ऐक्विजीशन पर खर्च किये, 18525 रु० कोपिंग-फी

पर और दूसरे जो मिसलेनियस पर खर्च थे,उन पर 18946 रू0 खर्च किये है ।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेगे कि यह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कब बना था और आज तक इस पर कुल कितना खर्च हुआ है ?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान: इस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बनने की तारीख तो मुझे पता नहीं,अलबत्ता मुझे यह पता है कि यह सन् 1970 मे बना था । आज तक इस पर 528082 रू0 93 पैसे खर्च हुए है ।

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेगे कि इस इम्प्रूमेंट ट्रस्ट ने कोई कंस्ट्रक्शन का या कोई और ऐसा काम आज तक किया है ? मै कहता हूँ कि इसने कोई काम नहीं किया है । उसने एक ईन्ट भी लगायी हो या एक भी मकान बनाया हो तो आप बता दो(व्यवधान).....

चौधरी गोवर्धन दास चौहान: जी हा, किया है । स्कीम नम्बर छः के तहत, जहां प्लाट्स काटे है, वहां उसने रोड्ज भी बनायी है और वहां पर जो अर्थ –वर्क हुआ है, वह भी किया है ।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे ,जैसे कि उन्होने बताया है कि स्कीम नम्बर छः पर 12

लाख रूपये खर्च करने का अनुमान है, वहां पर स्वीपर्ज और बाल्मीकीज के लिये भी किसी कालोनी का प्रोवीजन रख गया है ?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान: ऐसा तो कोई प्रोवीजन नहीं रखा गया है ।

Haryan Rodways

***485. Shri Girish Chander Joshi:** Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) the steps, if any, being taken by the Government to check the over-crowding in the Haryana Roadways buses ; and

(b) the total number of buses added in the Haryana Roadways fleet during the financial year 1972-73, depotwise ?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मन्त्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) सरकार ने बसों में भीड़ रोकने के लिए निम्नलिखित पग उठाए हैं :-

1. ग्रामीण जनता की सुविधा के लिए कम लम्बे मार्गों पर सेवाएं चलाई गई हैं क्योंकि प्रायः देखा गया है कि छोटे मार्गों वाले यात्री बसों में भीड़ कर देते हैं जो लम्बे मार्गों वाले यात्रियों के लिए असुविधाजनक होते हैं ।

2. चण्डीगढ से देहली पर तथा हिसार से देहली महत्वपूर्ण रूटो पर बसो मे भीड़ समाप्त करने के लिये कई अतिरिक्त सेवाए चालू की गई है ।

3. दूसरे मार्गो पर यातायात की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिय यातायात सर्वेक्षण किये जा रहे है तथा जंहा भी आवश्यकता पड़ेगी अतिरिक्त सेवाए चला दी जायेगी ।

4. अधिक यातायात वाले समय मे विशेष सेवाए प्रदान की जाती है बस स्टैडो के इन्चार्ज स्थानीय निरीक्षको को विशेष सेवाए चलाने का अधिकार दिया गया है ।

5. प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियो के लिये जंहा वह अधिक मात्रा मे है, विशेष सेवाए चलाई गई है ।

6. कम दूरी वाले अधिकांश मार्ग डिपो परिचालक के लिए मुक्त कर दिये गये है ताकि वह कम दूरी यात्रा करने वाले यात्रियो को सेवा दे सके और यह कम दूरी वाले यात्री जिला स्तर की बसो मे भीड़ न कर पाएं ।

(ख) वर्ष 1972-73 मे प्रत्येक डिपो मे हुई बसो की वृद्धि

क्रमसख्या	डिपो का नाम	नई बसो की वृद्धि
1.	हरियाणा राज्य परिवहन	14

	,अम्बाला	
2.	हरियाणा राज्य परिवहन, गुड़गांव	1
3.	हरियाणा राज्य परिवहन, चण्डीगढ़	14
4.	हरियाणा राज्य परिवहन, रोहतक	38
5.	हरियाणा राज्य परिवहन, करनाल	56
6.	हरियाणा राज्य परिवहन, हिसार	27
7.	हरियाणा राज्य परिवहन, रेवाड़ी	16
8.	हरियाणा राज्य परिवहन, जीन्द	7
	कुल	171

श्री गिरीश चन्द्र जोशी: क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि ओवर आउडिंग को रोकने के लिये हरियाणा रोडवेज की बसों की रिक्वायरमेंट कितनी है ? क्या इस बारे में कोई सर्वे किया गया है ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: समय-समय पर बसों की आवश्यकता बढ़ती रहती है । वैसे इस साल चार सौ बसें खरीदनी थीं लेकिन बसें न मिलने की वजह से पूरी बसें नहीं शामिल कर सके । इस वक्त तक 205 गाड़ियां खरीद चुके हैं और सौ गाड़ियां मार्च तक खरीद लेंगे ।

Shri Gulab Singh Jain: Will the Hon'ble State Minister be pleased to State whether in view of the fact that the petrol price has gone very high and our Prime Minister has desired that the consumption of petrol should be controlled, any steps are being taken to start De-Lux and express buses from the District Headquarters to Chandigarh ?

Transport Minister (Col. Maha Singh): The matter is under consideration of the Government and De-lux buses will be started from Hissar, Gurgaon, Narnaul and Rohtak to Chandigarh very shortly.

चौधरी मनफूल सिंह: पिछले सेशन में यह बताया गया था कि जहां लोकल बसों की सभी हे वहां लोकल बसें और चलाई जाएंगी । अब 38 बसें रोहतक को दी गई हैं । क्या झज्जर कांस्टिचुएँसी में और ज्यादा लोकल बसें चलाई जाएंगी ?

कर्नल महा सिंह: झज्जर कांस्टिचुऐंसी मे बहुत बसे दी गई है और आपकी फरमाईश पर दी गई हे जिसका काफी झगड़ा चल रहा है ।

चौधरी मनफूल सिंह: तीन लोकल बसे मन्जूर है । एक सुबह जाती है और शाम को वापिस आती है और उसका भी कोई टाईम नही है क्या मिनिस्टर साहब उसका टाइम ठीक करवाने की कृपा करेंगे ?

कर्नल महा सिंह: बस तो टाईम पर ही जाती है लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उससे पता लगा है कि सवारियां पूरी नही होती । आप सावरियां ज्यादा दे, हम ज्यादा बसे चलवा देगे ।

चौधरी दल सिंह: जैसा कि जवाब मे बताया गया है कि औवर आउडिंग को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए है लेकिन अब भी काफी ओवर आउडिंग है । क्या सरकार का कोई खास कदम उठाने का विचार है जिससे कि औवर आउडिंग न हो ?

कर्नल महा सिंह: हम नही चाहते कि बसो मे ओवर आउडिंग हो । लेकिन लोग फिर भी ड्राईवर और कन्डक्टर का कहना नही मानते और जबरदस्ती बस मे चढ जाते है । हम कोशिश करते है कि ज्यादा बसे खरीदी जाए और इसके लिए हमने तीन दफा अपने आफिसर्ज को दो जगह टाटाज और अशोक ले-लैड जंहा से हम बसे खरीदते है, भेजा भी लेकिन पूरी बसे

नहीं मिल पाई है । मैं अभी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर्ज कांफ़ेस में दिल्ली गया था, यह दिक्कत सभी सूबों में है । यह नहीं कि यह सिर्फ़ हरियाणा में ही है ।

श्री प्रेम सुख दास: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि सिरसा से चण्डीगढ़ तक बस चलाने का कोई इरादा है ?

कर्मल महा सिंह: पहले हमारा इरादा चण्डीगढ़ को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज से जोड़ने का है बाद में सिरसा से जोड़ा जाएगा ।

चौधरी फूल चन्द (मुलान): क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जिन गाड़ियों की दशा अच्छी नहीं है और जो हर रोज़ ब्रेक डाउन होती है क्या उनको जल्दी रिप्लैस करने की कृपा करेंगे ?

कर्मल महा सिंह: जो गाड़िया बिल्कुल चल नहीं ही सकती और जिनकी रिपेयर नहीं हो सकती उनको हम रिप्लेस करते हैं । जहां ओवर आउडिंग होती है वहां गाड़ियां ऐड करते हैं, रिप्लेस नहीं करते ।

चौधरी राम लाल वधवा: ओवर आउडिंग नहीं इसके लिए मौजूदा स्थिति में फौरी तौर पर कितनी बसों की और आवश्यकता है ?

कर्नल महा सिंह: फौरी तौर पर कितनी बसों की आवश्यकता है यह तो कहना मुश्किल है लेकिन अगर 200-300 बसे मिल जाएं तो ओवर आउटिंग कम हो सकती है ।

चौधरी दल सिंह: आज तक बस स्टैंड से बसे लेट चलती है । क्या इस तरफ ध्यान दिया जाएगा कि डिपोज से बसे लेट न चले ?

कर्नल महा सिंह: पूरी कोशिश की जाती है कि कोई बस लेट न चले । हो सकता है कि कोई बस माईनर रिपेयर की वजह से थोड़ी लेट हो जाती है वरना ज्यादातर बसे ठीक टाईम पर ही चलती है ।

श्री ओमप्रकाश गर्ग: जो नए जिले बने हैं जैसे कुरुक्षेत्र , वहां पर जिला बनने से रश हो गया है । क्या वहां पर कोई लोकल बसे चलाने का इरादा है ?

कर्नल महा सिंह: कुछ चल भी गई है और कुछ चलाई जाएगी ।

श्री बिहारी लाल बाल्मीकि: पलपल होडल का इलाका हरियाणा के बोर्डर पर है यहां से लोग गोवर्धन जाते हैं जो कि यू0पी0 में पड़ता है । क्या यहां से गोवर्धन को बसे चलाने का कोई इरादा है ?

कर्नल महा सिंह: यह डिमांड जरूर आई हे और यह जेरे गौर है इसमे यू0पी0 स्टेट इनवाल्व है । अगर ये इजाजत देंगे तो जरूर बसे चलाई जाएगी । उनसे लिखा पढी चल रही है ।

चौधरी राम प्रशाद: यात्रियो को रात को ठहरने के लिए क्या बस स्टैंड पर सरकार का कुछ बनाने का इरादा है क्योकि वे यात्री शहर नही जा सकते है और अगर बस स्टैंड पर रहते हे तो पुलिस उनका चालान कर देती है ?

कर्नल महा सिंह: यह मुश्किल है ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: जैसा कि बताया गया है कि रोहतक डिपो मे 38 बसे आई हे तो क्या ये सब बसे रोहतक डिपो मे चल रही है या दूसरे डिपो को भेजी गई है ?

कर्नल महा सिंह: जो बसे रोहतक डिपो को दी गई है वे रोहतक डिपो या रोहतक के सब-डिपो मे चल रही है । एक सब-डिपो जो भिवानी था उसको अलग डिपो बनाकर कुछ बसे उसमें ट्रांसफर कर दी है ।

G.T Road

***494. Shri Gauri Shanker:** Will the Minister for Revenue be pleased to State whether there is any scheme under consideration of the Government to double the G.T Road in the State, if so, the time by which the said work is likely to be completed ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma):

Yes Sir, The proposal for widening the G.T Road (national Highway I) from Delhi to Ambala to four lanes is under consideration of the Government of India, Ministry of Transport & Shipping. It has been tentatively included by them in the list of projects to be executed during the Fifth Five year Plan. If the Government of India finally agrees to include this scheme in the 5th Five year Plan, the work of doubling the G.T Road would be completed during the 5th Five Year Plan.

चौधरी शिव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जवाब में बताया गया है कि ऐक्सीडेंट की रोकने के लिये जी०टी० रोड की डबल किया जा रहा है। तो क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इसके बीच में कोई पटरी बनाई जाएगी जिससे कि आने का रास्ता अलग हो और जाने का अलग हो ?

Pandit Chiran Ji Lal Sharma: Certainly, Sir, the proposal for the widening of the G.T Road is taken up to avoid accidents.

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उसको कितना बाइडन किया जाएगा ?

Pandit Chiranji Lal Sharma: I think this will come to forty – eight feet all told.

चौधरी पीर चन्द: सड़के पहले की बनी हुई है और खस्ता हालत में है क्या उनको ठीक किया जाएगा ?

Pandit Chiran Ji Lal Sharma: Mr. Speaker, Sir this question pertains to the widening of G.T Road. Anyway, efforts will be made to repair the roads which are in damaged condition, but this all depends on the availability of funds.

चौधरी राम प्रसाद: क्या पानीपत से रिवाड़ी वाया रोहतक की सड़क को भी डबल करने का सरकार का कोई इरादा है ?

Pandit Chiran Ji Lal Sharma: There is no such proposal for the present.

चौधरी शिव राम वर्मा: जी०टी० रोड़ को चौड़ा करने की वजह से किसानों को अपने पशु आदि निकालने में जो मुश्किल पेश आएगी क्या सरकार इस मुश्किल को हल करने के लिए अलग से पुल प्रोवाइड करेगी ?

Pandit Chiran Ji Lal Sharma: Well, I wonder if this problem will arise out of the widening of the road. This difficulty exists even at present.

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह जो जी०टी०रोड़ को चौड़ा करने का प्रोग्राम है क्या यह ठेकेदारों के द्वारा करवाया जाएगा या कि को-ऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा करवाया जाएगी ?

Pandit Chiran Ji Lal Sharma: This supplementary does not arise out of this question, but, however, I may submit that the work will largely be executed by the Public Works

Department departmentally, except where it is necessary to be done by contractors.

श्री के०एन० गुलाटी: स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय यह बताने का की कृपा करेगे कि जो सड़के पहले बन रही थी और जो अभी तक पूरी नहीं हुई है , वे कब तक पूरी हो जाएंगी ?

श्री अध्यक्ष: गुलाटी साहबए सड़को का प्रश्न नहीं ए यहा तो जी०टी०रोड का प्रश्न है ।

Chaudhari Phaool Chand (Rohat): Whenever I approach my hon friend, teh Public Works Minister, regarding taking up of any roads, I get teh reply that funds are not available . May I know the fortunate day when he would start working and taking up work on roads; for example, there are so many roads where material is lying.....

Mr. Speaker: Here is is a question of G.T Road.

Chaudhari Phaool Chand: There are several other roads wher material is lying and is getting destroyed.

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, इसमे सौ मैनी रोडज का जिकर नहीं है, यह तो जी०टी० रोड से सम्बन्धित प्रश्न है । आपका प्रश्न तो मूल प्रश्न से पैदा ही नहीं होता । आप बैठिए ।

श्री हरि सिंह: स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेगे कि हरियाणा से जो जी०टी० रोड गुजरती है, वह कितने मील लम्बी है ?

Pandit Chiranji Lal Sharma: I cannot exactly give the length of G.T Road. But from Delhi to Ambala it is, I think, 130 miles. Then towards Agra side, I cannot give the exact length.

Demand for Electricity

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha): A Statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement

Steps taken by the Haryana State Electricity Board to meet the future growing demand of Electricity.

(a) Short term Measures

Haryana State Electricity Board has entered into a bilateral agreement with D.E.S.U for the purchase of surplus power available with them.

(b) Long Term Measures

Haryana State Electricity Board has undertaken the following generation Projects-

- (i) Faridabad Thermal Extension Project.
- (ii) Panipat Thermal Power Project,
- (iii) Western Yamuna Canal Hydro-Electric Project.

The Board is also exploring the feasibility of participation with Himachal Pradesh in executing hydro-

electric power projects falling in the territory of Himachal Pradesh.

Chaudhri Phool Chand (Mullana): The hon Minister has mentioned various long term and short term measures to meet the future growing demand of electricity. Under short term measures it has been mentioned that they have entered into an agreement with D.E.S.U. May I know from the hon. Minister as to when we shall start getting electricity from D.E.S.U ? Secondly, under long term measures, I would like to know as to when these projects are going to be completed?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, देसू से हम 5.5 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी जबकि इस वक्त दिल्ली से हम 1.3 मिलियन यूनिट बिजली ले रहे हैं । इसके साथ साथ जो थर्मल स्टेशन की दूसरी बात की गई है, उसके बारे में यह कहना है कि फरीदाबाद में अप्रैल '74 में फर्स्ट यूनिट चालू हो जाएगा, पानीपत में 76 फर्स्ट यूनिट चालू हो जाएगा और वैस्टर्न यमुना कैनल हाईड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना में चालू हो जाएगी ।

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बतायेंगे कि हरियाणा प्रान्त में जितनी बिजली की कमी है, उनको कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, परसों तक जो हमें बिजली मिला वह 5.2 मिलियन यूनिट थी लेकिन इस

वक्त तक हमारी जो रिक्वायरमेंट है वह 6.5 मिलियन यूनिट की है ।

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, पहली नवम्बर के एक अखबार में निकला है कि हरियणा प्रान्त में 232 मैगावाट पावर अवेलेबल है जबकि 450 मैगावाट पावर की नीड है । तो क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो इन्होंने जवाब दिया है, उनमें और इन फिगरज में इतना कनफ्लिक्ट क्यों है? (कोई जवाब नहीं दिया गया) स्पीकर साहब, मैंने यह पूछा था कि(...शोर...)

श्री अध्यक्ष: चौधरी चांद राम, मैं तो इनको जवाब के लिये फोर्स नहीं कर सकता ।

चौधरी चान्द राम: आप इनको फोर्स नहीं कर सकते तो बहुत अच्छी बात है लेकिन

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आप तशरीफ रखिये, यह सब ने सुन लिया कि इस हाउस के बीच आपने प्रश्न पूछा है

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि अब टोटल रिक्वायरमेंट 6.5 मिलियन यूनिट है जबकि इनके पास 5.2 मि0यू0 है । तो क्या ये बताने की कृपा करेंगे कि यह जो डिस्टैन्स है, यह कब तक मीट कर सकेंगे ?

Chief Minister Chaudhri Bansi Lal): It will take a few years.

बीर सुनारवालाके हरिजनो की बेदखली सम्बन्धी
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सं० २ पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष: अब रैवेन्यू मिनिस्टर महोदय, चौधरी दल सिंह जी द्वारा दिये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपनी स्टेटमेंट देगे परन्तु चौधरी दल सिंह जी आप पहले अपना प्रस्ताव पढ दे ।

Chaudhri Dal Singh (Jind): Sir, I beg to draw the attention of the House to a matter of urgent public importance and of recent occurrence namely, situation prevalent in the State of Haryana by the extreme dissatisfaction and discontentment prevailing among the Harijans and Backward Classes on account of forcible eviction of 150 families of Harijans from Bir Sunarwala which they reclaimed with hard and continuous labour for many years. This decision of the Haryana Government is unprecedented in the post partition history of democracy in India and as a result of wrong and anti-Harijan decision of the Government, thousands of Harijans have courted arrests under the guidance of Haryana Harijan Sangharsh Samiti in and outside the State, The arrests are still going on and the situation is extremely explosive.

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): It is correct that 150 families of Harijans were dispossessed of about 250 acres of land in Bir Sunarwala village in Jhajjar Tehsil in May/July, 1973. These families were in unauthorised possession of the land because of expiry of one year's lease which they held on this land which had been reserved in

1961/1962 for setting up a Sainik School. After 1962, it was given on temporary annual leases to these cultivators and at no stage was there any understanding, much less commitment, given by Govt. that this land will be transferred to them on permanent basis. It became necessary to get the land vacated because it was decided to set up a Seed Farm, specially for research and multiplication of suitable varieties of seed for dry farming conditions. It is well-known that almost 2/3rd land in Haryana is dependent on rain fall and development of proper seeds for cultivation in rain-fed and barani areas is of vital necessity to the agricultural economy of the State as also in the wider interests of the whole country where increase in production of foodgrains, specially in barani areas needs the highest priority.

2. This land was only a small portion of over 2900 acres of land which in Bir Sunarwala and adjoining village Bir Chhuchhakwas, had been given on a temporary lease for five years to the Rohtak District Harijan Co-operative Society. When this lease expired in 1959, the Pepsu Nazul Land Rules were applied in the composite Punjab and the land was made over to the Society in accordance with these Rules. Later it was found that the Society did not fulfil the prerequisites laid down in those Rules which required that only the heads of families could become members of the Society and the land was to be given to the Harijans belonging to the same or the adjoining village. In the present case, the Harijans belonged not only to these or adjoining villages but hailed from as many as 77 villages from all over the district. Thus the members of the Society did not fulfil the conditions laid down in the Rules.

3. In the meantime in 1961-62, the decision had been taken as mentioned above to earmark and set apart 250 acres for construction of the Sainik School. However, the remaining area (2596 acres) was through a special decision of CMM. taken in June, 1965, allowed to be transferred to the members of the Society who were in actual cultivation in relaxation of the Pepsu Nazul Land Rules. This decision was implemented at the spot after necessary vacation of cultivators etc. by District Authority during 1967-68 for bulk of the area remaining cases during 1969-72. Accordingly, the bulk of the area namely 2596 acres has been transferred to about 1100 families who have been made landowners in implementation of the policy of Government.

4. It is thus apparent that the agitation has been built up on wrong promises in so far that the main bulk of the members of the Society has not been disturbed and those who were dispossessed and were on land set apart were allowed on short-terms annual leases. At no stage there was any commitment that this 250 acres of land reserved for the Sainik School, will be transferred to the temporary cultivators.

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, एक बात तो यह है कि इसकी कापी हमारे पास अभी तक नहीं आई और दूसरी बात यह है कि आपने कहा था कि दूसरे पक्ष को चर्चा के लिए अलाउ किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष: नहींए इस पर चर्चा अलाउ नहीं हो सकती, आप बैठिये, तशरीफ रखिये, मैं इसका जवाब दे देता हूँ । पहली बात तो यह है कि इसकी कापी के लिए मुझे बड़ा अफसोस है

क्योकि हमे यह चन्द मिनट पहले मिली है, साइकलोस्टाइल हो रही है, आपको बहुत जल्द ही सप्लाई कर दी जाएगी ।

चौधरी चान्द राम: स्पकीर साहबए इसके बारे मे आपकी एश्योरेस है (शोर)

श्री अध्यक्ष: आप तशरीफ रखिये इस पर कोई चर्चा नही होगी ।

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, आप सुन तो ले , परसों आपने ही तो कहा था

श्री अध्यक्ष: मै आपको कह चुका हूं कि इस पर कोई चर्चा नही होगी ।

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, यह रिपोर्ट की कापी मेरे पास आई है इसमे लिखा है कि आप तशरीफ रखिये आपको अपने विचार व्यक्त करने को मौका मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये मै ऐक्सप्लेन करता हूं । उस वक्त मेरा कहने का मतलब यह नही था कि इस पर चर्चा होगी । मैने तो यह कहा था कि आपको स्पलीमैटरी डिमाडज पर विचार व्यक्त करने को मौका मिलेगा ।

चौधरी चान्द राम: लेकिन काल अर्टन्शन मोशन तो आज आया है ।

श्री अध्यक्ष: आप तशरीफ रखिये ।

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, आप एक पक्ष की बात मत करे ।

श्री अध्यक्ष: मेरी एश्योरैस यह नही थी कि काल अटैन्शन मोशल पर चर्चा चलेगी । (शोर) आप बैठिये मेरे पास इसका कोई जवाब नही हे । आप अपनी तरफ से चाहे कोई अर्थ निकाले लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि आपको सप्लीमैटरी डिमाडज पर बोलने का मौका मिलेगा ।

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, मै बड़े सम्मान के साथ कह राह हूँ ।

श्री अध्यक्ष: ये जो कुछ मेरी आज्ञा के बिना कह रहे है रिकार्ड न किया जाए ।

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, इस पर आध घंटा चर्चा हो सकती है अगर आप अलाउ कर दे तो ।

श्री अध्यक्ष: कोई अवश्यकता नही है ।

कार्य मन्त्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष: बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मे जो कार्याकम निश्चित हुआ है, वह मै आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ ।

समिति की बैठक मंगलवार , 13 नवम्बर,1973 को 11 बजे अग्र-मध्याह्न अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई ।

“कुछ चर्चा के पश्चात् समिति ने सिफारिश की कि 14,15 तथा 16 नवम्बर, 1973 को निम्नलिखित रूप में कार्य किया जाए:—

14 नवम्बर, 1974

1. प्रश्नोत्तर काल ।
2. कार्य मंत्रणा समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का पेश किया जाना तथा अंगीकार किया जाना ।
3. अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) 1973-74 पर विनियोग विधेयक ।
4. हरियाणाभूमि -जोत कर (संशोधन) विधेयक, 1973 (अध्यादेश के निरनुमोदन के सकल्प के साथ)
5. पजाब गन्ना (अय तथा प्रदाय का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 1973 ।
6. पजाब मनोरंजन कर (सिनेमाटोग्राफ प्रदर्शन) हरियाणा संशोधन विधेयक 1973 ।
7. हरियाणा खनिज (अधिकारी-निधान) विधेयक, 1973

8. पंजाब भू-राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक,
1973

15 नवम्बर, 1973

1. प्रश्नोत्तर काल ।

2. प्रस्ताव

(1) “ कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 31 दिसम्बर 1972 तक लिए गए ऋण दर्शाने वाला वितरण, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का वार्षिक वित्त-विवरण (बजट अनुमान)ए1972-73 तथा (संशोधित अनुमान), 1971-72 तथा हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के लेखों का चतुर्थ वार्षिक विवरण, 1970-71 जो 6 मार्च, 1973 को विधान सभा की मेज पर रखे गये थे,पर चर्चा की जाए ।” (जिसकी सूचना श्री फूल चन्द(मुलाना), एम0एल0ए0 द्वारा दी गई)

(II) “ कि हरियाणा राज्य बिलो बोर्ड के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन पर, जो 12 नवम्बर 1973 को सदन की मेज पर रखा गया था, चर्चा की जाए। ” (जिसकी सूचनाएं सर्वश्री सत राम दास बत्रा, जगजीत सिंह तथा औमप्रकाश गर्ग, म0एल0ए0 द्वारा दी गई)

(III) “ कि हरियाणा वित्त-निगम के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखों पर चर्चा की जाए।” (जिसकी

सूचनाएं सर्वश्री सत राम दास बत्रा, जगजीत सिंह तथा औमप्रकाश गर्ग, म०एल०ए० द्वारा दी गई)

16 नवम्बर 1973

1. प्रश्नोत्तर काल ।

2. सभा के अनिश्चित काल के लिए सीगिन के सम्बन्ध में नियम 16 के अधीन प्रस्ताव ।

3. विधान कार्य ।

हरियाणा नहर तथा जल-निकास विधेयक, 1973 ।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैंने चार रैजोल्यूशंस का नोटिस दिया था जो ऐडमिट हो चुके हैं
.....

श्री अध्यक्ष: मैंने बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ कर सुना दी है ।

Home Minister (Shri K.L Powal): Sir I beg to move-

That this House agrees with the recommendation contained in the Second Report of the Business Advisory Committee-

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति के दिवतीय प्रतिवेदन मे दी गई सिफारिशो स्वीकार करता है ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है --

कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति के दिवतीय प्रतिवेदन मे दी गई सिफारिशो स्वीकार करता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दी हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न० ३) बिल, १९७३

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mital):

Sir, I beg to introduce to Haryana Apporiation (No. 3) Bill,
[हरियाणा विनियोग (स० ३) विधेयक] १९७३

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Approopriation (No. 3) Bill,
[हरियाणा विनियोग (स० ३) विधेयक] be taken into
consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ--

कि हरियाणा विनियोग (सख्या ३) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): स्पीकर साहब, हाउस ने कल जो डिमांडज पास की है उसका ऐप्रोप्रिएशन बिल हमारे विचारधीन हे । यह बिल तो यहां पर पास होना ही है क्योंकि

सरकार को खर्च के लिये स्वीकृति जो देनी है लेकिन मैं कुछ बातें सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ । जिन आइटम्स के बारे में यह खर्चा मंजूर किया गया जैसे कि डिमांडज में जो पहली मद थी वह हरिजनों के बारे में थी जिसमें उनके लिये मकान बनाने के लिये खर्च की मंजूरी मांगी गई है लेकिन दूसरी तरफ हरिजनों को कई जगहों से उखाड़ा जा रहा है जैसे कि अभी काल अटैशन मोशन में बात आई थी । तो इस तरीके से एक तरफ तो सरकार उनको बसाने के लिए खर्चा कर रही है और दूसरी तरफ उन्हें उखाड़ा जा रहा है । तो हम इनकी किस बात को ठीक मानें । वैसे तो सरकार बड़े बड़े वायदे करती है लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि --

जो तू कहे शिकायत का जिअ कम करदे,

मगर यकीं तेरे वायदे पर ला नहीं सकते ।

स्पीकर साहब, सरकार बड़े बड़े दावे बांधती है । जिस वक्त हम सरकार की स्कीमे पढते हैं, हमारे पास घरों में किताबें छप कर पहुँचती हैं तो ऐसा लगता है कि हरियाणा के अन्दर स्वर्ग बनने वाला है लेकिन यह कागजी कार्यवाही ही है । मैं कहता हूँ कि क्यों सरकार प्रचार पर इतना पैसा लगा रही है । सरकार कहती है कि हमने ये-ये वायदे पूरे किये हैं । यह कहा गया कि हरियाणा में हमने गाँव गाँव के अन्दर बिजली पहुँचाई है लेकिन उस बिजली का हशर भी इस तरह है । बिजली खेतों के लिए पूरी

नहीं मिलती है। कारखानों के लिए पूरी नहीं मिलती है तो कहने का मतलब यह है कि हरियाणा के अन्दर स्कीम कागजों के उपर बना कर ही जाहिर की जा रही है कि हरियाणा तरक्की कर रहा है और रूपया मांगा जा रहा है। लेनि मैं इस सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर शायद यही एक स्टेट है जिसके अन्दर इस प्रान्त का हर वर्ग दुखी है जिसने प्रान्त में खड़े होकर ऐजीटेशन की है। अगर यह स्टेट प्रगति वाली स्टेट है और इसकी इतनी अच्छी स्कीम है जो लोगों की बेहतरी के लिये है, चाहे वह स्कीम इरीगेशन की हो, चाहे इंडस्ट्री की हो तो यहां पर ऐजीटेशन न होती। हरियाणा के अन्दर टीचर्स की स्ट्राइक हुई, लेबरर्स की स्ट्राइक हुई किसानों और व्यापारियों ने यहां संघर्ष किया और अब हरिजन जिनको 26 साल लारे में रखा वे भी संघर्ष कर रहे हैं। अभी अभी बताया गया कि अगर सैट्रल गवर्नमेंट रूपया देगी तो हरिजनों को आबाद करने के लिए वह खर्चा जाएगा वरना स्टेट गवर्नमेंट रूपया देगी तो हरिजनों को आबाद करने के लिए वह खर्चा जाएगा वरना सैट्रल गवर्नमेंट जो है वह तो हरियाणा के अन्दर रहने वाले हरिजनों को जानवरों से भी ज्यादा बदतर समझती है। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई हैं) तो इस का यह परिणाम हो रहा है कि जहां हजारों की तादाद में यहां किसानों ने ऐजीटेशन की वहां हरिजन भी आज भी ऐजीटेशन कर रहे हैं। यह है एक मोटी सी तसवीर इस हरियाणा प्रान्त की उन्नति की। सारे देश के अन्दर केवल यही एक ऐसा सूबा है जिस का कोई भी वर्ग यहां पर सुखी नहीं है। मैं इतना

ही कह सकता है कि "इन्सान इन्सान के होते हुए इन्सान का हशर देखा नहीं जाता,मगर देख रहा हूँ"

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल): यह जनसंघ वाले सभी एक ही भाषा बोलते हैं । ..(शोर)...

चौधरी राम लाल वधवा: आप इस तरह कह कर आंखों पर पट्टी बाधने वाली बात न करे, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह हम देख रहे हैं । तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह मदद जो हरिजनो के मकानों के लिए है,जिस में सैटर से आए हुए रूपए से यह हरिजनो की बहबूदी करने जा रहे हैं, इस के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यह सब कुछ ऐसे किया जा रहा है जैसे सरकार हातिमताई की कब्र पर लात लगाने लगी हो । गो इस बात का इस ऐप्रोप्रिएशन बिल के साथ संबध नहीं है लेकिन इस की पृष्ठभूमि में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज हरियाणा के अन्दर हरिजनो को,यह सरकार सोची समझरी पालिसी के साथ उजाड़ने पर तुली हुई है । डिप्टी सपिकर साहिबा,इरीगेशन के लिए जो रूपया मांगा गया है मैं अपनी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उस का क्या फायदा होगा ?सरकार जो इतना रूपया लगा रही है लिफ्ट इरीगेशन पर और दूसरी पानी देने की स्कीमो पर,उस सब का क्या फायदा होगा अगर किसान खुशहाल नहीं होगा? हमारे पड़ोसी सूबा पजांब के चीफ मिनिस्टर ने सैटर से इस बात की मांग की जब ऐग्रीकलचर कमीशन की यह रिपोर्ट है कि किसान को गेंहू 110 रूपए प्रति क्विटल कौस्ट करती है तो उस से 76

रूपए के भाव से नही खरीदी जानी चाहिए, उस का रेट 110 रूपए क्विटल के ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह दूसरी स्टेट्स ने भी वही मांग की लेकिन कितनी हैरानी की बात है हमारी सरकार ने इस के बारे मे कोई आवाज नही उठाई। हमारा हरियाणा प्रानत चूंकि देश के अन्दर कृषि प्रधान सूबा है इसलिए हमारी सरकार को सब से पहले आवाज उठानी चाहिए थी कि जब किसान को खुद को 110 रू0 क्विटल गेंहू कौस्ट करता है तो सैंटर सरकार को गदंम का रेट ज्यादा मुकरर्र करना चाहिए । हमारी सरकार ने आवाज उठानी तो एक तरफ रही,डिप्टी स्पीकर साहिबा बजाए इस के कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब सैटर का इस बात के लिए मजबूर करते कि गेंहू का रेट बढना चाहिए ताकि किसानो मे खुशहाली हो इन्होने उलटा हरियाणा मे जिन किसानो ने आवाज उठाई उन को दबाने के लिये उन पर जगह-जगह लाठियां बरसाई और उनको जेलो मे ठोंस दिया गया और उनको दबाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए गए और अब यहां कहा जाता हे कि हरियाणा बहुत तरक्की कर रहा है । लेकिन हकीकत यह है कि इतने सालों मे हरियाणा कोई तरक्की नही कर सका । इस का सबूत यह खुद अपनी जबानी देते है ,जब हम इन को कहते है कि फला फला सड़क बननी चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए, थर्मल प्लांट लगाने के बारे मे पुछो तो वजीर साहिब उठ कर जवाब देते है कि फण्ड्ज की कमी है । इन के अपने दिए गए जवाब के अनुसार जब हम यह कहते है कि कोई तरक्की का काम नही होरहा तो फिर यह कहना शरू कर देते है कि हम ने यह स्कीम बनाई है, हम ने

वह स्कीम बनाई है और इतनी स्कीमे इकट्ठी कर देते है कि शायद सरकार उन स्कीमो के बोझ के नीचे दब कर मर जाएगी और वह स्कीमे ज्यो की त्यों फाइलो मे ही रह जाएगी ।

इनडस्ट्री मद् के अन्दर, रुरल ऐम्पलायमेंट के लिये और सैन्सिज के लिए कुछ रूपया मांगा जा रहा है, यह रूपया भी सैटर से आया है। उपाध्यक्ष महोदया, हमारा हरियाणा या तो जरायत पर निर्भर करता है और या इनडस्ट्री पर निर्भर है । इन क्षेत्रो मे अगर सरकार ठीक तरीके से लोगो की सहायता करती, लोगो को ग्रांट्स ओर सबसिडीज वर्गरा और रामैटीरियल बगैरा पूरा मुहैया करती तो आज हरियाणा सारे देश के अन्दर बहुत ज्यादा प्रगति कर गया होता । जहां तक सैन्सिज का ताल्लुक है, आज हमारे हरियाणा का बने हुए सात साल हो गए है लेकिन सरकार अभी तक सैन्सिज भी नही करवा सकी कि हमे कितना रा-मैटिरियल चाहिए । आज हम देख रहे है कि हरियाणा की इंडस्ट्री सप्लाई कराने मे नाकामयाब रही है । जो ऐक्चुअल मैनुफैक्चरज है उनको कोई रा-मैटिरियल नही मिलता चाहे वह टाटा का स्टील हो और चाहे यार्न हो । रा-मैटिरियल जितना भी है, यह कहते हे कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रिय कार्पोरेशन के माध्यम से बांटा जाएगा ओर वहा पर इतनी धाधली मची हुई है जिस का कि वर्णन नही किया जा सकता । इस का नतीजा यह हो रहा है कि हरियाणा मे कोई भी इन्डस्ट्री पूर्ण रूप से चल नही सकती । मै आप के द्वारा इन्डस्ट्री मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करुंगां कि वे

एक कमीशन बना कर स्माल स्केल इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन की जो रा-मैटिरियल सप्लाई करती हैए इन्कवायरी करवाए ताकि वहा पर जो जो इरैगुलैरिटीज हो रही है उन को दूर किया जा सके । वहां पर जो अफिसज बना रखे है उनको किसी को भी इस बात का पता नही कि किस किस का रा-मैटिरियल किस इन्डस्ट्री को चाहिए,और वे लोग अफसरशाही बना कर बैठे हुए है । उन के पास जब कोई आर्डर भी जाता है तो वे उस की कम्पलायस नही करते । छ:छ: महीने उन के पास लोगो के केसिज पैडिंग पडे रहते है ।ऐसे केसिज मेरे नोटिस मे है जिन का रूपया उन के पास साल साल जमा रहा कर वह रूपया वापिस लेना पडा । आज चाहे कोई ऐग्रीकल्चरल इम्पलीमैटस बनाता हैएचाहे इलैक्ट्रिक है और उनकी कितनी - कितनी डिमांड है और किस प्रकार का सरकार उन को रा-मैटिरियल दे सकती है क्योकि उन के उपर पाबंदी लगी हुई है और कोई भी ऐस प्राईवेट साधन नही है जहां से उनको कंट्रोल रेट पर रा-मैटीरियल मिल सके । अगर उस कार्पोरेशन की इन्कवायरी करवाई जाए तो ऐसे ऐसे केसिज आप के नोटिस मे आएंगे जिन्होने इन्डस्ट्रीज के बोर्ड तो लगा रखे है लेकिन न उन के पास कोई मशीन है और न ही वे कुछ मैनुफैक्चर ही करते है लेकिन उनको रा-मैटिरियल के काटे मिलते है जिस की ब्लैक करके वे लोग लाखोपति बने बैठे है । इस के मुकाबले जो ऐक्चअल मैनुफैक्चर है उनको कोई कोटा नही मिलता ओर वे ब्लैक मार्किट मे रा-मैटीरियल खरीद कर काम करते है और उनको घाटे के अन्दर जा कर काम करना पड़ता है

इसलिए सरकार को इन सब बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए । जब कोई इंडस्ट्री लगती है जो उस की योजना होती है और सरकार भी उनको यह इन्सैन्टिव देती है कि अगर कोई फसॉ किस्म की इन्डस्ट्री लगाएगा तो सरकार उस को इतनी ग्रांट देगी और इतना रूपया कर्जा देगी । लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि उस कर्ज को या ग्रांट को देने के लिए कितना समय लगता है और उतने समय तक क्या कोई इन्डस्ट्री को चला भी सकता है ? सरकार को चाहिए कि जो सहूलियात देनी हो वे जल्दी से जल्दी देने की कोशिश किया करे ताकि हरियाणा में इन्डस्ट्री का विकास हो सके । मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आज हरियाणा की इंडस्ट्री तीन बातों से सफर कर रही है, एक तो है रा-मैटीरियल की कम सप्लाई ।

उपाध्यक्षा: वधवा साहब, आप को दस मिनट बोलते हुए हो गए हैं, आप और कितना टाइम लेगे ?

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा । तीन बातें हैं जिन से इन्डस्ट्री सफर कर रही है और वे मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ । एक तो रा-मैटीरियल की सप्लाई पूरी होनी चाहिए दूसरे यह जो बिजली संकट है जिससे इन्डस्ट्री तबाह हो रही है इसे दूर किया जाना चाहिये और तीसरे इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट की नाअहलियत की वजह से जो इन्डस्ट्री को नुकसान हो रहा है इस को बंदोबस्त किया जाना चाहिए । आज हालत यह है कि जो ऐक्चुअल यूजर्ज है और

जिन्होंने छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज लगा रखी है उनको रा-मैटिरियल नहीं मिलता है और इस वजह से ही इन्डस्ट्रियल डिवलपमेंट उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिये और हो सकती है । आज अगर इस बात की जांच की जाये कि हरियाणा में जो इन्डस्ट्रीज लगी है उनके पास एक-एक के पास कितनी-कितनी मशीने है, कितनी उन की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है और कितनी उन में प्रोडक्शन होती है तो पता लगेगा कि ऐसे-ऐसे लोग बैठे है जिन्होंने दो-दो मशीने लगा रखी है और दो-दो सै टन का कोटा ले रहे है लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ऐसे लोग है जिन्होंने दस दस मशीने लगाई हुई है मगर उनको पचास टन का कोटा ही मिलता है और वे लोग अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम उससे चला नहीं सकते है । इसलिये इस बात की पूरी सैसिज की जाये कि किस के पास कितनी मशीने है और उसे कितने रा-मैटिरियल का जरूरत है और उसके मुताबिक ऐक्चुअल यूजर को उनकी कैपेसिटी के मुताबिक कोटा मिलना चाहिये । हरियाणा में इन्डस्ट्रीज की डिवलपमेंट के लिए जरूरी है कि सरकार इस बात की तरफ फौरी तौर पर ध्यान दे । लेकिन हालात यह है जैसे कि इस शेर में अर्ज करता हूं:-

हमने मान कि तगाफल न करोगे लेकिन,

खाक ही जायेगे हम तुम को खबर होने तक ।

तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार दायदे तो बहुत करती है लेकिन जब तक यह सरकार कोई कदम उठायेगी इन्डस्ट्री और एग्रीकल्चर तबाह हो कर रह जायेंगे । इसलिये इस तरफ फौरी कदम उठाने की जरूरत है इसके साथ ही ऐजुकेटिड अनएम्पलायमेंट और रूरल अनएम्पलायमेंट को दूर करने के लिये भी सरकार ने मांग रखी है और कहा है जो इस बारे में स्कीम है वे हम ने गवर्नमेंट आफ इन्डिया को भेजी हुई है । अच्छा होता अगर वे स्कीम हमारे सामने विधानसभा में भी आती ताकि हम उन को देख लेते कि सरकार जो स्कीम बना रही है उन से कैसे और कितनी ऐजुकेटिड और रूरल अनएम्पलायमेंट दूर होगी और उनके बारे में हम भी अपने सुझाव सरकार के सामने रखते । पिछले सात साल के फिगरज तो यह बताते हैं कि सरकार इस बारे में अब तक कुछ कर नहीं सकी है । आज भी सैटर से पैसा आ रहा है तो ये स्कीम हमारे सामने आ रही है और उनके लिये पैसे की मंजूरी ली जा रही है मैं इस बारे में सरकार से कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बनाने और इलैक्ट्रिकल गुड्स बनाने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिये और इस के लिए रूरल एरियाज में ट्रेनिंग सैटर्ज खोले जाये । ऐसा करने में हरियाणा के किसानों को सब से ज्यादा फायदा हो सकता है । हमारे प्रांत की ज्यादा आबादी जरायती लोगों की है । आज उनकी जमीने लैंड सीलिंग ऐक्ट के तहत और कम कर दी गई है । एक तरफ तो उनकी जमीन कम कर दी गई है दूसरी तरफ किसानों के परिवार बढ़ रहे हैं । तीस एकड़ के किसान के पांच बच्चे हैं तो एक एक के हिस्सा

मे छः एकड़ जमीन आती है । खेती कम हो गई है और उन के बच्चों में अनएम्प्लायमेंट आ रही है । इसलिये मैं अर्ज करता हूँ कि अगर सरकार इस अनएम्प्लायमेंट को दूर करना चाहती है तो सरकार हर 10/15 गांव के अन्दर ऐसे ट्रेनिंग सैटर्ज खोले जहां पर इलैक्ट्रिकल और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंटस बनाने की ट्रेनिंग दी जाये ताकि लोग अपनी छोटी छोटी मशीने लगा कर छोटी मोटी चीजे बनाये और फिर उन पार्टस को शहरो में ला कर उनको वंहा जोड़ कर चीजे तैयार की जाये । इससे लोगो को एम्प्लायमेंट मिलेगी । फिर यहां जिकर किया गया है कि हैडक्वार्टर पर एक सैल कायम करने की कोशिश की जा रही है । इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सैल 9 बजे से 5 बजे तक बैठगी और फाइलो पर नोट पुट अप करने का काम करती रहेगी और मसला वैसे का वैसे ही रहेगा । मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सैल में एक कमेटी उन लोगो की बनाकर रखी जाये जो इन्डस्ट्री से ताल्लुक रखते हो ताकि सुचारु रूप से काम चल सके (घंटी) इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जिसका कल बहुत सारे मैबर साहिबान ने जिकर भी किया था लेकिन मैं उसे दोहराना नहीं चाहता मगर मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज टूरिजम पर जितना रूपया खर्च किया जा रहा है वह इस लिये किया जा रहा है कि बाहर से लोग आये, यहां आकर सैर किया जा रहा है और झीलो पर जशन मना कर चले जायें लेकिन इस मद्द में एक बात का जिकर आया है जिसके बारे में कल भी काफी यहां पर जिकर किया गया । हमें हैरानी हो रही है कि हम बाहर

के लोगो को हरियाणा मे सैर के लिये आने के लिए इनवाइट करते है लेकिन खुद बाहर जाकर मसूरी मे रैस्ट हाउस खरीदने की बाते कर रहे है । यू0पी0 के अन्दर राजधानी मे अगर मीटिंग्ज बगैरा अटैड करने के लिये जाना हो तो ठीक है वहां रैस्ट हाउस हो सकता है लेकिन मै पूछना चाहता हूं कि मसूरी मे रैस्ट हाउस किस लिये खरीदा जा रहा है और वहां पर यह इतना रुपया क्यों वेस्ट किया जा रहा है । वहा इसकी क्या जरूरत है ? यह पैसा इस तरह से वेस्ट करने की बजाये सड़को पर लगाया जा सकता है और दूसरे जो बहबूदी के काम है उन पर जन भलाई के लिये खर्च किया जा सकता है (घंटी) । मै अभी खत्म किये देता हूं । मै एक बात और अर्ज करना चाहता हूं । इसके अन्दर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और डी0सीज0 को अकमोडेशन प्रोवाइड करने के लिये रुपया मांगा गया है । मै सरकार से कहना चाहता हूं कि भिवानी और हिसार के अलावा और जिले भी है जहां पर अकमोडेशन नही है आप देखे कुरुक्षेत्र का जिला बना है लेकिन वहां का जुडीशियल मैजिस्ट्रेट करनाल मे ही बैठा है । कहा गया कि यह जो जिला बनाया है यह लोगो के फायदा के लिये बनाया गया है और लोगो को सहूलियते देने के लिये बनाया गया है लेकिन हालात यह है कि कोर्टस करनाल मे बैठी है और लोग कुरुक्षेत्र मे बैठे है । तो मै अर्ज करता हूं कि जहा यह बात भिवानी के लिये की जा रही है वंहा यह चीज कुरुक्षेत्र मे भी की जाये । (घंटी) तो इन बातो के साथ मै सरकार से कहूंगा कि यह ठीक है कि सदन मे आपका बहुमत है इसलिये यह बिल पास हो जायेगा लेकिन मै

सरकार से कहूंगा कि जो वायदे आप लोगो के साथ करते है ओर किये हुये है उनको इस बिल के जरिये पूरा करने के लिये काम करे । इन शब्दो के साथ मे अपना स्थान लेता हूं ।

चौधरी मेहर चन्द(बड़ोपल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज सदन मे ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बहस हो रही है और मै भी इस पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । इस बिल मे जो प्रोविजन रखे गये है वह ज्यादातर डिवैल्पमैट वर्कस के लिये रखे गये है लेकिन मेरे इन भाईयो ने इस बात को कतन इनगोर कर दिया है और नुक्ताचीनी करते वक्त इस बात की तरफ कोई ध्यान नही दिया । मै मानता हूं कि अपोजीशन को नुक्ताचीनी करने का हक है और नुक्ताचीनी होनी चाहिये ताकि गवर्नमैट को अपनी जगह पर रखा जाये लेकिन नुक्ताचीनी ठीक ढंग की और कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए । नुक्ताचीनी करने का मतलब यह नही कि जो काम सरकार अच्छे करती है और कर रही है उनको भी नुक्ताचीनीकी जाये और ऐसी नुक्ताचीनीसही नुक्ताचीनीनही रहती और उसमे कोई वजन नही रहता । (विधन) डिप्टी सपिकर साहिबा, आप इन भाईयो से कहे कि जार खामोश रहे और सबर से सुने । मुझे इनकी इस बात से मजबूर कर दिया है कि मै एक शोर कह दूं । मै अर्ज करता हूं :-

बातिल से डरने वाले आसमान नही हम,

सौ बार कर चुका है तू इम्तिहान हमार ।

आप क्या बाते करते है ? हमारे सामने आपके दयाल और लाल आ लिये और वे हम ने देख लिये हम क्या समझते है आपको ? मै शेर कहता हूं :-

दयाल और लाल सब आजमा चुके है सयासी मैदान हमारा,

कोई और भी आउगा के देख ले नगे जनु हमारा ।

हम आपके बाजू आजमा चुके है आप क्या बात करते है ? (विधन) मेरा मतलब आपके दयाल और लाल से है हमारे लाल की क्या बात हमार लाल तो जवाहर है ।...

Deputy Sparker: I would request the Hon, Member to please address the Chair,

Chaudhri Mehar Chand: I am addressing you. But , kindly stop him. He Should not interfere.

Deputy Speaker: I will not allow that.

चौधरी मेहर चन्द: कल यहा पर जिकर आया कि इस बिल के अन्दर जो रूपया मांगा गया है वह कही मंसूरी की तरफ चला गया लेकिन इन दोस्तो ने यह नही सोचा कि इसके अन्दर बेशतर रकम जो रखी गई है । जहां तक स्टेट की डिवैल्पमेंट का ताल्लुक है, इरीगेशन का होना, नहरो का बनना बहुत जरूरी चीज है । मै यह कहने के लिए तैयार हूं कि पानी के लिए जो भी रास्ते अपनाये जा रहे है स्टेट मे डिवैल्पमेंट करने के लिये, नहरो

कोपैरिनियल करने के लिए सारे हिन्दुस्तान में नहीं है । इससे बेहतरीन रास्ते और कोई नहीं हो सकते, हमें इनकी कदर होनी चाहिए । यह कहना कि नहरों से कोई डिवलपमेंट नहीं हुईए गलत बात है । कोई इन हिस्सों को चैलेज तो करे जो सरकार ने पेश किये हैं ? ये इन हिस्सों को चैलेंज करते ही नहीं और यू ही कर देते हैं कि डिवलपमेंट नहीं हुई । डिपटी स्पीकर साहिबा, क्या कभी इन मेहरबानों ने, इन नुक्ताचीनों ने देखा है कि 1968 से लेकर आज तक हरियाणा में इरीगेटिड एरिया कितना है, और कितना इजाफा हुआ है ? मेरे ख्याल में मैं तो यहां तक कह सकता हूँ कि सिर्फ इसी प्वायंट के उपर गवर्नमेंट को जितनी दाद दी जाए उतीन की कम है । जिस दिन से यह सरकार पावर में आई है उस दिन से 13 से 14 लाख एकड़ जमीन का इरीगेशन में इजाफा हुआ है मेरे ये भाई इस बात को क्यों भूल गए हैं ? मेरे एक मोहररिम दोस्त ने एक बात का जिक्र किया, मैं उनकी कदर करता हूँ कि उनकी तरफ से किटिसीजम हुआ, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने आगमैटेशन कैनल के बारे में कितनी दफा कहा? वे बड़े पुराने पालियामैटेरियन हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर रह चुके हैं और सारे हरियाणा को डेस्टिनी को गार्ड करने की बात करते हैं । मैं उन से पूछना चाहता हूँ कि अगर आगमैटेशन कैनल न बनाई जाती तो जुई कैनल पैरिनियल कैनल कैसे बनती है ? हमें कोई तो साधन बताएं जो पानी की कमी को पूरा करते ? क्या हम आगमैटेशन कैनल को छोड़ कर आसमान से पानी लाते ? आज हरियाणा के चारों तरफ

ऐसे भाई बैठे हुए हैं जो हरियाणा की ज्यादा तरक्की नहीं देखना चाहते । मैं यह दावे से कहने के लिए तैयार हूँ कि वे हरियाणा की तरक्की देखना नहीं चाहते क्यों कि वे इतने लिबरल नहीं हैं । इसलिए हमें पानी पैदा करने के लिए साधन अपनाने पड़ेंगे । अगर अंडर ग्राउंड वाटर को ऐक्सप्लायट न किया जाता तो आज तो तरक्की हो रही है यह कैसे होती ? यह गलत बात है जो ये कह रहे हैं कि रूपया बरबाद किया जा रहा है । मुझे इस बात का अफसोस है कि चौधरी हरद्वारी लाल जी इस वक्त हाउस में नहीं हैं, अगर वे होते तो मैं एक ही शब्द में उन के पैम्फ्लैट, उनकी बुकलैट का जवाब दे देता लेकिन मैं अब भी दूंगा मैं जानता हूँ कि इस हाउस की सारी बातें पढ़ेगा । हम पैम्फ्लैट और बुकलैट से डरने वाले नहीं हैं । मैं उनके मुताल्लिक कोई गिला नहीं करता, मुझे यह भी गिला नहीं कि उनकी रूलिंग पार्टी परवाह करती है या नहीं करती(व्यवधान)

चौधरी दल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, सह जो फरमा रहे हैं , यह कौन से बिल पर बोर रहे हैं(व्यवधान)

चौधरी मेहर चन्द: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपकी मारफत इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ । इन्होंने बिल का नाम पूछा है मैं बोल रहा हूँ। डिवैल्पमेंट फेज के उपर जिस का चौधरी हरद्वारी लाल ने अपनी बुक –लैट में जिक्र किया है कि हरियाणा में कोई डिवैल्पमेंट नहीं हुई है वे अपने सीने पर हाथ रख कर कहे कि डिवैल्पमेंट हुई है या नहीं(व्यवधान)

दल सिंह जी, जो इनकी हिमायत के लिए खड़े हो गए आप एक ही बता लिख कर ले जाइए ,अगर लिखना नहीं आता तो मैं लिख कर दे दूंगा और उनको बता दे कि ----

नहीं शिकवा हमें कुछ बेवफाई का तेरी हरगिज,

गिला तब हो अगर तूने किसी से भी निभाई हो ।

एक सदस्य: यह आपके उपर लागू होता है

(व्यवधान)

चौधरी मेहर चन्द: यह मेरे पर लागू नहीं होता,यह कहना कि इनकी जेब में है,यह हंड्रैड परसैंट आप के उपर अप्लाई करता है.....(व्यवधान) हम गीदड़ नहीं है जो यू आ डरा लेगे इन धमकियों से कोई नहीं डरता ।(व्यवधान) (शोर) ये जनसंघ वाले तो अकालियो की जेब में है । अगर हरियाणा का सबसे बड़ा दुशमन है तो वह जनसंघ है जो अकालियो की जेब में होती है । अकालियो की जेब में रहने से हरियाणा नहीं पनप पायेगा और ये हरियाणा की बदनामी करने वाले है । जनसंघ कहता है कि इंडस्ट्रीज के कोटे खाये है, कोर्ट तो आपने खाये है जिस वक्त राव विरेन्द्र सिंह की गवर्नमेंट थी । वह दिन की बदनामी थी जिस दिन राव साहब ने जनसंघ के साथ अलायंस की थी । आप कोर्ट का जिक्र करते है, उस वक्त सारा कोटा तो आप हड़प गये,सारे हरियाणा को खा गए....

चौधरी फूल चन्द (रोहट): आन ए प्वायंट आफ आर्डर । इन्होंने कहा है कि जनसंघ सारे हरियाणा को खा गया लेकिन यहा तो दो चोर मौके के बैठे है(हंसी)

Deputy Speaker: I will request the Hon'ble Member that he should address the Chari and not the Members.

Chaudhri Mehar Chand: I will be jolly glad. I am looking towards you, madam. डिप्टी स्पीकर साहिबा, चौधरी चान्द राम जी ने कल कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन यहां पर अक्सर नाम लिया जाते है । मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मैंन रूलज का पालन करना सीखा है, सारी उम्र सर्विस मे रहा । मैं रूलज की पाबन्दी से बाहर इस लिए जाता हूं क्योकि कुछ मैम्बर मुझे इस पाबन्दी से बाहर जाने के लिए मजबूर कर देते है और इसके इलावा मे किसी से डर के चल नहीं सकता, यह मरी खसलत है । कल चौधरी चान्द राम ने एक अजीब सी बात कही कि हरियाणा मे ट्रैक्टर्ज आ गए है इस लिए हरियाणा तबाह हो जाएगा, उन-ऐम्पलायमेंट हो जाएगी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपकी मारफत उन से पूछना चाहता हूं और जब उनको हाउस मे बोलने का मौका मिले तो कम से कम मेरी बात का जवाब जरूर दें । बात यह है कि जब ऐग्रीडस्ट्रीज करापोरेशन हरियाणा मे बनी थी उस वक्त इन्ही हजरत मे उसकी नींव रखी थी, इन्ही ने फाउडेशन ले किया था जब से वक्त ये कहते थे कि ट्रैक्टर्ज को मैनुफैक्चर किया जाए, ये इस चीज को क्यो भूल जाते है और ऐसा क्यो कहते हे कि ट्रैक्टर्ज के बनने से हरियाणा तबाह हो

जाएगा ?(व्यवधान) मैं झोली चुकने की बात नहीं कहता ।(हंसी) यह गलत बात है । बंसी लाल ने सारे हरियाणा की डिवैल्पमेंट की है और ये अपने आपको बंसी लाल से कम्पेयर करते हैं ? जो अच्छे काम किये हैं उन को कंडैम करना शुरू कर दिया ।

एक सदस्य: चौधरी चान्द राम जी आ गए हैं
(व्यवधान)

चौधरी मेहर चन्द: मैं जनसंघ वालों के बारे में झोली चुक वाली बात कह देता हूँ । एक शेर और याद आ गया । राम लाल जो पता नहीं कहा से शेर कापी करके ले आये थे

उपध्यक्ष: आपका टाईम जा रहा है शेरों पर मत जाँए.....
(व्यवधान)

चौधरी मेहर चन्द: यह जो कहते हैं कि कोर्ट खा गए, इस के बारे में कहना चाहता हूँ । ये पता नहीं क्या क्या हड़प कर गए ? इन जनसंघी भाइयों का नजरिया तो यह है डिप्टी स्पीकर साहिबा कि—

जिन्दगी सोज रहे यह साज न हो पाए,

दिल तो टूटे मगर आवाज न हो पाए । (विधन)

आप हमें गला घोटकर नहीं मार सकते हैं आपका नजरिया तो ऐसा है जैसा कि मैंने कहा है । जरा अपने दिल को

टटोलो । डिप्टी स्पीकर साहिब, जनसंघ की दो मूर्तिया आनरेबल मैम्बर्ज जो यहा बैठे है उनसे मे एक बता कहूगा कि

जाहिर मै तो हूब्ल बतनी की बाते ।

बातन मे है यह आराजनी की बाते ।

तुम्हारी खसलत तो यह है कि तुम्हारे सीने के अन्दर आरा लगा हुआ है । आप इस हरियाणा को काटना चाहते है लेकिन यह कटेगा नही,यह फलेगा । क्यो फलेगा फूलेगा ?इसके वास्ते मै यह बात कहता हूं कि

हम परवानो की सूरत शमाए वतन पे जलते हे ,

वतन के बलबले हमारे सीने मुजतिर मे पलते है ।

आप इसे क्या मिटाएगे ?दूसरी बात यह है कि --

हम आफतो मे सदा मुस्करा के निकले है ,

अपनी राहे खुद बना के निकले है ।

चौधरी दल सिंह: आन ए प्वाइंट आप आर्डर डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै यह जानना चाहता हूं कि क्या मै ... है या है या ड्रामेटिक पार्टी के इन्चार्ज है? Something is there. डिप्टी स्पीकर साहिबा, हाउस की आप कई कमेटियां बनाते है एक ड्रामैटिक कमेटी बनाकर इन्हे उसका इंचार्ज बना दिया जाए । यह हमारी सुजशौन है ।

Deputy Speaker: This is no point of Order. He is speaking on development of the State.

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर बोलकर इनके दिल को खुशी होती है तो बोलने दीजिए ।

चौधरी शिव राम वर्मा: जहां रामायण का पाठ हो रहा था वहां कोई न कोई आ ही जाता है ।

चौधरी मेहर चन्द: डिप्टी स्पीकर साहिबा, शब्द अनपालियामैटरी है जो का लफ्ज इन्होंने कहा है इसे ऐक्सपंज कर दिया जाए ।

चौधरी राम लाल वधवा: शब्द अनपालियामैटरी है तो प्रचार मंत्री लिख लीजिए ।

उपाध्यक्षा: चौधरी दल सिंह ने जो का शब्द इस्तेमाल किया है वह ऐक्सपंज कर दिया जाए ।

चौधरी दल सिंह: मैं तो स्वयं ही वापस ले लेता हूं ।

श्री अमर सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा एक प्वायंट आप आर्डर है ओर उस पर मैं आपी रूलिंग चाहता हूं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा विधान सभा कोई कुतुबमीनार नहीं है । यहां तो ज्यादा से ज्यादा एक दो शेर कहे जा सकते हैं । ज्यादा शेर कहने के लिए तो ठीक रहेगा यदि कोई मुशायरा रख दिया जाए ताकि खुलोदौर चल सके ।

Deputy Speaker: Shri Amar Singh Jee, this is no point of Order. I say, this is Assembly and you should not say any thing else. (Interruption)

चौधरी मेहर चन्द: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका बहुत शुकगुजार हूँ कि आपने वह वाला शब्द ऐक्सपंज कर दिया है लेकिन मैं चौधरी दल सिंह जी को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने तो मुझे ... शब्द प्रयोग किया है पर इन्हें पता नहीं कि मैं क्या चीज रीकायल कर दूंगा जिसको ये सह नहीं सकेंगे । He Should not behave in such a manner. He is a responsible Member.

चौधरी शिव राम वर्मा: "झोली चुक" तो इन्होंने माना है, वह लिखा जाना चाहिए ।

चौधरी मेहर चन्द: मैंने ऐसा नहीं कहा । मैंने अटिसाईज किया है । आप गलत ब्यानी भी करते हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होंने कहा कि हम इनको अपनी कैबिनेट में मंत्री बना देंगे । मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़कर कुछ और भी बनाए तो भी मैं उस चीज को ठोकर मारता हूँ ।

चौधरी राम लाल वधवा: अगर कभी हमारी कैबिनेट बनी तो हम तो आपको भी नहीं बनाएंगे (विधन)

चौधरी मेहर चन्द: हम भी नहीं बनाते आपको । (विधन) डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह इनका हाउस के अन्दर क्या तरीका है ? ये खुद तो कोई बात कह सकते हैं लेकिन बरदाशत

नहीं कर सकते । जब इनको जरब और हथौड़ा लगाया जाता है तो पीटते हैं ।

सहकारिता एवम स्थानीय प्रशासन राज्य मंत्री (चौधरी गोवर्धन दास चौहान): मैडम, डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक आनरेबल मैम्बर के लिए शब्द इस्तेमाल करना अनपालियामैंटरी है । इस ऐक्सपंज कर दिया जाए और आयंदा एक आनरेबल मैम्बर के लिए यदि ऐसे लफ्ज इस्तेमाल न किए जाएं तो अच्छी बात होगी ।

चौधरी राम लाल वधवा: इन्होंने पहले कहा कि हम..... नहीं बनाएंगे ,इसलिए मैंने कहा । मैंने पहले नहीं कहा था ।

चौधरी मेहर चन्द: मैंने यह लफ्ज नहीं कहा ।आपकी ऐसा कहने की आदत है । सभी तो आप हाउस में रेप्रिमेंड होते हैं (विधन)

Deputy Speaker: The word should be expunged from the proceedings.

चौधरी मेहर चन्द: डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप इन दोनों जनसंधियों को कह दीजिए कि ये इस तरह की बातें न किया करे । मैं तो इन्हें आनरेबल मैम्बर कहता हूँ लेकिन ये इस तरह की बातें करते हैं ।

चौधरी शिव राम वर्मा: डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्या जो बातें इन्होंने कही वे सब रैलेवैट कहीं? इतने समय में तो दो तीन मैम्बर्स और बोल सकते थे ।

चौधरी राम लाल वध्वा: क्या ये ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोले है ?

Deputy Speaker: Please take your seat. it is my job to see to it Chaudhri mehar Chand jee wind up your speach please.

चौधरी मेहर चन्द: डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि जनसंधियों के दिल पर काफी बोझ पड़ गया होगा। अब तो मैं केवल एक ही बात कह कर अपनी जगह ले लूंगा। वह बात भी मैं इन्हीं को समझाने के लिए कह रहा हूँ। परमात्मा इनको अकल दे ताकि एक चीज ये मरे से लेकर जाए। वह चीज भी मैं शेर में ही कहूंगा वह है कि

तसवीरे हरियाणा हमारे दिल और जिगर में रहे,

यह नाम हमारे तन और मन में रहे।

यह सबक आप मेरे से लेकर जाओ, यह नहीं कि यह हो गया और वह हो गया।

चौधरी राम लाल वध्वा: इससे हम सहमत हैं(विधन)

श्री के एन० गुलाटी (फरीदाबाद): माननीय डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे सामने यह ऐप्रोप्रिएशन बिल है। मैं इसकी तार्किक करता हूँ लेकिन साथ साथ यह कहना चाहता हूँ कि मैं महसूस करता हूँ कि इस थोड़े से चाल सात के अर्से में हरियाणा सरकार ने जो चौधरी बंसी लाल की लीडरशिप में काम किया है वह एक

सच्चाई है । यह कोई कहने की या खमखह की बात नहीं है । आज जंहा भी हम जाते हे लोग कहते हे कि हरियाणा मे गुलाटी साहब काम हुआ है मै कोई तारीफ की बात नहीं कर रहा बल्कि यह एक सच्चाई है कयो कि

सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलो से,

खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलो से ।

मै इतना कहना चाहता हूं कि जब इतना खर्च हम कर रहे है तो अगर मै अपने हल्के की डिवैल्पमेंट के बारे मे यहां न बोलू तो हल्के के साथ बेवफाई होगी । एक महीना पहले चीफ मिनिस्टर साहब फरीदाबाद मे आए थे और वंहा इन्होने बडै फरख के साथ कहा था कि फरीदाबाद को तीन साल के अन्दर अन्दर मै ऐसा बना दूंगा कि तीन साल बाद देखने वाला इन्सान महसूस करेगा कि वाक्या ही कैसा फरीदाबाद बन गया है इसके बाद मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अगर हाउस मे मै बोलू नहीं तो अपने इलाके से बेवफाई होगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपकी मार्फत मै अपनी हरियाणा सरकार से इतान कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के के अन्दर 109 गांव है । जितनी तेजी से वहां काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है लकिन हुआ जरूर है इससे मै इन्कार नहीं करता । मै इतना चाहूंगा आपकी मार्फत कि हमारे 109 गांव है वहां पर डिवैल्पमेंट का काम तेजी से शरू किया जाये । मेरे इलाके मे पाली रोड है वह बाकी पडी हुई है

। पिछले साल भी इस रोड के बारे में यह आश्वासन दिया गया था कि छ महीने में पूरी हो जायेगी । मैं यह मानता हूँ कि फण्डज की कमी है लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने यह एश्योरेंस दी थी कि यह जल्दी से जल्दी बनवा दी जायेगी । मैं आपकी मार्फत यह कहना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार अपनी पी0डब्लू0डी0 को तेज करे, कम से कम इस सड़क का जो कि बनानी शुरू की हुई है जल्दी से पूरा किया जाये । चीफ मिनिस्टर साहब ने जो एश्योरेंस दी उसको तो पूरा करें ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं सदन में वाटर और सैनिटेशन की बाबत भी जिकर करना चाहता हूँ । यहां हाउस भी यह महसूस कर रहा होगा कि अभी तक फरीदाबाद के मच्छरो का जिकर नहीं आया ता मैं उनाक भी यहां जिकर करना चाहता हूँ फरीदाबाद में जितने भी मेम्बर ओर मिनिस्टर गये हैं उन्होंने यह महसूस कर लिया है कि वहां पर मच्छर बहुत ज्यादा है और वे मच्छर अब मोटे ही होते जा रहे हैं अर्थात् बढ़ते जा रहे हैं । इन मच्छरो को खत्म करने के लिए सीवरेज स्कीम फरीदाबाद में बहुत जल्दी शुरू की जानी चाहिए । मैं आपके द्वारा अफसरान के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि फरीदाबाद में सीवरेज स्कीम सन 1960 में शुरू हुई थी आज 13 साल हो गये हैं परन्तु वह कम्पलीट नहीं हो पायी है । मैं मानता हूँ कि हरियाणा सरकार बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है उनकी नीयत भी बड़ी साफ है तो मैं खस तौर से पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता

हूं कि जो कम वहां पर अधुरा छोड़ दिया है उसको जल्दी से पूरा किया जाये । फरीदाबाद में वाटर स्कीम और सीवरेज स्कीम पब्लिक हेल्थ को जल्दी से जल्दी पूरी करनी चाहिए । यदि सरकार ऐसा कर देगी तो बड़ी मेहरबानी होगी ।

अभी अभी कुछ दिन हुए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब फरीदाबाद में गये थे उन्होंने वहां कहा था कि 500 वैड्ज का हस्पताल बनना चाहिए । मैं उनका बहुत मश्कूर हूं लेकिन जो सैक्टर 23 और 24 में जगह दी है उससे मजदूर फायदा नहीं उठा सकते हैं । मैं आपकी मार्फत सरकार से विनती करना चाहता हूं कि हमारे फरीदाबाद में गोल्फ क्लब है जिसके पास सौ एकड़ के करीब जमीन है । वह जमीन कोई भी काम नहीं आती है । वहां पर केवल एक कमरा बना हुआ है वहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिसट्स आ कर खेलते हैं और मनोरंजन करते हैं उस जगह पर बहुत बड़ा हस्पताल बनाया जाना चाहिए । फरीदाबाद में एक मैडिकल कालेज, एस0एस0सी0 तक का कालेज और एक बी0एड0 कालेज सरकार की ओर से बनाया जाना चाहिए । ऐसा कर देने से हरियाणा का नाम भी उंचा होगा और फरीदाबाद जो कि हरियाणा का दिल है इसमें उसकी भी शान है ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं आपकी मार्फत एजुकेशन के बारे में भी कहना चाहता हूं । टाउनशिप फरीदाबाद के स्कूलों में पांच लाख रूपया जमा हुआ हुआ है वह अभी तक खर्च नहीं हुआ है और पांच लाख रूपया ही फरीदाबाद कम्पलैक्स देगा जो

खर्च करना है । इसलिए यह स्कीमे जल्दी से इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े ढग से नरवाना मे 11 नवम्बर,1973 को कहा है कि हम प्रोफैशनल टैक्स खत्म नहीं कर सकते है क्यो कि उससे हमे चालीस लाख रूपया रैवैन्यू आता है मै आपको द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब को यह सुझाव देना चाहता हूं कि चालीस लाख रूपया आप प्रोपर्टी टैक्स मे पूरा कर ले प्रोफैशनल टैक्स को प्रोपर्टी टैक्स मे मर्ज कर दे तो उससे पचास लाख साल की आमदनी हो सकती है । दूसरे प्रौपर्टी टैक्स सैल्फ औन्डा मकान के लिए माफ होना चाहिए क्योकि अगर कोई दो तीन कमरे वाला भी एक कमरे का किराये दे देता है तो उस पर भी टैक्स लग जाता है लेकिन जिसके पास 5,10, और 15 कमरे वाली कोठिया होती है उन पर नहीं लगता है । उन का माफ हो जाता है । मै एक सुझाव देना चाहता हूं कि तीन कमरे वाले का प्रौपर्टी टैक्स माफ होना चाहिए । अगर बड़े बड़े मकानो वालो पर यह प्रोपर्टी टैक्स लग जाये तो पचास लाख रूपया वसूल हो जायेगा । अगर प्रोफैशनल टैक्स माफ हो जायेगा तो जनता खुश हो जायेगी क्योकि सारे देश मे ही प्रोफैशनल टैक्स नहीं है केवल हरियाणा मे ही है इस तरह से करने पर हरियाणा से भी खत्म हो जायेगी ।

इसके साथ साथ हाउस टैक्स को खत्म करके जो लोकल बाडीज का टैक्स है उसको आक्ट्राय मे मर्ज कर दिया जाये । हाउस टैक्स के फिर नोटिस देने पडते है लेकिन आक्ट्राय से आपको इन्कम कैश है । जितना हाउस टैक्स आपको आता है उतनी ही परसैन्टेज आक्ट्राय मे बढा कर ले लिया जाये । ऐसा करने ये यह दो जगह का टैक्स खत्म हो जायेगा,रेशनेलाइजेशन आफ टैक्स और रेशनेलाइजेशन आफ इन्सपैक्टर्ज हो जायेगी यह मेरा सुझाव है इसलिए इसको मान लिया जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मै एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे मे कहना चाहता हूं हमारे यहां हरियाणा मे मदर टीचर्ज काम कर रही है । वे 100 रू० माहवार पार्ट टाईम काम करती है । उन्होने टीचर्ज की स्ट्राइक के टाईम पर भी काम कर रही है उन्होने उस टाईम पर बडी वफादारी से काम किया था । अब वे फुल टाईम काम कर रही है लेकिन उनको तन्खाह पार्ट टाईम टीचर्ज की मिल रही है । इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको रैगुलर बेसिज पर और टीचर्ज की तरह से ले लिया जाये । फरीदाबाद मे 8-10 टीचर्ज है जिन्होने स्ट्राइक पीरियड मे काम किया है लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी अप्वायटमेंट लैटर्ज नही भेजी है । डिपार्टमेंट से अपील भी की है लेकिन उनको यह कहा गया कि हम 25 अगस्त , 1973 के बाद नही लगा सकते है । अब उन्होने फिर दुबारा अपील कर दी ओर डी०ई०ओ० आफिस

वालो ने भी रिकमैन्ड कर दिया है इसलिए उनको सर्विस मे ले लिया जाये ।

जे0बी0टी0 गर्ल्ज होस्टल है । वह होस्टल बिल्कूल अन सेफ है उसके चारो तरफ खाली जगह पडी है । उस होस्टल की हालत बहुत खराब है । उस तरफ भी ऐजुकेशन डिपार्टमेंट की तवज्जुह देनी चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे फरीदाबाद कम्पलैक्स मे तीन शहर शामिल है एक फरीदाबाद ओल्ड, फरीदाबाद टाउन शिप और तीसरा है बल्लगढ । फरीदाबाद टाउनशिप मे काम करने वाले गवर्नमेंट ऐम्पलाई को तो हाउस रेंट मिलता है परन्तु जो फरीदाबाद ओल्ड और बल्लभगढ मे काम करते है उनको हाउस रेंट पूरा नही दिया जाता है । उनके साथ बडी बे इसाफी है । इसलिए मेरा निवेदन हे कि उनको हाउस रेंट मिलना चाहिए ।

मै आपके द्वारा ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे मे भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारे यहां फरीदाबाद तहसील मे एसे डी0ओ0 आफिस मे स्टाफ बहुत कम है लेकिन वहा पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है गुडगांव डिस्ट्रिक्ट मे जितने भी तहसील आफिस है वहां पर स्टाफ ज्यादा है इसलिए फरीदाबाद कम्पलैक्स मे वर्क लोड को देखते हुए वहां पर स्टाफ ज्यादा दिया जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी अभी एक सवाल के जवाब मे बताया गया कि गवर्नमेंट गर्ल्ज हायर सैकन्डरी स्कूल मे स्टाफ

पूरा है । हमारे महबूब चीफ मिनिस्टर साहब भीसदन मे आ गये है । उनको नोटिस मे भी मै यह लाना चाहता हूं । मेरे नालेज के मुताबिक तो वहां स्टाफ कम है वहां पर 17 टीचर्ज कम है । वे टीचर्ज सब इम्पोटैन्ट मजबून के कम है । इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर पूरा स्टाफ दिया जाये । हमारे यहां फरीदाबाद मे एक ऐडमिनिस्ट्रेटर भी कम है और एक एस0डी0ओ0 भी कम है इसलिए वे भी जल्दी से लगाये जाने चाहिए । मै अपने महबूब ओर हरदिल चीफ मिनिस्टर साहब से यह नम्रतापूर्वक अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहां हरियाणा मे डिवैल्पमेंट का काम बडी तेजी से हो रहा है और गवर्नमेंट के ऐम्पलाइज बडा अच्छा काम कर रहे है । चीफ मिनिस्टर साहब स्वय भी मानते है कि अच्छा काम कर रहे है । इसलिए मेरी गुजारशि है कि उनकी डी0ए0 की जो एक किस्त बाकी रह गयी है वह भी दे दी जाये । ऐसा सरकार कर देगी तो बडी कृपा होगी ।

इस प्रकार से सोशल वैल्फैयर डिपार्टमेंट मे जो टैम्परेरी स्टाफ है उनको भी पक्का कर दिया जाये ।

एक बात पुलिस डिपार्टमेंट के विषय मे कहना चाहता हूं । हमारे यहां तीन थाने है । एक बल्लभगड मे , दूसरा सैक्टर 15 मे और तीसरा सैक्टर पांच मे है लेकिन उनक साथ जो विलैजिज लगते है या जो भी एरिया लगते है उनकी अलाटमेंट बहुत गलत हुई है डिविजन आफ वार्डज ठीक नही हुई है इसलिए उसे दोबारा किया जाये ।

मैं यह भी निवेदन कर दूँ कि फरीदाबाद को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाना चाहिए । कई को तो यह एतराज भी है कि फरीदाबाद कैपिटल क्यों बने क्यों कि वे तो उसके डिस्ट्रिक्ट बनने में भी खुश नहीं हैं अगर फरीदाबाद को डिस्ट्रिक्ट ही बना दिया जाये तो इससे हरियाणा का नाम उचा होगा । मैं चाहता हूँ कि हरियाणा में दस ही डिस्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए बल्कि फरीदाबाद और सिरसा भी जिला बनना चाहिए । यहां पर किटिजिसम किया गया कि मंसूरी में रैस्ट हाउस खरीदने की क्या जरूरत थी? यह गलत किटिजिसम है । मैं तो चाहता हूँ कि बम्बई और कलकता में भी रैस्ट हाउस होना चाहिए । इससे हरियाणा की शान बनती है सारे हिन्दुस्तान में शान बढ़ती है हरियाणा रैस्ट हाउस जगह जगह पर होने चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, गुडगाव में लेडिज पुलिस भी होनी चाहिए । हमारे यहां पर एक वीडोज होम है उसकी अलाटमेंट का काम अभी बाकी है । वह भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम है इसलिए वह भी जल्दी से किया जाना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा रोड़वेज हमारे हरियाणा में बड़ी तरक्की कर रही है फरीदाबाद हरियाणा में सबसे बड़ा शहर है वहां पर बहुत लेबर एरिया है वहां पर पब्लिक की बसों की कमी के कारण बहुत बड़ी तकलीफ है । दूसरे कम से

कम एक डिलैक्स बस फरीदाबाद से चण्डीगढ भी चलायी जानी चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै इस बिल की पूरी पूरी ताईद करता हूं ओर यह भी कहता हूं कि हरियाणा सरकार बडे ठीक ढग से काम कर रही है कभी कभी गलतिया भी होती है लेकिन वही बात है

गिरते है शह सवार मैदान जंग मे,

वे तिफल क्या गिरेगे जो घुटने के बल चले ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योकि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): डिप्टी स्पीकर महोदया, सप्लीमैट्र डिमान्डज के उपर कल भी बहस हुई और आज ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बहस चल रही है।(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) हमारे सदन के कई साथियो ने कुछ बाते कही, लेकिन स्पीकर साहब आपने देखा होगा कि किसी के पास कहने को कुछ नहीं था । हा, कुछ लोगो ने कोशिश की, इस बात की कि वे सरकार के खिलाफ कुछ कहे और सरकार के लिखाफ कुछ कहना वे अपना फर्ज समझते है इसीलिये सरकार के खिलाफ कुछ कह रहे है । हरिजनो की जमीन के बारे मे कहा गया । स्पीकर साहब, किसी हरिजन को सरकार ने अपरूट नहीं किया और हरिजनो को ज्यादा ये ज्यादा जमीन दी गयी । जो लोग आज

हरिजनो की वकालत करते है, अगर पुराने इतिहास मे हम जाये तो स्पीकर साहब, आप देखेगे कि जो लोग आज हरिजनो की वकालत करते है उनका प्रोफेशन रहा है हरिजनो से चन्दा करके खाने का उनके पास पाच पांच सात सात , हजार रूपये महीने का खर्च है । न उनकी कोई इंडस्ट्री है न कोई फैक्टरी है, न कोई बात है, और 5-5,7-7 हजार रूपये महीने का खर्च है, बडे बडे चौधरी बने फिरते है । यह कैसे चलता है? यह इस तरह चलता है कि हमारे हरिजन भाई जो है वे गरीब है । उनको एक बात सिखा कर ले जाते है कि जो आदमी दिल्ली चला जायेगा ,सत्याग्रह मे अपना नाम लिखवा आयेगा,और साथ ही जो चन्दा देगा उसको पक्की जमीन मिल जायेगी । तो उन आदमियो का काम, उन लोगो का काम, उन का प्रौफेशन है, उम्र भर से यही प्रौफेशन रहा है और आज भी यही प्रौफेशन है कि वे चन्दा करके खाय ओर फिर इसके अलावा एक वक्त ऐसा था कि जब उनकी कोई थोडी मानता था, जो भाई आज हरिजनो की वकालत करते है , तो वह क्या करते थे अपने नाम जमीन,यानि एक एक आदमी ने अपनी फेमली के 5-5,7-7 नामो से जमीन ले रखी है, कोई रिश्तेदार बाकी नही छोड़ा रखा जिन्होने कि जमीन अपने रिश्तेदारो के नाम से न ले रखी हो,उन लीडरो ने ऐसा कोई आदमी नही छोड रखा । कल जैसे चौधरी श्याम चन्द जी ने बताया था, उनके पास हरियाणा भवन मे कुछ हरिजन आ गये, वह मेरे पास भी आये थे , चौधरी श्याम चन्द जी उनको लेकर आये थे । उनसे जब यह पूछा गया चौधरी श्याम चन्द ने उनसे पूछा कि भाई तुमको उस वक्त

यह जमीन पक्की क्यो नही मिली तो उन्होने एक आदमी विशेष नाम ले दिया और यह कहा कि हमसे एक एक हजार रूपये उस वक्त यह (चौधरी चांद राम) मांगता था, हमने एक एक हजार दिये नही, इसलिय हमको पक्की जमीन नही मिली । तो हरिजनो के साथ उनकी सिर्फ इतनी ही हमदर्दी है, इससे आगे उनकी कोई भी हमदर्दी नही। और दूसरा वे चाहते थे ताकत दिखाना कि मेरे साथ हरिजन है, मेरे साथ कुछ लोग है ताकि किसी ने किसी तरह कांग्रेस मे घुस जाउ । चौधरी दल सिंह, चौधरी शिव राम वर्मा और दूसरी विरोधी पार्टिया जो है, उनकी सहायता भ ये ले रहे है । दिल्ली मे जो सब जाते है, वे हरिजन नही है । दिल्ली की अदालत इनडीपैडेंट है, जुडीशियरी की अदालत है वे इन्साफ करती है, मै उनकी कोई नुक्ताचीनी नही करता, लेकिन होता क्या रहा है कि दिल्ली मे जो आदमी गिरफ्तारी देता है, अब तो शायद , मैने सुना है कि 10-5या 15 दिन की सजा होनी लगी, पहले उनको अदालत के अन्दर पेश किया, नाम लिख लिये, ऐडमोनिश किया , छोड दिया । यह वैरीफिकेशन नही होती थी कि यह हरिजन है, जाट है, ब्राहमण है, बनिया है , किस जात से ताल्लुक रखता है । चौधरी दल सिंह, मै मानूगा कि आर्गेनाईजर अच्छे है। यह जीन्द से उठा उठा के जाट भोज दिया करता है (हंसी) तो वो लोग सब हरिजन नही है और फिर जो हरिजन थोडे बहुत आते भी है, उनको गुमराह करके लाया जाता है कि उनको जमीन मिलेगी और उनमे से कुछ भाईयो का अच्छा प्रोफैशन चल गया । अच्छा व्यापार चल गया क्योंकि मेरा ख्याल है कि दो चाल साल

के खर्च का चन्दा भी इकट्ठा कर लिया है । अब तो खासा काम चल गया । मैने सुना है कि वहां दिल्ली मे एक जलसा हुआ जो कि सघर्ष समिति के नाम से जलसा था । उस जलसे की सदारत इसी सदन मे बैठे हुए चौधरी गणपत राय, कांगो के एक मैम्बर कर रहे थे । वहां चन्दा इकट्ठा करके खाने वाले साहब ने अपनी एक स्पीच दी और अपनी स्पीच मे कहा कि मै जनसंघ का भी बहुत शुकगुजार हूं मै फला पार्टी का भी बहुत शुकगुजार हूं हर पार्टी का शुकगुजार उसने अपने आप को कहा लेकिन जिस पार्टी का मैम्बर उस जलसे की सदारत कर रहा था, उस पार्टी का नाम नही लिया । तो चौधरी दल सिंह जी भी इसी सदन मे बैठे है उन्होने कहा कि हमारी पार्टी का एम मैम्बर इस जलसे की सदारत कर रहा है तो फिर क्या वजह है कि हमारी पार्टी का ना न लिया गया ? तो वही पर एक आदमी ने खडे होक कह दिया कि यह नाम तो सिर्फ उस का लेता है जो चन्दा देता है पैसे देता है तुमने पैसे नही दिये होंगे खाली सदारत करने आये होंगे । (हंसी)

चौधरी दल सिंह: हमारी पार्टी हरिजनो की पक्के तोर पर हमदर्द है हम इस बात को अब भी कहते है ।

चौधरी बंसी लाल: मैने इस बात को चेलैज नही किया । मै जो अब कह रहा हूं उनको न कर दो आप । जो मै यह बात कह रहा हूं कि आप ने स्टेज पर यह कहा कि हमारी पार्टी का नाम नही लिया गया, इस बात की न कर दो, मै मान लूंगा । यहां

प्रिजाईड करने वाले साहब भी बैठे है और कहने वाले भी बैठे है, इस बात को न करो , मै मान लूंगा (हंसी)

श्री गणपत राय: किसी आदमी ने यही नहीं कहा कि ये उन्ही का नाम लेते है जो चन्दा दे ।

चौधरी बंसी लाल: वह आप तक पहुंचा नहीं। मगर चौधरी दल सिंह जी ने कहा यह एतराज किया कि मेरी पार्टी का नाम क्या नहीं लिया? स्पीकर साहब, हरिजन भाईयो के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है । और हरिजनो भाईयो के लिये जो कुछ हम कर सकते है वह करते है पिछले साढे पांच सालमे मौजूदा सरकार ने हरिजन भाइयो का जितना कल्याण किया है, इससमे पहले किसी सरकार ने इस प्रान्त मे नहीं किया । आज भी हमारी भरसक कोशिश है कि जहां जिस किसी हरिजन भाई को जमीन दे सके, काम दे सके, व्यापार दे सके, जो चीज हम हरिजनो को दे सकते है, वह जरूर दे। यह हमारी पूरी पूरी कोशिश है मगर हम गुमराह नहीं करना चाहते । जो सच्ची बात है, वह सच्ची बात कह देना चाहते है । स्पीकर साहब, कुछ बाते कही गयी किसानो संघर्ष समिति के मुताल्लिक । मुझे बड़ा ताज्जुब है कि किसान संघर्ष समिति कब आयी ? वैसे सदन मे कहने के लिये तो मेरे विरोधी भाई सभी एक ही बात कहेगे लेकिन घर जाके तो शायद ये भी सोचते हो । किसान संघर्ष समिति ने, स्पीकर साहब 21 जुलाई को करनाल मे संघर्ष करना शुरू किया और क्या कह कर शुरू किया ? दो बाते कही । सबसे पहले तो उन्होने यह कहा कि यह मीटिंग हमने

इसलिए बुलायी थी कि किसान के अनाज का पर्टीकुलरली गेहूं का भाव बढ़े । जब कि उस वक्त तक जो हरियाणा प्रान्त गेहू प्रोक्योर होना था वह हो चुका था । 21 जुलाई से आज तक सिर्फ 15 हजार टन गेहू प्रोक्योर हुआ छः लाख टन मे से । बाकी सब का सब गेहू पहले प्रोक्यार हो चुका था तो गेहू हम प्रोक्योर कर चुके थे , दूसरे प्रान्तो को भेज चुके थे और वहां यह खाया भी जा चुका था, मगर उसके बाद हमारे ये किसान संघर्ष समिति वाले भाई अनाज की, गेहू की कीमत बढ़वाने आये, बड़े ताज्जुब की बात है । इस बात की नुक्ताचीनी की गयी कि 144 क्यो लगाया गया? स्पीकर साहब 144 इसलिये लगाया गया कि हमारे पास डेफिनिट इन्फमैशन थी कि अकालियो ने संगरूर जिले मे और हरियाणा के वे जिले जो सगरूर के साथ लगते है वहां तकरीरे की कि 21 तारीख को जो आदमी आये, उन आदमियों के पास एक-एक लाठी भी होनी चाहिये और जरूरत पड़े तो वायलैन्स पर उतरना भी है । अकालियो ने पब्लिक मीटिंग्ज कर करके ये भाषण दिये । तो कौन सी सरकार ऐसी होगी जिसके पास यह इललाह हो और वह आराम से बैठी रहे? सिविल लिबर्टीज की बात जो इन लोगो ने की उसके बारे मे भी अर्ज यह है कि करनाल मे म्यूनिसिपल लिमिटस के बाहर ये जलसा कर सकते थे । स्पकीर साहब, इससे कुछ दिन पहले जनसंघ पार्टी के जलसे हुए, अम्बाला कैन्ट जलसा हुआ बहुत बडा जलसा हिसार मे हुआ और उसी दिन 21-22 तारीख को सोशलिस्ट पार्टी का एक बहुत बडा जलसा हिसार मे हुआ । चौधरी दल सिंह अपनी पार्टी के जलसे हर शहर मे करते

घूम रहे थे उन्ही दिनो करते घूम रहे थे । सरकार ने कोई पाबन्दी नहीं लगायी । पाबन्दी लगाने के पीछे जो खतरा था, जो बात थी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जिस वजह से पाबन्दी लगायी, वह बात अकालियो ने साफ तौर से साबित कर दी वायलैन्स पर उतरकर करनाल शहर मे । फिर नतीजा क्या हुआ ? जब उनके साथ सख्ती से डील किया गया और अदालत ने भी इन्साफ करना शरू किया कि ये लोग वायलैन्स पर उतरे, इन्होने जुर्म किया, 6-6 महीने की कैद होने लगी, वालन्टीयर मिलने से रहे गये, तो स्पीकर साहब, मै नाम तो लेना नहीं चाहूंगा दिल्ली के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने मुझे को टेलिफोन किया । यह बात भी साफ कर दूं कि यूनियन होम मिनिस्टर ने नहीं, एक दूसरे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने जो मेरे दोस्त है , मुझे बुलाया, मुझे अकाली एम0पीज0 के नाम बताये कि ये-ये मेरे पास आये थे और इन एम0पीज0 ने मुझे से यह कहा कि हमारा तो अजिब किस्म के चीफ मिनिस्टर से पाला पड़ा गया है करनाम मे । हमारा इससे पीछा छुड़ाव दो । मैने कहा कि कैसे पीछा छुड़वाना चाहते है ? उन्होने कहा कि अब यह 144 तोड़ दो । तो मैने उनसे कहा कि 144 तोड़ना , न तोड़ना, हटाना, लगाना यह तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का काम है, लेकिन ये अगर कानून तोड़ना बन्द कर देंगे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आगे क्यो लगायेगा ? नतीजा क्या हुआ ? स्पीकर साहब, कि पहले तो जत्थे इनको मिलते ही नहीं थे, फिर 10-15-20 जो आदमी आते भी थे,

उन्होंने अदालत में जाकर ब्यान देना शुरू कर दिया कि जी, हमने 144 नहीं तोड़ा । हम तो तीन तीन की फौरमेशन में आ रहे थे । अदालत में ब्यान है, मैजिस्ट्रेट फस्ट क्लास के सामने । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने 144 हटा दी यह सोचकर कि जो खुद ही कहते हैं कि हमने कानून नहीं तोड़ा उनके खिलाफ ऐक्शन क्या लिया जाए । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का इरादा भी यही था कि उसके जिले में कानून न तोड़ा जाए । तो स्पीकर साहब, लोग किसान को अनाज का भाव बढ़ाने की नियत से वहां नहीं आये । ये वहां वायलैन्स करने आये थे, तोड़ फोड़ करने आए थे यह अलग बात है कि खुद ही टूट फूट कर चले गये । इस में मेरा कोई कसूर नहीं ।

एक बात स्पीकर साहब, इरीगेशन के बारे में कही गई, नहरों के बारे में कही गई । कई बार क्वेश्चन आवर में भी और वैसे भी हमारे विरोधी भाइयों ने इस बात का सवाल उठाया कि नहरों में पानी कहा से आएगा ? जैसे हमारे स्टेट मिनिस्टर, चट्टा साहब ने बताया मैं भी अर्ज कर दूँ कि इस समय नहरों में पानी हम फ्लड का देते हैं । जुई कैनल हमने पैरीनियल कर दी है । उसको हम वैस्टर्न यमुना कैनल का पानी देते हैं क्योंकि पिछले पांच साल में हमने तीन साढ़े तीन हजार क्यूबिक पानी ओगमैन्टेशन ट्यूबवैल से और नहरों को पक्का करने बचाया है , बढ़ाया है और आगे यमुना नदी में पिछले सौ साल का इतिहास दिखाया है । किसी एक साल में कम से कम बाढ़ आई है तो 33 दिन बाढ़ आई है और किसी एक साल में ज्यादा से ज्यादा यमुना

नदी में बाढ़ आई है तो 102 दिन बाढ़ आई है अगर हम इसके बीच की बात भी निकाल लें कि हर साल 45 दिन भी पानी की बाढ़ आए जो बाजरा, ज्वार वगैरह जो ये फसले हैं, जो उस इलाके में होती हैं यह 60-70 दिन में पक जाती है । तो एक फसल तो उस से पक्क जाती है और दूसरी फसल उससे काशत हो जाती है। यानी पीछे वैस्टर्न यमुना कैनल का पानी जिस इलाके के लगता था उस इलाके का नुकसान करके, उस इलाके का पानी घटा करके, आगे की नहरों में पानी नहीं दिया गया और न दिया जाएगा बल्कि रावी ब्यास का पानी मिलने के बाद जहां वैस्टर्न यमुना कैनल का पानी लगता है, वहां भी हम पानी बढ़ाएंगे और उन इलाकों की जो नहरें हैं, उनको भी पैरीनियल कर देंगे । दोनों चीजें ठीक हो जाएगी । और अगर आज हम उन नहरों को तैयार न करते, आज हम इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार न करते तो जिस दिन हमको रावी ब्यास का पानी मिलता, उसको हम इस्तेमाल कहा करते ? उसको इस्तेमाल करने के लिए नहरों का बनाया जाना निहायत जरूरी है ।

एक बात, स्पीकर साहब, यहां आई बिजली के बारे में मैं इस बात को तसमील करता हूं कि बिजली की कमी है और यह कुछ अर्स और रहेगी । हमने इस बार यह फैसला किया है कि सोइंग सीजन के वक्त भी किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली दें और ऑगमैन्टेशन ट्यूबवैल्ज भी चलाएं ताकि नहर के जरिये भी लोगों को ज्यादा पानी दे सकें और कम से कम महेन्द्रगढ़,

सिवानी, गुडगांव के वे इलाके , हिसार के वे इलाके, जंहा पम्पिंग सैट बहुत गहरे है, वहां तो हम चाहते हे कि चौबीस घंटे बिजली दी जाए और जो इलाके हमारे अच्छी पैदावार देने वाले हे , जैसे कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला और सोनीपत, रोहतक के इलाके, जीन्द के इलाके, वहां भी हम 16 घण्टे से कम बिजली नहीं देना चाहते और फसल की पकाई के वक्त, स्पीकर साहब, हमे इन्डस्ट्री पर कितना ही कट लगाना पड़े मगर किसान के ट्यूबवैल को बिजली की कमी नहीं आने देंगे । आज भी हमारे प्रान्त मे बिजली की टोटल कंजम्पशन मे से 45 परसेन्ट कंजम्पशन ट्यूबवैलज पर है जो कि हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त से ज्यादा है, किसी प्रान्त मे इतनी नहीं है । हर चीज मे, स्पीकर साहब खामियां भी होती है । मै यह बात भी मानता हूं कि पावर फ्लकचूएशन भी होती है, मै यह बात भी मानता हूं कि ब्रेक डाउन भी होते है । सारी स्टेट मे इतनी बिजली फ़ैल गई कि कहीं न कहीं कोई तारा टूट जाए, कहीं पर कोई पक्षी बैठ जाए मोर बैठ जाए और कोई बड़ा पक्षी बैठ जाए, तो एकदम वह लाइन खराब हो जाती है। कुछ घण्टे , दस घण्टे, बारह घण्टे , रात को टूटे तो एक दिन भी निकल सकता है । तो ब्रेक डाउन भी हो जाते है । कल एक भाई, पता नहीं कहां से इकनॉमिक्स पढ कर आये थे , उनको कुछ आता जाता तो है नहीं, कह रहे थे कि जहां बिजली की जरूरत थी , वहां से तो बिजली ले ली, जहां बिजली की जरूरत नहीं थी, वहां बिजली दे दी। स्पीकर साहब, मै तो यह कहूंगा कि उस भाई के सोचने का तरीका उल्टा है या उसको सोचना नहीं आता और सोचना तब

आता हो जब घर की अकल हो । कोन सा इलाका कौन सा गांव, कौन सा शहर आज प्रदेश मे ऐसा है जहां बिजली की जरूरत न हो ? चारो तरफ बिजली की जरूरत है । हमने सब को बिजली दी है, सब को बिजली की जरूरत थी । मै आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन हरियाणा प्रान्त और पजांब अलग अलग हुए, हरियाणा को इसलिये नांगल से बिजली कम मिली कि हरियाणा मे बिजली कम खर्च करने के साधन नही थे, इसलिये हरियाणा को बिजली नही मिली । गोबिन्द सागर के पानी मे हरियाणा का हिस्सा 54 परसेन्ट और उसी पानी से पैदा होने वाली बिजली का हमको मिला 39 परसेन्ट। क्यों मिला ? क्योंकि हम खर्च ही इतनी करते थे, इससे ज्यादा खर्च करने की हमारी शक्ति नही थी । अब आगे जो बिजली की कमी हम पूरी करेगे, बिजली की कमी को पूरा करने के जो तरीके है, जो साधन हम अपना रहे है, वो है स्पीकर साहब, 60-60 मैगावाट्स के दो थर्मल प्लांटस जिन्हे हम फरीदाबाद मे लगा रहे है । एक थर्मल-प्लांट तो अगले साल अप्रैल मे आ जाएगा, एक इसके एक साल बाद आएगा। 110-110 मैगावाट के दो थर्मल प्लांटस तो हम पहली स्टेज मे लगा रहे है पानीपत मे और दूसरी स्टेज मे यानी कुल मिलाकर 440 मैगावाट्स के प्लांटस लगाने का हमारा पोग्राम पानीपत मे है । इसी तरह स्पीकर साहब, जब ब्यास रावी का पानी आएगा तो डहर मे बिजली पैदा होगी उससे हम को बिजली मिलेगी , गोबिन्द सागर मे पानी आएगा तो भाखड़ा मे, नांगल मे, ज्यादा बिजली पैदा होगी, उसका हिस्सा हमको मिलेगा, राणा प्रताप सागर से

हमको हिस्सा मिलेगा, बदरपुर से हमको हमारा हिस्सा मिलेगा और इसी तरह से स्यूल और सैलाल, हिमाचल में जो प्रोजैक्ट्स बन रहे हैं, उन से हमको बिजली मिलेगी । डेसू से आज भी हमो बिजली मिल रही है । डेसू के हमव न थर्ड पार्टनर भी है । एक भाई कल बिजली की बात कह रहे थे कि बिजली कहां से आएगी । क्या बनेगा ? किसी को हिसाब आता हो तो बताए और फिर एक बात कह दी बड़ी लम्बी चौड़ी कि इतने साल हो गये अग तलक बिजली का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ। उनको यह नहीं पता कि उन्होंने एक ही बात देखी है, काला चश्मा लगा कर देखते हैं, कभी सफेद चश्मा लगाकर उम्र में देखना सीखा नहीं । वे समझते हैं कि जैसे यदि बिजली का स्विच आंन कर दो, तो बिजली जग गई, बिजली का स्विच आफ कर दो, तो बिजली बन्द हो गई । ऐसे ही शायद थर्मल प्लांट या और कोई प्रोजैक्ट बिजली का भी इतनी ही देर में लग जाता हो । इस कई साल लगते हैं । इसमें मैटीरियल की जरूरत होती है, इ समे इंजीनियरो की जरूरत होती है, इसमें समय की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है । तो इस तरह से बिजली का प्रबन्ध भी स्पीकर साहब, करते जा रहे हैं ।

एक बात यहां कही गई कि भिवानी अकेले में ही नहीं, बाकी जो दूसरे नये डिस्ट्रिक्ट बने हैं वहां भी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर बिल्डिंग बनाई जाए । यह बड़ी जायज बात है, जायज मांग है । जहां हम भिवानी में बिल्डिंग बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, वहां हमने दूसरे दो नये डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर के उपर भी जमीन

एक्वायर करने के रास्ते अपनाए है वहां पर बिल्डिंगे बनाने के उपर विचार कर रहे है और बनाएगे । इस समय एक बात मै और कहना चाहता हूं । वे है नही दौलता साहब यहा, उन्होने कल अपनी कांस्टिचुएंसी का नाम ले दिया कि उस मे बड़े लीडर पैदा हुए कुछ अच्छे आदमी भी पैदा हुए लेकिन दौलता साहब जैसे भी पैदा हुए । (हंसी) इस बात से भी इन्कार नही किया जा सकता । फिर उन्होने कहा कि मेरे हल्के मे कोई सड़क हीनही बनी । स्पकीर साहब, मै जिम्मेदार से कह सकता हूं कि बेरी कांस्टिचुएंसी मे कम से कम 35 सड़के पिछले साढे पांच साल मे हमने बनवाई है । दौलता साहब एक आंख से देखते है, दूसरी आंख से उनको, दीखता नही और मन मे आए जो बोल दे, अपनी जबान पर उनका कन्ट्रोल नही । उनको दौलता साहब को झगड़ा इस बात का नहीं है । वे यहां होते ओर जब मै कहता तो बड़ा अच्छा लगता । वे अपनी कांस्टिचुएंसी मे कभी जाते नही है, मै बहुत जाता हूं । वे वार बार मेरे पास आते हैकि मुझे हाई कोर्ट का जज बनवा दो । अगर होई कोर्ट को जज उसको बनवा दूं तो मेज पर पैसे ले (हंसी) और किसी भाई को अगर यकीन न हो तो इस सदन मे बता दे मुझे । इस नायब तहसीलदार बनवा दूं तो इन्तकाल तस्दीक कराने के पैसे मेज पर मांग ले । तो मै कैसे इस आदमी को हाई कोर्ट का जज बनाने के लिये रिकमैन्ड करू ? बेरी कांस्टिचुएंसी मे मै दौलत साहब से 10 गुना ज्यादा जाता हूं । फिर उन्होने यह भी कहा कि मूंह देख कर के काम किया जाता है । फलां एम0एल0ए0 है, इसकी कांस्टिचुएंसी मे काम करना है, इसकी

कांस्टिचुएन्सी मे काम नही करना है, उन्होने यह कहा । स्पीकर साहब हमने यह फैसला किया कि हरियाणा प्रान्त के एक एक गांव मे बिजली हो, एक एक गांव तक बिजली गई। क्या कोई अपोजीशन पार्टीज का एम0एल0ए0 यह कह सकता है कि उसकी कांस्टिचुएन्सी का कोई काम बाकी रह गया है । कोई गांव बाकी रह गया है ? हमने सड़के बनाई है । एक सिद्धान्त बनाया कि बड़े गावो की पहले बनायेगे । पहले हर गांव की एक तरफ से सड़क से लिंक करेगे, बाद मे डबल लिंक देगे, पहले नही देंगे आज 60 परसेन्ट गांवो मे सड़क है । कौन सी कांस्टिचुएन्सी ऐसी है जिस मे सड़के नही बनी ? 81 कांस्टिचुएन्सीज मे, मुझे कोई भी एक एम0एल0एल0ए0, 81 भाई यहां बैठे है, कोई यह बता दे कि पिछले साढे 5 साल मे उसकी कांस्टिचुएन्सी मे सड़क बनी । जितनी हम बना सकत थे, बनाई वो डिवलपमेंट के, तरक्की के, जितने काम है हम हर कांस्टिचुएन्सी मे करते है । किसी कांस्टिचुएन्सी को इस हिसाब से देख करनही चलते है कि यह कांस्टिचुएन्सीज काग्रेस की है और यह कांस्टिचुएन्सीज अपोजीशन की है दौलता तो फिर अपने मूंह मे मानता है कि इन दो जनसधियो के सिवाये कोई अपोजीशन का है ही नही । इस की अपनी जाबान मे भी अगर मानो तो ये दोनो जनसंघी भाई यह कर दिखाये कि इनके हल्के मे काम नही हुआ। तो यह बात नही है । अभी चौधरी शिव राम जी मांग कर रहे है कि अमीन मे पीने का पानी होना चाहिये, क्वैश्चन आवर मे बात कह रहे थे । स्पीकर साहब, अमीन इनका एक बहुत पिछड़ा हुआ गांव है मै इस बात

को मानता हूँ कि अमीन में पीने का पानी होना चाहिए । मैं इस गांव में तीन चार बार गया हूँ । मैंने उसी वक्त मजाक में यह भी कहा कि पानी जाए कैसे बहुत उचा बसा हुआ है । इस स्टेट का कोई ऐसा बड़ा गांव नहीं है जिस को मैंने देखा न हो, दो-दो चार चार बार न देखा हो । जितने एम0एल0ए0 अपनी कास्टिचुएन्सी में जाते हैं, मेरा ख्याल है कि उतने चक्कर मैं भी कभी-कभी लगा लेता हूँ । तरक्की के काम में मैं स्पीकर साहब, आपके जरिये सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ खास तौर पर विरोधी पार्टी के मेम्बरो को कि वे तरक्की का कोई जायज काम मेरे पास लेकर आएं, तो मैं न नहीं करूंगा । हर आदमी के इलाके में होगा । अगर अपोजीशन के किसी मैम्बर को जनता ने चुनकर भेजा है तो हमारे लिये वह एक आनरेबल मैम्बर है, जनता का प्रतिनिधी है जनता ने जिस आदमी को चुनकर भेजा है उस को हम रिकग्नीशन देंगे , उसकी बात मानेंगे । न का कोई सवाल पैदा नहीं होता । तो अन्त में मैं आपके जरिये सदन से यही प्रार्थना करूंगा कि इस ऐप्रोप्रिएशन बिल को पास का दिया जाए ।

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, पर्सनल ऐसप्लेनेशन का टाइम दे दीजिये या कुछ बोलने का टाइम दे दीजिये ।
(विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, अब तो कोई स्टेज नहीं है । लीडर आफ दी हाउस के बोलने के बाद कोई स्कोप नहीं रहता ।

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, वे वित्त मन्त्री तो नहीं हैं, ऐप्रोप्रिएशन बिल तो वित्त मन्त्री जी का होता है, कोई रूलज तो नहीं है कि इस वक्त हम नहीं बोल सकते ।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, नहीं, इस समय नहीं, कल आपको मौके के उपर टाईम दे दिया गया था, अब तो कोई स्टेज नहीं है, आप अब तशरीफ रखिये ।

चौधरी चांद राम: काल अटैन्शन मोशन पर आपने कहा था कि टाईम देंगे । आपके लिखे हुए, आपके कहे हुए शब्द मेरे पास हैं आपने एक पक्ष सुन लिया । कुछ बातें गलत कही गई हैं जिनका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आप तशरीफ रखिये, आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं (विघ्न)

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, आप कहेंगे तो बोलेंगे न कहेंगे तो नहीं बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष: मैं आप से अर्ज कर रहा हूँ कि आप तशरीफ रखिये ।

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, आप पांच चार मिनट तो बोलने के लिये दे ताकि पता तो लग जाए कि यह क्या है ।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिल्कुल नहीं । आप कल सारी बातें कह चुके हैं आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कहने की ।

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, किस तरह पता लगेगा कि वह बात (शोर)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, आप तशरीफ रखिये ।

चौधरी चान्द राम: चन्गा, फिर हम कल प्रैस काफ़ैस में कह दे जनता के सामने कि 14700 आदमी गिरफ्तार हुए (शोर)

श्री अध्यक्ष: हां कह दे । रिकार्ड मत करना जो मेरी इजाजत के बिना बोले ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है —

कि हरियाणा विनियोग (स0 3) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर क्लोज बाई क्लोज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है—

कि क्लोज 2 विधेयक का अग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है—

कि कलाज 3 विधेयक का अग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है—

कि अनुसूची विधेयक की अनुसूची हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है—

कि कलाज 1 विधेयक का अग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सुत्र

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है—

कि अधिनियमन सुत्र विधेयक का अधिनियम संत हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शीर्षक

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है—

कि शीर्षक विधेयक शीर्षक हो

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Finance Minister(Shri Ram Saran Chand Mital):

Sir, I beg to move-

That Haryana Appropriation (NO. 3) Bill [हरियाणा
विनियोग (स० 3) विधेयक]be passed

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, मुझे एक दो मिनट
बोलने के लिये दे।

श्री अध्यक्ष: आप इस पर बोल चुके हैं। अब हमने यह
फैसला कर लिया है कि जो डिमांड पर बोल चुके हैं उनको
ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा।

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, फैसला ज्यादा है कि
रूलज ज्यादा है। रूलज तो उपर है स्पीकर के। और फिर कही
रूलज में भी मनाही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आप तशरीफ रखिये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

कि हरियाणा विनियोग(स० 3) विधेयक पारित किया
जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दी हरियाणा लैंड होल्डिंग्स(अमैडमेंट) टैक्स बिल,

1973

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma):

Sir, I Introduce the Haryana Land Holding Tax (Amendment) Bill [हरियाणा भूमि-जोत कर (संशोधन)विधेयक]1973

श्री अध्यक्ष: मुझे चौधरी राम लाल एम0एल0ए0 द्वारा हरियाणा भूमि-जोत विधेयक के डिसऐप्रूवल के प्रस्ताव की एक सूचना मिली है। यदि हाउस सहमत हो तो सदन का समय बचाने के लिये इस प्रस्ताव पर तथा विधेयक पर इकट्ठा विचार किया जाए ।

बहुत से सदस्य: ठीक है जो ।

श्री अध्यक्ष: अब चौधरी राम लाल जी आप अपनी मोशन मूव करे ।

Chaudhri Ram Lal Wadhwa (Karnal): Sir, I beg to move

That this House disapproves the Haryana Land Holdings Tax (Amendment) ordinance (Haryana Ordinance No. 4 of 1973) [हरियाणा भूमि-जोत कर (संशोधन) अध्यादेश 1973 का हरियाणा अध्यादेश स0 4]

Pandhit Chiranji Lal Sharma: Sir, I beg to move—

That the Haryana Land Holding Tax (Amendment) Bill [हरियाणा भूमि-जोत कर (संशोधन) विधेयक] to taken in to consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए—

कि सदन हरियाणा भूमि-जोत कर (संशोधन) अध्यादेश 1973 का हरियाणा अध्यादेश स0 4] का निरनुमोदन करता है ।

कि सदन हरियाणा भूमि-जोत कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): स्पीकर साहब, वह जो बिल आया है, इसके एम्ज औवजैक्ट्स मे यह लिखा हुआ है कि यह बिल 30 अगस्त से ऐनफोर्स हुआ था लेकिन चूंकि भू-राजस्व तथा अन्य सभी कर प्रति वर्ष 16 जून से एकत्रित किये जाते हैं अतः 16 जून, 1973 से टैक्स की वसूली होनी अनिवार्य है । इसलिए इसको 16 जून, 1973 से लागू किया जा रहा है । स्पीकर साहब, आपके द्वारा मेरी प्रार्थना यह है कि बजाये 16 जून, 1973 के, अगर सरकार इसको 16 जून 1974 कर देती तो ज्यादा अच्छा था क्योंकि पहले सरकार ने यह टैक्स अगस्त, 1973 से लगाया था और उसके बाद टैक्स की असैसमेंट पर काफी टाईम लगना है, पटवारी वगैरहा अभी तक इस काम के लिये लगे हुए हैं और इसके लिये सारा नया फार्मूला बनाया गया है । बिल के पिछे इसकी तफसील भी दी हुई है । इस को अगर एक साल के पीछे जाकर लगाएंगे तो किसानो को दो साल का इकट्ठा

टैक्स देना पड़ेगा और यह जो रूपया अब लगाया जा रहा है, यह पहले से कई गुना ज्यादा है । तो इतनी भारी बोझा लोगो के उपर टैक्स का पड़ेगा । जिस समय किसानों के पास नोटिस आएंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे उपर कितने टैक्स लग रहे है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे सन् 73 की बजाए सन् 74 से लागू किया जाए क्योंकि इससे लोगो को इकट्ठा दो सालो का टैक्स नही देना पड़ेगा । इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि कइस बिल का पास न किया जाए ।

चौधरी दल सिंह (जीन्द): आदरणीय स्पीकर साहब, भूमि जोत-कर को संशोधन करने के लिये यह बिल सदन मे पेश किया गया है । इसके उद्देश्य तथा कारणो मे जो बताया गया है मैं उसके बारे मे कुछ अर्ज करना चाहता हूं । पहले इसको 30 अगस्त, 1973 से लागू करना था लेकिन फिर सरकार के दिमाग मे आया कि नहीं गलती हो गई इससे तो किसान को 6 महीने फायदा हो जाएगा इसलिए अब 16 जून से लागू करने जा रहे है । एक काम को ये तीन तीन बार करते है पहली बार कर दिया कि 30 अगस्त, 1973 से लागू करेंगे फिर आडिनैस कर दिया कि नही 16 जून से करेंगे और अब तीसरी बार यह बिल पेश कर दिया । एक बात को हासिल करने के लिए ये तीन तीन बार प्रैंस मे जाते है । सरकार की समझ पर मुझे बडी हैरानी होती है । पता नही यह अफसरो की तरफ से कोताही होती है या किसी और की तरफ से होती है यह तीन दफा गलती हुई है इसको कोई देखने वाला

नहीं है । ऐसा करने से सरकार पर बड़ा भारी खर्च पड़ता है । मैं चाहता हूँ कि सरकार खर्च करते वक्त पूरा ध्यान रखे । इसके बाद मैं वित्तीय ज्ञापन पर आता हूँ । स्पीकर साहब, आप देख कर हैरान होंगे, उसमें बताया गया है कि फंला फंला श्रेणी की जमीन पर 0.05 हैक्टेयर पर, इतना लगान लिया जाएगा । इन्होंने ऐसी इकाई मुकर्रर की है कि जिससे कुछ समझ ही न आ सके । यह कोई अच्छी बात नहीं है । सरकार को साफ लफ्जों में कहना चाहिए कि हम जो टैक्स लगा रहे हैं वह इस प्रकार है । स्पीकर साहब, इसमें जो क्लासिफिकेशन की गई है मैं उसको दोहरता हूँ । फर्स्ट क्लाज जीमन के ऊपर पहले हैक्टेयर पर 14 रूप्ये टैक्स लगाया है, उसके बाद 4 हैक्टेयर पर 20 रूप्ये पर—हैक्टेयर टैक्स लगाया है और उसके बाद जो बाकी जमीन रहती है उस पर 26 रूप्ये हैक्टेयर के हिसाब से टैक्स लगेगा ।

Pandit Chiranjil Lal Sharma: On a point of Order, Sir, I want to know whether the Hon. Member has a right to speak on the amending Bill or he can speak on the Act itself ?

श्री अध्यक्ष: आप अमेंडिंग बिल पर ही बोलिये ।

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, मैं तो वही पढ़ रहा हूँ जो इसमें लिखा हुआ है । मैं कहता हूँ कि इन्होंने यह जो 0.05 हैक्टेयर लिख दिया इसकी बजाए इनको सीधा लिख देना चाहिये था ताकि लोगों का समझ आ सकती । इसी तरह से स्पीकर साहब जो दो नम्बर की जमीन है उस पर पहले हैक्टेयर पर 12 रूप्ये

और 4 हैक्टेयर पर 18 रूपये की हैक्टेयार लगेगा और जो बाकी की जमीन है उसके उपर 24 रूपये की हैक्टेयर के हिसाब से लगेगा । इसी प्रकार तीसरे दर्जे की जो जमीन है उस पर पहले हैक्टेयर पर 8 रूपये प्रति हैक्टेयर और दूसरे चार हैक्टेयर पर 10 रूपये प्रति हैक्टेयर और आखिरी पर 12 रूपये प्रति हैक्टेयर लगेगे । स्पीकर साहब, आप हैरान होंगे कि जो भूड व बंजड जमीने है, जहां कोई पैदावार नहीं होती, जिसके बारे मे सरकार क्लेम करती है कि इसको ठीक करेंगे, उस पर भी टैक्स लगाया है । उसमें पहले हैक्टेयर पर 2 रूपये, दूसरे पर 3 रूपये प्रति हैक्टेयर और उससे अगले पर 5 रूपये प्रति हैक्टेयर लगायेंगे । ऐसा होने के बाद भी यह सरकार कहती है कि हमने बडी भारी तरक्की की है और जब कोई ऐसा कह देता है तो वह सरकार से बर्दाशत नहीं होता । पहले तो नोटिफिकेशन किया गया कि इसे 30 अगस्त, 1973 से लागू करेंगे ओर अब 16 जून, 1973 कर दिया गया है । मैं कहता हूं कि इस सरकार की नीति किसान विरोधी तथा किसानो को कुचलने वाली नीति है । आज किसान को न तो पानी मिलता है, न खाद मिलती है, और न बिजली मिलती है । बिजली के बारे मे अभी चैक मिनिस्टर साहब बता रहे थे । मैं कहता हूं कि हरियाणा मे बिजली की यह हालत है कि मिनट मिनट बाद ब्रेक डाउन होते है ।

श्री अध्यक्ष: यह रिपोर्ट कल डिस्कस होगी, उस वक्त बोल लेना ।

चौधरी दल सिंह: ठीक है जो, जैसा आपका हुक्म। स्पीकर साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आप गेहूँ के भाव की और देखें। 76 रुपये क्विटल के हिसाब से हमने गेहूँ की वसूली की थी लेकिन आज वही गेहूँ सरकार किसानों को 160 रुपये क्विटल के हिसाब से बीज के रूप में बेच रही है। क्या यह जायज बात है ?

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आप अमैडमेंट पर ही बोले।

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि मीठी-मीठी बात करने से, ब्यान देने से लोग मानने वाले नहीं हैं। आज हरियाणा की जो हालत है वह सब के सामने है। आप गरीबी हटाने और समाजवाद लाने का प्रचार करते हैं लेकिन दूसरी तरफ भूड और कल्लर जीमन की भी इस टैक्स से माफी नहीं दी गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि दो या एक एकड़ जमीन वाले कौन हैं ? वे हरिजन हैं, इन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस तरमीम पर फिर गौर करे और 5 एकड़ जमीन पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिये। आज तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर किसानों के उपर तलवार लटक रही है। उनके उपर भूमि टैक्स, वैल्थ टैक्स और ईकम टैक्स लगाए जा रहे हैं। ये लोग किस तरह से इतना भार सहन करेंगे? इन शब्दों के साथ मैं सरकार से कहूंगा कि रियासत वाली बात जरूर होनी चाहिए। वरना सरकार और पब्लिक के बीच संघर्ष हो जाएगा। एक बात मैं और कहूंगा

कि आपने नक्शा मांगे है कि किसने पास कितनी-कितनी सरप्लस जमीन है ।

श्री अध्यक्ष: इससे इसका क्या संबंध है ?

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जितने इंतकाल होनी बाकी पड़े है उनको पूरा किया जाए क्योंकि बगैर उनके पूरे होने के नक्शे कैसे पेश किये जा सकते है । अगर नक्शे पेश किये जाएंगे तो उनमें गलत सूचना दी जा सकती है । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह इन्तकाल का काम जल्द पूरा कर दिया जाए ।

चौधरी चान्द राम(बवैन-अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, वित्तीय ज्ञापन में लिया है कि

“पहले यह अधिनियम 30 अगस्त, 1973 से लागू किया गया था परन्तु चूकि भू-राजस्व तथा भूमि के अन्य सभी कर प्रति वर्ष 16 जून से आरम्भ होने वाले कृषि वर्ष से एकत्र किये जाते है अतः भूमि जोत कर पूरे कृषि वर्ग के लिये एकत्र करना अनिवार्य समझा गया ।”

यह बड़े हास्त की बात है कि गवर्नमेंट को खुद को यह पता नही कि ऐग्रीकल्चरल ईयर कब से शरू होता है और कब से टैक्स लगाना चाहिये ? यह हमेशा चार-पांच महीने बाद जागते है । ये अगर ढंग से काम करना चाहते है तो इनके अधीन एल0आर0 है उसको पता है कि कब शरू होता है । जो ब्रांच इस की

जिम्मेवार होती है उस को भी पता नहीं कि हम ने जो टैक्स लगाना है वह कहां से लगाना है। टैक्स लगाने वाला हमेशा इनीशिएट करता है कि टैक्स कहां पर लगाना है, लेकिन न उनका पता है और न ही एल0आर0 को पता है। यानी यह बात स्टेट में किसी को भी मालूम नहीं। सरकार अपने अफसरों को डेढ़ या दो दो हजार रुपये तनखाह देती है, लेकिन उन का कोई ऐक्सप्लेनेशन नहीं। यह इन्होंने एक तरह का तमाशा बनाया हुआ है और इनकी जो गलती है उस को बोझ किन पर डाला जा रहा बेचारे गरीब जमींदारों पर। पहले कहते थे कि यह टैक्स 30 अगस्त, 1973 से लगा रहे हैं और बाद में आडिनेंस कर दिया कि यह तो गलती हो गई है, हम इसको 16 जून, 1973 से लागू करेंगे। एक तरफ तो अखबार में निकला है कि डेढ़ करोड़ के बिक्री टैक्स की हम व्यापारियों को छूट दे रहे हैं और दूसरी तरफ इस बिल में लिखते हैं —

“राज्य के वित्तीय साधनों की वृद्धि के लिए कुटुम्ब जोत के आधार पर, किसी और स्थान पर उपलब्ध भूमि की किस्म के आधार पर भूमि-जोत कर उदग्रहण का पुरस्थापन किया गया”

यानी ये जमींदारों पर टैक्स लगा कर राज्य की आमदनी बढ़ा रहे हैं और दूसरी ओर व्यापारियों को जो पर्ची काटे या न काटे उनको डेढ़ करोड़ रूपए के बिक्री टैक्स की छूट दे रहे हैं। वैसे तो ये कहते हैं कि यह किसान और मजदूर की सरकार है लेकिन

जो किसान अन्न पैदा करता है उस को कहते हैं कि तुम अनाज ज्यादा पैदा करते हो इस लिए तेरे उपर टैक्स लगाते हैं ।

श्री अध्यक्ष: चौधरी चांद राम जी टैक्स तो पहले ही लग चुका है वे तो सिर्फ डेट ही बदल रहे हैं ।

चौधरी चान्द राम: हां जी मैं भी यही जिक्र कर रहा हूँ । इन्होंने आरजी तौर पर अन्दाज लगाया है कि अगर 3 अगस्त, 1973 की बजाए इसे 16 जून 1973 से लागू कर दिया जाए तो उस से चार या पांच करोड़ रूपए की आमदगी होगी । जब यह पिछली डेट से टैक्स लेंगे तो क्या उससे जमींदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता ? एक फसल का तो सरकार उन से और टैक्स लेगी । आप तो छोटे किसानों पर, जो अनाज पैदा करते हैं, टैक्स लगा रहे हैं, यह समाजवाद कैसा हुआ ? समाजवाद का मतलब यह होता है कि जो ऐक्चुअल प्रोड्यूसर होता है, जो लोग हाथ से काम करते हैं उनके उपर टैक्स न लगाया जाए । लेकिन आज उनकी मेहनत पर आप टैक्स लगा रहे हैं । आप उनको ऐग्जैम्प्ट नहीं करते । जब मैं रैवैन्यू मिनिस्टर था तो मैंने पांच एकड़ वालों का मामला भी मुआफ कर दिया था लेकिन आज जब जाट चीफ मिनिस्टर आया है तो वह कहता है कि हम तो टैक्स लगा कर किसानों की कमर तोड़ेंगे और हरिजानों का जमीन से सम्बन्ध ही क्या है ?

श्री अध्यक्ष: यह बात कौन कहता है ? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ।

चौधरी चान्द राम: मैं तो एक बात कह रहा हूँ केवल समझाने के लिए लेकिन आप समझते नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष: मैं सब कुछ समझता हूँ । आप रैलेवंट बोले, नहीं तो फिर आप शिकायत करेंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता । इसलिए मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि आप रैलेवंट बोले ।

चौधरी चान्द राम: तो स्पीकर साहब मैं यह कर रहा हूँ कि पांच एकड़ तक जिन की जमीन है उनको मुआफी होनी चाहिए

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Speaker, he is laboring under an illusion. Probably, he thinks he is speaking on the Appropriation Bill. He is not to blame. (Laughter -----)

चौधरी चान्द राम: हां तो मेरे मास्टर भी आप लगेगे । मैं और आप तो एक साथ पढ़े थे और शायद मैं आप से कमजोर भी नहीं था पढ़ाई लिखाई में । तो खैर स्पीकर साहब मैं कह रहा था कि चार पांच करोड़ रुपए के टैक्स लगा देंगे और फिर उनको बैंक डेट से लगाना कैसे मुनासिब है । मैं कहता हूँ कि बैंक डेट से टैक्स लगाना किसी भी तरह से जायज नहीं है । हमेशा टैक्स आगे की डेट से लगता है, किसी कानून में टैक्स बैंक डेट से नहीं

लगता । यह हिस्ट्री मे पहला मौका है कि हरियणा स्टेट का जाट चीफ मिनिस्टर काश्तकारों पर टैक्स लगा रहा है और बैक डेट से लगा रहा है और कहने को यह कहते थकते नहीं कि हम सोशलिज्म ला रहे है ।

श्री अध्यक्ष: चौधरी चांद राम जी आप रेपीटीशन न करे ।

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, मै आखिर मे इतना कह कर अपनी स्पीच खत्म करता हूं कि यह सरकार प्रोड्यूसर्ज की सरकार नहीं है, यह नौन प्रोड्यूसर्ज की सरकार है ।

चौधरी शिव राम वर्मा (नीलोखेड़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह लैंड टैक्स बिल मे अमैडमेंट करने की जो बात आई है, इस मे पहले 30 अगस्त से टैक्स लगाने की बात हुई थी लेकिन बाद मे आडिंनैस जारी करके इस को जून 1973 से बैक डेट से लगाया गया और उस के लिए आज यह बिल हमारे सामने पेश किया गया है । मै कहता हूं कि महकमें के जो बड़े बड़े अफसर है जब वे इस बात को नहीं समझते कि टैक्स कैसे लगाना है तो जो पटवारी है वे इस के बारे मे क्या समझगे ? किसी को इस बात का पता नहीं है कि यह टैक्स किस जमीन पर लगना है और कैसे लगेगा क्योकि अभी तक जमीन के बारे मे ये बातें साफ नहीं है कि कौन सी जमीन पूरी नहरी है, कौन सी चाही है और कौन सी बरानी है । जब तक यह सारी बाते पहले कलियर नहीं हो

जाती तब तक टैक्स कैसे लगाया जा सकता है? स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ कि यह टैक्स तो ऐसे है जैसे सैटर का तम्बाकू टैक्स है । वे एक किल्ले पर एक हजार भी लगा देते हैं और अगर किसी जमींदार ने कुछ रिश्वत दे दी तो कम लगा देते हैं । तो बिल्कुल उसी तरह से इस केस में भी पटवारी करेंगे । इस जल्दबाजी में मैं समझता हूँ कि किसानों पर टैक्स का ज्यादा दंड लगेगा और वह बेचारा जमींदार जो हल चलाने वाला है वह कचहरियों में चक्कर काटता फिरता रहेगा और फिर उसका फैसला पता नहीं कब होगा । इस से किसान को बहुत मुश्किल पेश आएगी क्योंकि उस की जमीन भी कुर्क हो सकती है । इसलिए मैं कहूँगा कि आप इस को कम्प्लीकेटिड न बनाएं और बैंक डेट की बजाए इसे आप 16 जून, 1974 को लागू करें और उस वक्त तक जमीन की ग्रेडिंग का काम मुकम्मल कर लें । वरना अगर बैंक डेट से आप अन्धाधुन्ध टैक्स किसानों पर लगायेंगे क्योंकि वह बेजबान है, तो बिल्कुल नामुनासिब बात होगी । पिछले सारे साल में सिवाए किसानों के किसी और पर भी टैक्स नहीं लगाया गया । जितने भी इन्डायरैक्ट टैक्स हैं वे सब भी किसानों को ही देने पड़ते हैं और यह पांच करोड़ रूपए के टैक्स तो सीधे किसानों पर ही लगे हैं । यह ऐसे टैक्स हैं जिस का हिसाब किताब ही कोई नहीं है । मुझे पता है कि बाद में जब मंत्री महोदय जवाब देंगे तो वे कहेंगे कि हम ने बिल्कुल सारा हिसाब किताब कर लिया है । (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी ईश्वर सिंह पदासीन हुए) लेकिन उसके अन्दर कितने मुकदमों में कचहरियों से जायेंगे,

कितनी लोगों की दिक्कतें तकलीफें होंगी और कितनों को इसमें नुकसान पहुंचेगा उसका अंदाज आज नहीं लगाया जा सकता है इसलिए इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए । और इस बात की जिद सरकार में नहीं आनी चाहिए कि चूंकि आडिनैस जारी कर दिया इस लिए 16 जून, 1973 से जरूर ही वसूली करनी है बल्कि आप इस सारी बात को ठंडं दिमाग से सारी पेचीदगियों का ध्यान में रखते हुये सोचें । अक्वल तो यह टैक्स बहुत भारी है, इससे बहुत सी छीके किसानों को आयेगी । और न सिर्फ छीके ही आयेगी बल्कि चक्कर आयेगे जब उनके सामने फर्द आयेगी कि इतना टैक्स देना है । फिर अगर फर्द भी ठीक से नहीं होगी तो आप खुद ही देख लें कि उनके साथ कितनी भरी से इनसाफी होगी इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जब त यह सारा हिसाब किताब ठीक नहीं हो जाता तब तक इसे लागू करना चाहिये । अगर हिसाब साफ हो जाए तो इसे जून, 1973 से लागू किया जाये और अगर हिसाब साफ न होतो फिर इसे और आगे सरकाना चाहिये और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये ।

राजस्व मन्त्री (पंडित चिरजी लाल शर्मा): चैयर मैन साहब, इस अमैडिंग बिल पर बोलने और जवाब देने की कोई खास जरूरत नहीं थी लेकिन अपोजीशन के मुआजिज मैबरान ने इस पर बहुत कुछ कह दिया और वह कुछ कहा जा तजरूवाकार मैबरान को इस अमैडिंग बिल पर कहने की जरूरत नहीं थी । यह एक फोरम है और बहुत अच्छा फोरम है अपनी दिमागी ख्यालात

और तस्सरात का इजहार करने के लिये लेकिन यह जो एक हरफा अमैडमेंट है कि 16 अगस्त, की जगह 16 जून करना है उसको लेकर उस पर जो दिल के गुबार थे वे सारे निकाल दिये चाहे बात कोई नहीं बनती थी । गवर्नमेंट को अपोजीशन का क्रिटिसिजम सुनना चाहिये यह मैं मानता हूँ और गवर्नमेंट अपोजीशन का क्रिटिसिजम सुनना चाहती है और उनके जा अच्छे सुझाव हो उनका मैं जाती तौर पर स्वागत करता हूँ लेकिन जिस तरीके से हेराफेरी करके बिल कुछ था और बातें कुछ कही गईं यह कोई अच्छा क्रिटिसिजम नहीं कहा जा सकता और इस वजह से मझे इस पर बोलने पड़ रहा है वरना कोई जरूरत नहीं थी । शायद अपोजीशन के फाजिल मैबरान को इस बात का पता नहीं कि किसानों को ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स से बचाने के लिये यह ऐक्ट पास किया गया था वरना आप राज कमेटी की जो इस बारे में रिकमैडेशंस हैं उनको पढ़ें । आप साउथ में जायें वहां पर ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगा हुआ है । अगर ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगे तो आप देखें कि अनपढ़ किसानों को इन्कम टैक्स का सारा हिसाब मैनटेन करना पड़ेगा इतने सारे रजिस्टर रखने पड़ेगे और मुनीमा रखना पड़ेगा और सारी चीजों का हिसाब रखेगा कि कितनी खाद पड़ी कितना बीज पड़ा कितना पानी का और दूसरे सारे खर्च करने पड़े और कितनी पैदावार हुई । अगर ऐसा करना पड़ता तो आप समझ सकते हैं कि किसानों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था तो उनको इन सारी परेशानियों से बचाने के लिए राज कमेटी की रिकमैडेशंस को एक तरीके से

अवायड भी कर दिया और उन से किसानों को परेशानिया आनी थी उन से बचा भी दिया और उनको इम्पलीमेंट भी कर दिया । साउथ मे आप देखे वहां पर औवर एंड अबव लैंड रैवेन्यू ऐग्रीकल्चर इन्कम टैक्स भी लगा हुआ है मै जो बात कहूंगा निहायत जिम्मेदारी से कहूंगा क्योंकि मै साउथ मे ही कर आया हूं

चौधरी चान्द राम: अगर वह अपने किसानों को मारते है तो क्या आप भी मारेगे ?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: हम ने उनको मारने की नही बचाने की बात की है और इसलिए यह ऐक्ट पास किया है

चौधरी चांद राम: आप साउथ की बात कर रहे है साउथ मे मैसूर, केरल, आन्ध्रप्रदेश बगैरा भी है जहां कांग्रेसी सरकारे है और तमिलनाडू भ है जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार है । तो हम तामिलनाडू के बारे मे पूछते है वहां पर क्या है ?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: I am not wrong. although I am subject to correction, तमिलनाडू मे औवर एंड अबव लैंड रैवेन्यू ऐग्रीकल्चर इन्कम टैक्स है यह मै जानता हूं क्योंकि मै उधर बंगलौर की तरफ गया था और मुझे वहां के रैवेन्यू मिनिस्टर साहब से मिलने का मौका मिला था । उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर उनके ऐग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगा हुआ है । ये कहते है कि किसानों पर इतना टैक्स बढा दिया लेकिन मै अर्ज करता हूं कि हम ने इस खूबसूरती मे यह ऐक्ट पास किया कि राज कमेटी की

रिकमैडेशंज पर भी अमल कर दिया और ऐग्रीकल्चर इन्कम टैक्स से जो परेशानियां किसानों को होनी थी उन से भी उनको निजात दिला दी मगर बजाये गवर्नमेंट की तारीफ करने के यह इस मूरवे इल्जाम ठहारते है और कहते है कि 16 अगस्त की बजाये 16 जून क्यो कर दिया? यह जो मेरे दाये बैटे है यही जमींदारो और किसानो के हमदर्द नही है मैने भी जमींदार घराने मे जन्म लिया है और यह सरकार जमींदारो किसानों की सही हमदर्द है जिसका नमूना आपके सामने है कि इस सरकार ने किसानो की बहबूदी के लिये वे काम किये है जो आज तक किसी सरकार ने नही किये है और उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाये दी है । आप देखे कि चार करोड़ रूपये आब्याना के मिलते है लेकिन यह सरकार साढे ग्यारह करोड़ रूपये किसानों के लिये रिलीफ नही है ? आप देखें आज यह सरकार किसानो को पैदावार बढाने के लिये खाद,बीज, टयूबवैलज, पम्पिंग सैट्स , बिजली बगैरा की कितनी सुविधाये दे रही है जो आज तक किसी सरकार ने नही दी थी । इन सुविधाए की वजह से जिस जमीन की कीमत पहले सौ रूपये बीघा थी आज उसकी किमत दो हजार रूपये बीघा तक हो गई है और जिस जमीन मे पहले 10/15 मन पैदावार होती थी उसी जमीन मे अब इन सुविधाओ की वजह से गदंम की पैदावार 40/50 एकड़ की हो गई है तो मै अर्ज कर रहा था कि जब यह ऐक्ट पास हुआ था उस वक्त काफी इस पर बहस हो चुकी थी कि माल बढाया जाये या न बढाये जाये और कितना बढाया जाये लेकिन आज फिर इस छोटे से अमैडिंग बिल पर वही बाते घुमा फिरा कर इधर उधर के

इशारे करके की गई जो नहीं की जानी चाहिए थी जनसंघ के एक माननीय सदस्य ने कह दिया और बड़ा स्ट्रेस किया कि जितनी तरक्की हो रही है वह किसानों के कंधों पर ही हो रही है मैं बताना चाहता हूँ कि पहले हरियाणा में 70 लाख रुपये मालगुजारी मिलती थी और फिर उस पर सरचार्ज , स्पेशल सरचार्ज बगैरा दूसरे टैक्स थे जिस से एक करोड़ 62 लाख रुपये मिलते थे और अब इस ऐक्ट के पास हो जाने से यह रकम चार करोड़ रुपये हो गई है । या हो जाने की सम्भावना है । अब आप अन्दाज लगाये कि यह मालगुजारी कब मुकर्रर हुई थी । 1881 में यह ऐक्ट बना था और 1909-10 में बंदोस्त हुआ था । उस वक्त से आज तक आप देख ले कितने तरक्की के काम हुये हैं और किसानों की कितनी आमदनी सरकार की तरफ से दी सुविधाओं की वजह से बढ़ी है इस सरकार ने जितने तरक्कियाती काम किसानों के लिये किये हैं और उनको पैदावार बढ़ाने और आमदनी बढ़ाने की जितनी सुविधाये इस सरकार ने दी है उतनी किसी सरकार ने नहीं दी और सारे हिन्दुस्तान में किसी ने इतनी सुविधाए नहीं दी है आप सिंचाई के साधनों को ही देख ले कितने दिए गए हैं? उनके लिए एक लाख 17 हजार ट्यूबवैल्ज लगाए गए हैं, औगमैटशन कैनलज बनाई गई है, सीपेज को रोकने के लिये जिसके रूकने से पानी भी बढ़ा और सेम भी रूकी नहरों को पक्का किया गया है और किया जा रहा है, और भी नहरे बनाई जा रही हैं जिन से सुखे खेतों को पानी मिलेगा और किसानों की पैदावार बढ़ने से आमदनी बढ़ेगी । आखिर ये जो इतने तरक्की के काम किसान के लिये हुये

है और हो रहे है उनके लिए पैसा भी आना चाहिये । तो अगर किसान अपनी इतनी बढी हुई आमदनी मे से कुछ हिस्तसा तरक्कियाती कामो के लिये दे दे तो कोई बुरी बात नही है । अगर हम ने प्रांत की तरक्की करनी है तो कब तक हम दूसरो के दस्तेनगर रहेंगे और पैसा मागते रहेंगे । किसान को सुविधाओ देने के लिये और उसकी आमदनी बढाने के लिये अगर उस पर थोड़ा बोझ डाल देते है तो इस पर आपत्ति नही होनी चाहिये । हमारा जमीदार और किसान जहां अपने राइट्स को समझता है वहां उसे अपनी जिम्मेदारियो का भी एहसास है और एस ने इस ऐक्ट बनने पर इस के खिलाफ कभी लबकुशाई नही की ओर सदाये एहतजाज बुलंद नही की । हमारे भाई जिन्होने डिस्पूवल का प्रस्ताव पेश किया वह जमींदारो, किसानो के ज्यादा हमदर्द बनते है मै हैरान हूं कि जो भाई मालगुजारी देते नही है वही ज्यादा हमदर्द किसानो के बन रहे है । वैसे खेती बाड़ी से और किसानो से इनका कोई ताल्लुक नही है ।

चौधरी राम लाल वधवा: हमारा ताल्लुक है, हमारे पास जमीन है ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: मजदूर मेहनकश है, वह खून पसीने की कमाई करता है चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य चौधरी दल सिंह ने एक चीज कही, इन्तकाल के बारे मे । इन्तकाल बडी माकूल चीज है मे आपको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने रैवेन्यू आफिसर्ज को पहले ही हिदायत कर दी और अब

फिर हिदायत कर दी जाएगी क्योंकि मालगुजारी वसूल करना हमारी जिम्मेदारी है । हमारे अफसरान की यह जिम्मेदारी है और हमें अहसास है कि जब तक रैवेन्यू रिकार्ड कम्पलीट नहीं होगा तब तक आपति अफसरान को भी होगी और जमीदारों को भी होगी । हमने इसके बारे में इन्स्ट्रक्शन्ज भेज दी है कि जिसकी म्यूटेशन पैडिंग है उनका जल्दी से जल्दी फैसला करने तकमिल तक पहुंचाया जाए । यह सुजैशन उनकी बड़ी माकूल है ।

चौधरी राम लाल वधवा: तारीख कौन सी फिक्स करेंगे ?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: जितनी भी ट्रांसफर ऐप्लीकेशन पैडिंग है उनको जल्दी से जल्दी कम्पलीट किया जाए, ऐसी हिदायत जारी कर दी है । जहां तक तारीख का सवाल है, स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्ज में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है

“According to section I (3) of the Haryana Land Holdings Tax Act, 1973, this Act is to come into force on such date as the State Government may, by notification, specify, so it was enforced, through notification with the effect from 30th August, 1973. But since the land revenue and other Government dues were collected from the Agricultural year starting from 16th June every year, it was considered essential to collect the land tax for the complete Agricultural Year. Consequently the Haryana Land Holdings Act, 1973 was

enforced with effect from 16th june 1973 through Ordinance, as at that time the Vidhan Sabha was not in session”

चौधरी चान्द राम: क्या भूल हो गई थी ?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: यह भूल नहीं थी । यह ऐसे था जैसे एप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद माननीय सदस्य एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते रहे यह तो अमैडिंग बिल था लेकिन सब कुछ कह गए । भूल वाली कोई बात नहीं है, यह मामूली सी बात है लेकिन आपने इसका अफसाना बना दिया। मैं सदन का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, इतना ही कहूंगा कि जो तजवीजे हमारे पास आई है उन के बारे में हिदायत जरूर कर देंगे ।

Mr. Chairman: Question is

That this House disapproves the Haryana land Holdings Tax (Amendment) Ordinance, (Haryana Ordinance No, 4 of 1973) [भूमि जोत कर (संशोधन) अध्यादेश (1973 का हरियाणा अध्यादेश सं० 4)

The motion was lost.

Mr Chariman: Question is

That the haryana Land Holdings Tax (Amendment) Bill [हरियाणा भूमि जोत कर (संशोधन) विधेयक]

The motion was carried.

Mr Chariman: The House will now take up the Bill clause by clause.

Sub Class (2) of Clause 1

Mr Chariman: Question is

That sub clause (2) of clause 1 stand part of Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr Chariman: Question is

That clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr Chariman: Question is

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Class (2) of Clause 1

Mr Chariman: Question is

That sub clause (1) of clasue 1 stand part of the
Bill.

The motion was carried.

Enactin Formula

Mr Chariman: Question is

That enacting formula be the enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr Chariman: Question is

That title be the title of the bill.

The motion was carried.

Pandit Chiranji Lal Sharma: Sir, I be to move-

That the Haryana Land Holdings Tax (Amendment) Bill [हरियाणा भूमि जोत कर (संशोधन) विधेयक] be passed.

Mr. Chariman: Motion moved—

That the Haryana Land Holdings Tax (Amendment) Bill [हरियाणा भूमि जोत कर (संशोधन) विधेयक] be passed.

चौधरी दल सिंह: चेयरमैन साहब, मैं मंत्री महोदय के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूँ। खेतों में नहर का पानी लगता है और कुओं का पानी भी लगता है कुएँ का पानी वहाँ लगता है जहाँ नहर का पानी कम लगता है और ट्यूबवैल का पानी भी वहाँ लगता है जहाँ नहर का पानी कम लगता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर कुएँ और ट्यूबवैल का पानी लगता है उसको क्या नहरी करार देंगे या चाही करार देंगे ताकि टैक्स ठीक हिसाब से लगे? कृपया इस चीज का ध्यान रखें।

चौधरी राम लाल वधवा: जो केसिज पैडिंग पडे हुए है उन को पूरा करने के लिये आर्डर कर दिए जाएंगे, यह बात तो ठीक है इसके साथ ही साथ आप यह विश्वास दिलाए कि टैक्स भी उस तिथि से लेगे जिस तिथि को म्यूटेशन मुकम्मल हों। यह न हो कि चार पांच साल का टैक्स उन पर आयद कर दिया जाए और इतना बडा बोझ बरदाश्त न कर सके ।

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Chariman, perhaps my hon friend does not know that mutation does not vreat rights. it is sumply completion of revenue revord.

जहां तक प्रोप्राइटरी राईट का सवाल है, वह तो बाई रजिस्टर्ड डीड ट्रास्फर हो जाते है जहां तक गिरदवारी का ताल्लुक है, हमने सारे हरियणा के डिप्टी कमिश्नर की मिटिंग बुलाकर उन्हे यह हिदायत जारी कर दी गई कि स्पैशल गिरदावरी करवाई जाए । हालांकि गिरदवारी इस महीने मे होनी थी लेकिन लैंड टैक्स के लिए स्पैशल गिरदवारी करवाई है और उसकी हड्रैंड परसैट चैकिंग कानूनी करेगे। तहसीलदार नायब तहसलीदार सभी इसी काम पर लगाए गए है ऐसी चीज नही होगी जिससे किसी को शिकायत करने का मौका मिले । (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

Mr. Speaker: : Question is

That the Haryana Land Holdings Tax (Amendment) Bill [हरियाणा भूमि जोत कर (संशोधन) विधेयक] be passed.

The motion was carried.

दी पजांब शुगरकेन (रैगुलेशन आफ परचेज एण्ड सप्लाई) हरियाणा अमैडमेंट बिल, 1973

Agriculture Minister(Chaudhri Bhajan Lal): Sir, I beg to introduce the Punjab Sugarcane (Regulation of purchase and Supply) Haryana Amendment Bill [पजांब गन्ना (कय तथा प्रदाय का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक] 1973.

Sir, I also be to move

That the Punjab Sugarcane (Regulation of purchase and Supply) Haryana Amendment Bill [पजांब गन्ना (कय तथा प्रदाय का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक] be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि पजांब गन्ना (कय तथा प्रदाय का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

चौधरी दल सिंह: आदराणीय स्पीकर साहब, पजांग शुगरकेन(रैगुलेशन आफ परचेज एण्ड सप्लाई) बिल तरमीम करने के लिए सदन मे पेश किया गया है बिल के उदेश्य और कारणों के विवरण मे यह कहा गया है कि अगर कोई किसान या सोसाइटी, शुगर मिल का गन्ना नहीं देती तो केन-कमिश्नर की ऐप्रूवल पर एजैट गन्ना बाहर से खरीद सकता है एक तरफ तो ये इस सैक्शन मे तरमीम कर रहे है ओर दूसरी तरफ पाबन्दी लगाई

है कि ऐसा करने से पहले सरकार की इजाजत ले । यहां तक तो यह तरमीर ठीक है लेकिन इसके आगे एक नया सैक्शन जोड़ दिया है जो सैक्शन 15 है ओर उसमें लिखा है कि—

“As soon as cane is supplied to a factory, the occupier of such factory shall be liable to pay the price of cane so supplied”

इसमें कोई पीरियड फिक्स नहीं किया कि कब गन्ने की कीमत देगे । इसके सब सैक्शन 3 में यही बात है कि अगर 14 दिन तक फ़ैक्टरी का मालिक पैसे न दे तो इन्ड्रैस्ट देना पड़ेगा लेकिन इसमें पीरियड मुकरर नहीं किया । एक किसान जो अपना गन्ना बेचता है वह अपनी जरूरत के लिये बेचता है, उनको पैसा चाहिए और अगर साहूकार पैसा न दे और उसके बदले में सूद देता रहे तो किसान को अपनी रकम नहीं मिलेगी । इस रकम को अदा करने के लिये डैफिनिट डेट होनी चाहिए कि फलां दिन तक गन्ने की कीमत जरूर देनी पड़ेगी । अगर इस पीरियड के अन्दर अन्दर साहूकार पैसा न दे तो उस पर पैनल्टी होनी चाहिए कि इतना जुर्माना देना पड़ेगा । फ़ैक्टरी के अन्दर पर पैनल्टी होनी चाहिए । अगर इसी हालत में बिल सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए । गन्ने की कीमत दिलाने के लिए लाजमी तौर पर कोई न कोई वायदा किया जाए ताकि किसानों को ठीक वक्त पर गन्ने की कीमत मिल सके । अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि इसमें सूद का प्रोविजन रखा है लेकिन इसमें भी लकूना है । इसमें यह तो कह दिया है कि सूद 12 परसेंट से ज्यादा नहीं होगा लेकिन

यह नहीं कहा कि कम से कम सूद कितने परसेंट होगा । इस बात का गवर्नमेंट अभी डिटरमिन करेगी कि सूद कितना होगा। यह तो लिगर आन करने की बता है । इसमें यह बात भी साफ तौर पर आ जानी चाहिए थी कि इससे कम सूद नहीं होगा। इसके साथ साथ इसमें पीरियड का न देना कि कितने दिन के अन्दर फ़ैक्टरी औरनर किसान को सूद के साथ साफ पेमेंट देगा यह जाहिर करता है कि गवर्नमेंट कहेगी कि जैसे सरकार प्रैसक्राइब करेगी । वैसे कीमत मिलेगी । यह पीरियड भी स्पैसिफिकली यहां आ जाना चाहिए था जैसे कि 14 रोज का पीरियड रखा है कही ऐसा न हो कि ब्याज से ही काम चलता रहे और किसान को कीमत न मिले । इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि इन सारी बातों का कानून बनना चाहिए कि अगर फ़ैक्टरी के मालिक लाजमी तौर पर किसान को स्पैसिफिक पीरियड में कीमत न दे तो जुर्माना भी दे और सूद भी दे । फिर तो मतलब पूरा हो सकता है वरना इस तरमीम का कोई फायदा नहीं है बस, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष: चौधरी शिव राम वर्मा ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब, मैं पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन के लिए वक्त चाहता हूँ । चाहे आज दे दे कल देना चाहे कल दे दे या परसों दे दे ।

श्री अध्यक्ष: पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन किस बात का ?

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: करैक्टर असैसीनेशन के जवाब मे कि फला चीज बन जाए तो रिश्वत लेंगे और फंला चीज बन जाए तो यह करेगे ।

श्री अध्यक्ष: छोडिए अब तो गई आई हुई बाते ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: छोडिए क्यो, पसर्नल ऐक्सप्लेनेशन देना मेरा हक है ।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये । मै शिव राम जी का नाम बोल चुका हूं ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: मुझे कल समय दे दे परसो दे दे । जब आपको कबिनियंट हो तब दे दे ।

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: आप सैकैटरी साहब से पूछिए । इसका दस्तूर यह है कि जैसे ही हाउस मे एन्टर होता हूं मुझे आपके नोटिस मे लाना चाहिए । उसके बाद आपकी डिसक्रिशन है कि आप अपनी कविनियस के मुताबिक मुझे टाईम दे ।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाईए । इनको बोलने दीजिए । मै इनका नाम पुकार चुका हूं ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: मैं भी अपने राईट की मांग कर रहा हूँ । मेरा प्रिवलेज है रिक्वैस्ट करना कि मुझे पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन के लिए समय दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष: मैं कोई टाईम नहीं देता ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: दूसरो का आप क्रेक्टर असैसीनेशन होने देत है । जब मैं पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन के लिए टाईम मांग रहा हूँ तो दे नहीं रहे है

श्री अध्यक्ष: आपने मेरी रूलिंग चाही थी वह मैं दे चुका हूँ ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: मुझे आपी रूलिंग नहीं चाहिए, मुझे पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देने के लिए टाईम चाहिए ।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए वर्मा साहब ।

चौधरी शिव राम वर्मा (नीलोखेड़ी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त गन्ना अधिनियम में संशोधन की बात हमारे सामने है इसमें जहां मिल के साथ किसान या किसानों को कोआप्रटिव सोसाइटीज यह ऐग्रीमेंट करने की पाबन्द है कि मिल एरिया के अन्दर जो गन्ना हो वह उन्हें मिल को देना पड़ेगा, इसी तरह से इसमें साथ ही यह भी संशोधन होना चाहिए कि मिल भी पाबन्द होगा किसानों का सारा गन्ना लेने को जितना कि वे देना चाहे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि गन्ना कम होतो मिल

वाले लोगो के कोल्हू भी बंद करवा देते है, सारा गन्ना ले लेते है और वे बेचारे अपने खने के लिए भी गुड नही बना पाते लेकिन गन्ना यदि ज्यादा हो तो फिर मिल उनका गन्ना नही लेती, वह गन्ना खेत मे खड़ा रहता है कई बार अगले साल तक खड़ा रहता है और उनकी सारी मेहनत जाया जाती है । इसलिए इसमे भी जरूर संशोधन आना चाहिए । तभी समस्या हल होगी वरना हर साल मुश्किल आती रहेगी ।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय चौधरी दल सिंह जी ने एक बात कही कि गन्ने की कीमत देने की कोई तिथि निश्चित नही की गई । उन्होने कहा कि यह ठीक है कि यदि 14 दिन के अन्दर अन्दर मिल वाले किसान को कीमत न दे पाए तो 12 पसैट तक का सूद देगे लेकिन कम से कम कितना सूद देगे यह भी निश्चित हो जाना चाहिए था । फिर उन्होने कहा कि कुछ दिन मुफरर होने चाहिए जिसके बाद पैनल्टी और सूद दोनो लिए जाएं । लेकिन मै कहूंगा कि भले ही सूद भी हो और कुछ दिनों के बाद पैनल्टी भी हो लेकिन फिर भी तिथि निश्चित हो कि इतने दिनों के अन्दर अन्दर गन्ने की कीमत देनी ही पड़ेगी । कही ऐसा न हो कि पेनल्टी भी होती रहे और सूद भी पड़ता रहे मगर किसानो को उनके गन्ने की कीमत न मिले । किसानो मे मुकदमाबाजी करने की हिममत नही है । इसलिए इसमे कोई न कोई तिथि चाहे 14 दिन की हो, 20 दिन की हो, 25 दिन की हो या एक महीने के बाद की हो जरूर होना चाहिए और इसमे लिखा

होना चाहिए कि इतने दिन में जरूर मिल को पैसा देना पड़ेगा सूद के साथ और पैनल्टी के साथ । इसके साथ एक बात जो बहुत जरूरी है समझता हूँ वह भी इसमें आनी चाहिए । यह संशोधन भी अगर सरकार आज कर से तो आज कर ले वरना बाद में जब कर सके तक कर ले । यह बात यह है कि गन्ने की कीमत सीजन से पहले बाजार में जिस भाव से खुली चीनी बिकती है उसके हिसाब से पहले से निश्चित की जानी चाहिए । केन्द्रीय सरकार तो कम से कम कीमत मुकर्रर करती है लेकिन उसके बाद प्रान्तीय सरकार का अपने यहां की परिस्थितियों को देखते हुए कीमत मुकर्रर करती है लेकिन उसके बाद प्रान्तीय सरकार को अपने यहां की परिस्थितियों को देखते हुए कीमत मुकर्रर करनी चाहिए । केन्द्रीय सरकार ने तो मिनिमम कीमत 8 रूपए मुकर्रर कर रखी है लेकिन गन्ना 18-19 रूपए क्विटल भी बिका है और 10-12 रूपये बिका है । तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि हर वर्ष गन्ना पिलाई का समय आने से पहले ही चीनी के बाजार के खुले भाव को ध्यान में रखते हुये उसके तथा महंगाई के साथ गन्ने का भाव जोड़कर निश्चित किया जावे । इस प्रकार न करने के कारण ही तो सरकार से बातचीत करके पहले ही यह घोषणा कर दे कि मेरी स्टेट की जो मिले है वे कम से कम इस भाव से गन्ना खरीदेंगी यह किमत मैं फिर एक बार कह दूँ कि बाजारी भाव से बिकने वाले चीनी से तालमेल बिठाकर किसान को चाहिए । यही दो तीन बातें स्पीकर साहब मैं सरकार के नोटिस में लाना

चाहता था। आशा है कि सरकार इन पर ध्यान देगी और इस तरह का संशोधन जरूर लाएगी ।

श्री ओमप्रकाश वर्मा: आदरणीय स्पीकर साहब, मैं आपको मार्फत एक दो बातें सदन से कहना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष: जो बातें कही जा चुकी हैं उनके अलावा यदि कहना चाहते हैं तो ठीक है ।

श्री ओमप्रकाश वर्मा: स्पीकर साहब, ये जो गन्ना लेने के सैटर्ज बनें हुए हैं ये बहुत पुराने बने हुए हैं । जब हरियाणा में सड़के ही नहीं थीं तब ये सैटर्ज पक्की सड़को के आस पास बनाए गए थे । अब हरियाणा में ज्यादातर गांव में भी सड़के पहुंच गई हैं । इसलिए सैटर्ज को भी नए तरीके से बनाया जाना चाहिए । कहां कहां और सैटर्ज बनने चाहिए इस और सरकार का कदम उठाना चाहिए । मिसाल के तौर पर लाडवा के आस पास मेहरा, गुड़ा या धान्धला इनमें से किसी एक जगह सैटर अवश्य बनना चाहिए । मिल भी जल्दी से जल्दी चलने चाहिए और अप्रैल तक सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद गन्ना खेतों में रह नहीं सकता । गन्ने की कंट्रोल करना, इकट्ठा करना और भेजना बहुत कठिन होता है । पिछले साल 28 अक्टूबर को मिलज चल पड़े थे और इसकी वजह से गन्दम की सोईंग बहुत अधिक हुई थी । हजारों टन गन्दम बिका था । अग के मिलज लेट चल रही हैं । ये भी जल्दी चलनी चाहिए । बस मैं यही कहना चाहता हूँ ।

चौधरी चान्द राम (बबैन अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मै ज्यादा समय नही लेना चाहता लेकिन दो चार बाते इस सम्बन्ध मे करना मै जरूरी समझता हूं । एक बार एक सवाल हमने किया था और कृषि मंत्री ने जवाब दिया था कि शुगर मिलज की तरफ कोई एरियर नही है उस वक्त भी हमने सवाल इसलिए किया था क्योकि जमींदार ही एक ऐसी क्लाज है जिसमी चीज उधार मे ली जाती है चाहे उसे कोई भी ले । अगर वे मंडी मे अपनी चीज ले जात है तो दयाल उसे उधार मे ले लेते है, नकदी मे नही लेते है अगर शुगर मिलज को वह गन्ना दे तो वे 14 दिन तक पेमैट नही देगे । ये इस बात को नही सोचते कि इन जमीदारो के बीच मे कुछ जमीदार ऐसे भी होंगे जो केवल एक किल्ले या दो किल्ले के मालिक होंगे और वे गन्ना इसलिए पैदा करते है क्योकि उनका गुजारा उसी पर निर्भर होगा । आज कोई आदमी बाजार से दो पैसे की चीज उधार लाकर देख ले ।कोई उधार नही देता है । सिर्फ यही एक क्लास है जिसको एक्सप्लायट किया जाता है और एक्सप्लायट करने वालो मे सबसे बड़ी एजेंसी सरकार है । आज हमारी स्टेट मे तीन शुगर मिलज है । रोहतक और पानीपत वाली मिले कोआप्रेटिव मिलज है ।इन दोनो मे कंज्यूमर्ज के भी हिस्से है । तीसरी जो मिल है वह प्राईवेट मिल है । यह हर साल डेढ दो करोड़ मन गन्ना पेलती है । स्पीकर साहब कांग्रेस पार्टी का रैजोल्यूशन है और यह बम्बई मे कांग्रेस ने पास किया था कि सब शुगर मिलो का राष्ट्रीयकरण हो । मेरी समझ मे नही आता कि वह क्यो नही किया जा रहा है? यहां पर राग अलाप रहे है कि

हरियाणा प्रागैसिव स्टेट है । यहां यह भी कहते है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बड़े अच्छे है ।

श्री अध्यक्ष: चौधरी चांद राम जी आप हमेशा इररैलेवैन्ट बोलते है आप जो कुछ बोलते रहे है यह बिल्कुल इररैलेवैन्ट है । यहां पर नेशनेलाईजेशन का तो कोई सवाल ही नही है ।

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, मै तो यही कहना चाहता हूं कि अगर इस मिल का राष्ट्रीयकरण हो जाता तो जो किसानो का एरियर पड़ा हुआ है वह कम से कम गवर्नमेंट के पास तो होता । वह तो अब एक खून चूसने वाले के पास है ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: स्पकीर साहब, आंख के बारे मे बोले तो रैलेवैन्सी हो सकती है उसको तो आप रोकते नही और इनको रोक रहे है ।

श्री अध्यक्ष: आप तशरीफ रखिए ।

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, हमारे समर्थक तो आत ही है मै समझता हूं कि एक मिनट ओर दें दे । हमारे हरियाणा मे दो कोआप्रेटिव मिल्ज है एक मिल एक ही आदमी के पास है और उसी आदमी को छ साल के लिए फिर राज्य सभा का मैम्बर बना दिया । उस आदमी की और भी ज्यादा ताकत दे रहे है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप तशरीफ रखिए, आप बैटिए । मै आपको बोलने की इजाजत नहीं देता हूँ । आप तशरीफ रखिए ।

चौधरी चान्द राम: स्पीकर साहब, मै तो यही निवेदन करना चाहता हूँ यह सरस्वती शुगर मिल जो है इसका जल्दी से जल्दी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये ।

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, कुछ अपोजीशन के साथियो ने इस बिल की मुखालिफत की है । वे साथी इस अमैडमेंट को जो हमने की है, समझ नहीं सके । एक तरफ तो ये जमीदारो के हमदर्दी के ठेकेदार बन हुए है और दूसरी तरफ ये कहते है कि इसमे जापे अमैडमेंट की है यह ठीक नहीं है । स्पीकर साहब, जो बिल पहले बना हुआ था उसमे कुछ कमियां थी इस अमैडमेंट से हमने उन कमियो को दूर किया है । इसमे पहले यह था कि था कोई भी मिल, उस मिल के एरिया के बाहर से गन्ना लाये तो उस पर कोई पाबन्दी नहीं थी, उस पर अब हमने पाबन्दी लगायी है । यदि कोई मिल अब बाहर से गन्ना लायेगा तो उसको बाकयदा केन कमिश्नर से इजाजत लेनी पड़गी । ऐसा कर देने से उस एरिया के किसानो को किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होगी । दूसरो हमने जो सशोधन किया है वह यह है कि पहले यह था कि किसान का गन्ना जो मिल लेता था उसके पैसे का कोई सूद नहीं देता था । किसान का पैसा मिलों मे चार चार और छः छः महीने खड़ा रहता था परन्तु किसान मिल से कोई सूद नहीं ले सकता था अब जो हमने कानून बनाया है

उसमे यह पाबन्दी लगायी है कि किसी भी मिल की तरफ किसान का पैसा खड़ा होगा, यानी बकाया होगा तो उसको 12 परसेन्ट सूद किसान को देना पड़गा । इसलिए हमने यह जो अमैडमैट की है यह किसान के फायदे के लिए की है ।

तीसरी बात यहां यह कही गयी है मिल किसानो का सारा गन्ना नहीं लेते है । ऐसी शिकायते हमारे नोटिस मे कोई नहीं आयी और हमे कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली ।तीनों ही मिल हमारे ठीक चलते है । ऐसी शिकायत नहीं है । एक साल जरूर शिकायत थी वह भी तीन साल पहले की है अब की नहीं कि मिल गन्ना उठा नहीं रहे ।

एक बात चौधरी शिव राम वर्मा जी ने यंहा पर यह भी कही कि गन्ने की कीमत जो साढे आठ रूपये क्विटल रखी है, यह बहुत कम है । हमने तो पिछले साल भी गन्ने की कीमत बारह और साढे बारह रूपये क्विटल किसानों को दी है गन्ने की कीमत घोषित करने से पहले सारी चीजे देखते है चीनी का भाव भी देखते है और चीजे भी देखी जाती है इन सारी की सारी चीजो का हिसाब रख कर ही गन्ने का भाव हमने इस साल भी तय करना है हमेना हमेशा ही रिजनेबल रेट किसानों का दिया है किसानो को हमने शिकायत का मौका नहीं दिया, न ही किसी को शिकायत हो सकती है ।

स्पीकर साहब, एक बात चौधरी चान्द राम जी ने एरियर के बारे में कही । इसके लिए ही हमने सूद का प्राविजन रखा है अब किसानों के एरिचर्ज कोई खास नहीं है । सरस्वती मिल की तरफ केवल 81,400 रूपया खड़ा है उस मिल ने बार बार किसानों की चिट्ठी लिखी है कि आप अपना पैसा ले जाइये लेकिन बहुत से किसान ले नहीं जाते । अब हमने आगे के लिए यह प्रोविजन ही कर दिया है कि कोई बाकी पैसा किसान का मिल के पास होगा तो सूद देना पड़ेगा ।

चौधरी चान्द राम जी ने यहां यह कहा कि सरस्वती मिल का राष्ट्रीयकरण नहीं किया । जहां तक राष्ट्रीयकरण का ताल्लुक है यह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने करना है, उसका काम है । यह प्रान्तीय सरकार का काम नहीं । जहां तक इस मिल का सम्बन्ध है इस मिल के बारे में आज तक सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आयी कि उसने सरकार के साथ कभी कोआप्रेट न किया हो । जहां हमारे दो कोआप्रेटिव मिलें चलते हैं और जो भाव हम उन मिलों के लिए तय करते हैं । वही भाव यह प्राइवेट मिल भी गन्ने का देता है ।

एक बात श्री औमप्रकाश जी गर्ग ने कही कि जो गन्ना लेने के सैन्टर्ज हैं वे बहुत पुराने हैं । अब नयी नयी जगहों पर सड़के चली गयी हैं या बन रही हैं वहां पर भी सैन्टर्ज खोल जायें । हम इस बात को ऐगजामिन करेंगे और जहां पर भी सैन्टर खोलने जरूरी है वहां जरूर सैन्टर खोले जायेंगे । यह तकलीफ

किसानों की दूर जरूर की जायेगी । अध्यक्ष महोदय मेरी आप द्वारा सदन से यह प्रार्थना है कि इस बिल को पास किया जाये ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है

कि पजांब गन्ना (क्रय तथा प्रदाय का विनियमन) हरियाणा सशांधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर कलाज बाई कलाज विचार करेगा ।

कलाज 2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है

कि कलाज 2 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज 3

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है

कि कलाज 3 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज 4

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है
कि कलाज 4 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है
कि कलाज 1 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम सूत्र

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है
कि अधिनियम सूत्र विधेयक का अधिनियम सूत्र बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शीर्षक

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है
कि शीर्षक विधेयक का शीर्षक बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

Chaudhri Bhajan Lal: Sir, I beg to move

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply)Haryana Amedment Bill पजाब गन्ना (क्रय तथा प्रदाय का विनियमन) हरियाणा सशांधन विधेयक be passed

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

कि पजाब गन्ना (क्रय तथा प्रदाय का विनियमन) हरियाणा सशांधन विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है ।

कि पजाब गन्ना (क्रय तथा प्रदाय का विनियमन) हरियाणा सशांधन विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**दी पजाब ऐन्टरटेनमैट्स टैक्स (सनेमैटोग्राफ शोज) हरियाणा
अमैडमैट बिल, 1973**

Develppmetn Minister (Shri Shyam Chand): Sir, I beg to introduce the Punjab Entertainments Tax (Cinematograph Shows) Haryana Amendment Bill, पजाब मनोरजन कर (सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन) हरियाणा सशोधन विधेयक 1973,

Sir I also beg to move-

That the Punjab Entertainments Tax (Cinematograph Shows) Haryana Amendment Bill, पजाब

मनोरजन कर (सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन) हरियाणा सशोधन विधेयक
to be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि पजाब मनोरजन कर (सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन)
हरियाणा सशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष: समय कम है और सदस्य बोलना भी चाहते
है । अगर सदन का समय आधा घन्टा बढ़ा दिया जाये तो ठीक
रहेगा । अभी दो विधेयक और रहते हैं ।

कई सदस्य: इसी समय में ही पास हो जायेगा । समय
न बढ़ाया जाए ।

श्री गुलाब सिंह जैन हिसार: स्पीकर साहब, इस बिल के
द्वारा इस परसैन्ट शो टैक्स लगाया है । इससे पहले शो की
सीट्स के हिसाब से लगता था । मैं यह समझता हूँ कि यह जो
शो टैक्स लगाया है यह ज्यादा कमाने के लिए नहीं है बल्कि
रेशनेलाइज रकने के लिए लगाया है इन्डस्ट्री भी स्टेट में पनपनी
चाहिए, इसे भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए । इसलिए मेरी सरकार से
गुजारिश है कि इस टैक्स को ऐगजामिन कर लें । इसके अलावा
शो टैक्स से इन्कम तो होती है लेकिन ज्यादा बोझा इस इन्डस्ट्री
पर नहीं डालना चाहिए ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब, मै भी सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं । जो एन्टरटेनमेंट यानी सिनेमा देखते है एक आख वाले उनकी आधी टिकट होनी चाहिए । आधा उन पर टैक्स होना चाहिए, वरना सी०एम० साहब को ऐसी बात नही कहनी चाहिए । इतना तो मिलना चाहिए आदमी को एक आदमी एक आंख से एल०एल०बी० भी करले, वकील भी हो जाए (हंसी)

श्री अध्यक्ष: बस हो गई आपकी बात....

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: मेरा टैक्स तो माफ करवा दो आप इस से (हंसी)

गृह मंत्री श्री के०एल० पीसवाल: स्पीकर साहब यह.... शब्द कार्यवाही से ऐक्सपन्ज कर दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष: दौलता साहब ने शब्द जो कहा है उसको ऐक्सपन्ज कर दिया जाए ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: वह तो मैने प्यार से कहा है मै इस आदमी को राजी नही कर सकता पर यह मुझे नाराज नही कर सकता यह मेरा चैलेन्ज है

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है ।

कि पजाब मनोरजन कर (सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन) हरियाणा सशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर कलाज बाई कलाज विचार करेगा ।

कलाज 2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है ।

कि कलाज 2 विधेयक का अग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कलाज 3

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है ।

कि कलाज 3 विधेयक का अग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कलाज 4

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है ।

कि कलाज 4 विधेयक का अग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कलाज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है ।

कि कलाज 1 विधेयक का अग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियम सूत्र

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है

कि अधिनियम सूत्र विधेयक का अधिनियम सूत्र बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शीर्षक

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है

कि शीर्षक विधेयक का शीर्षक बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

Shri Shyam Chand: Sir, I beg to move

That the Punjab Sugarcane (Cinematograph Shows
)Hayana Amedment Bill पजांब मनोरजन कर (सिनेमैटोग्राफ
प्रदर्शन) हरियाणा सशॉधन विधेयक be passed

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

कि पजांब मनोरजन कर (सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन)
हरियाणा सशांधन विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है ।

कि पजांब मनोरजन कर (सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन)
हरियाणा सशांधन विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दी पजांब ऐन्टरटेनमैट्स टैक्स (वैस्टिंग आफ राईट्स) बिल, 1973

Industries Minister (Shir Harpal Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Minerals (Vesting of Rights) Bill हरियाणा खनिज (अधिकार निधान) विधेयक 1973,

Sir, I also beg to move

That the Haryana Minerals (Vesting of Rights) Bill हरियाणा खनिज (अधिकार निधान) विधेयक be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

कि हरियाणा खनिज (अधिकार निधान) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है ।

कि हरियाणा खनिज (अधिकार निधान) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर कलाज बाई कलाज विचार करेगा ।

कलाजिज 2 से 8

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है ।

कि कलाज 2 से 8 विधेयक का अग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कलाज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है ।

कि कलाज 1 विधेयक का अग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियम सूत्र

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है

कि अधिनियम सूत्र विधेयक का अधिनियम सूत्र बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शीर्षक

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है

कि शीर्षक विधेयक का शीर्षक बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

Shri Harpal Singh: Sir, I beg to move

That the Haryana Minerals (Vesting of Rights) Bill
हरियाणा खनिज (अधिकार निधान) विधेयक be passed.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

कि हरियाणा खनिज (अधिकार निधान) विधेयक पारित
किया जाए ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है ।

कि हरियाणा खनिज (अधिकार निधान) विधेयक पारित
किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दी पजाब लेड रैवेन्यू (हरियाणा अमैडमेंट) बिल, 1973

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal): Sir, I beg
to introduce the Punjab Land Revenue Haryana Amendment
Bill पजाब भू राजस्व हरियाणा सशोधन विधेयक 1973

Sir, I also beg to move

That the Punjab Land Revenue Haryana Amendment Bill पजांब भू राजस्व हरियाणा सशोधन विधेयक 1973 be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

कि पजांब भू राजस्व हरियाणा सशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है —

कि पजांब भू राजस्व हरियाणा सशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर क्लोज बाई क्लोज विचार करेगा ।

क्लाज 1 की सब क्लाइज (2)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है ।

कि क्लाइज 1 की सब क्लाइज 2 विधेयक का अग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है ।

कि कलाज 2 विधेयक का अग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कलाज 3

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है ।

कि कलाज 3 विधेयक का अग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कलाज 1 की सब कलाज (1)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है ।

कि कलाज 1 की सब कलाज (1) विधेयक का अग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियम सूत्र

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है

कि अधिनियम सूत्र विधेयक का अधिनियम सूत्र बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शीर्षक

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है

कि शीर्षक विधेयक का शीर्षक बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

Pandit Chiranji Lal: Sir, I beg to move

That the Punjab Land Revenue Haryana Amendment Bill पजांब भू राजस्व हरियाणा सशोधन विधेयक be passed.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

कि पजांब भू राजस्व हरियाणा सशोधन विधेयक पारित किया जाए ।

चौधरी चांद राम बबैन अनूसूचित जाति: स्पीकर साहब, यह बिल अब पास होने जा रहे हैं इसमें कई ऐसी बातें हैं जो इस महकमे के बारे में मैं कहना चाहता था । इस महकमे में जो रिकवरी तहसीलदार करता है उसे कई दफा इस महकमे का चपड़ासी वसूल कर लेता है और वह जमा नहीं करवाता । मैंने ऐसे कुछ केसिज रैव्यू मिनिसटर साहब के नोटिस में भी लाए थे जिस में लोगो ने खुद यह बताया था कि यही वह चपड़ासी है लेकिन इसके बावजूद भी उसको रिटेन किया गया और दौबारा उनसे ब्याज समेत रिकवरी की गई । आज तक वे लोग पर्ची लिये फिरते हैं यह चीज है जो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है । इसके बारे में कुछ करना चाहिए ।

पंडित चिरजी लाल शर्मा: स्पीकर साहब, कुछ अर्सा हुआ कुछ शिकायते आई थी मुझे जबानी याद नहीं कि किसके बारे में थी लेकिन इस किस्म की शिकायते हम होने नहीं देंगे । यह अमैडमेंट तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 केसिज हाई कोर्ट में चले गये थे ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है ।

कि पंजाब भू राजस्व हरियाणा सशोधन विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष: सदन कल प्रातः काल साढ़े नौ बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

12:59

बजे (इस समय सभा बृहस्पतिवार दिनांक 15 नवम्बर 1973 के 9:30 बजे प्राप्त तक के लिए स्थगित हुई)